परियोजना की प्रगति

MIDC पर प्लेटफार्म स्क्रीन दरवाजा

विज्ञान संग्रहालय

सहार क्रॉसओवर पर कार्य प्रगति पर है

आरे कार डिपो में काम प्रगति पर है

विज्ञान संग्रहालय

एससीपी एंट्री 3 कैनोपी

परियोजना की प्रगति

आरे कार डिपो में काम प्रगति पर है

निराकरण कार्य SHC NAAM

परिचालन के लिए ट्रेन सेट तैयार

सांताक्रूज

परियोजना की प्रगति

SCP हवाई दृश्य

SCP केबल ट्रे और डक्ट कार्य

SHC MEP एनएटीएम की तरफ काम कर रहा है

परियोजना की प्रगति

सहार क्रॉस ओवर

ट्रेनसेट परिवहन

विधान भवन स्टेशन

परियोजना की प्रगति

हुतात्मा चौक

सीएसटी स्टेशन

आचार्य अत्रे के बीच NATM क्रॉसओवर

एनसीपीए में निर्माण की पेंटिंग

एनसीपीए मुंबई में एमएमएल 3 की पेंटिंग की प्रदर्शनी

विषय-वस्तु

१.	निदेशक मंडल	6
२.	एजीएम की सूचना	8
३.	अध्यक्ष का भाषण	15
४.	निदेशक की रिपोर्ट	19
५.	अनुलग्नक सहित सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	40
६.	कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	55
७.	प्रबंधन के उत्तर सहित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	63
८.	स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	67
९.	नोट्स और महत्वपूर्ण लेखा नीति सहित ३१ मार्च २०२३ को समाप्त वित्तीय वर्ष का विवरण	83

कंपनी सचिव

सुश्री ऋतु देब

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स चंदाभॉय और जस्सूभॉय

एफओएफ २, फीनिक्स हाउस, "बी" विंग
चौथी मंजिल, ४६२, सेनापति बापट मार्ग,
लोअर परेल मुंबई – ४०० ०१३.

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स पेससेटर कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस एलएलपी

कंपनी सचिव
एल -३०, बेसमेंट, कालकाजी
नई दिल्ली - ११० ०१९.

निदेशक मंडल

श्री मनोज जोशी	अध्यक्ष, एमएमआरसीएल तथा सचिव – आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
श्रीमती अश्विनी भिडे (१२.०७.२०२२ से)	प्रबंध निदेशक, एमएमआरसीएल
श्री जयदीप	निदेशक, एमएमआरसीएल एवं विशेष कार्य अधिकारी (यूटी) तथा पदेन संयुक्त सचिव - आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
श्री श्याम सुन्दर दुबे (०४.०८.२०२२ तक)	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
श्रीमती नमिता मेहरोत्रा (२७.०४.२०२२ से)	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
श्री राकेश चौधरी (२५.०५.२०२२ से)	कार्यपालक निदेशक / एसडी एवं कायाकल्प
श्री दीपक अग्रवाल (२८.१२.२०२२ से)	संयुक्त सचिव (सीवी)
श्री मनोज सौनिक	अपर मुख्य सचिव वित्त, नामित निदेशक, महाराष्ट्र सरकार
श्री इकबाल सिंह चहल	बृहन्मुबई महानगरपालिका आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार
श्री एस वी आर श्रीनिवास	मेट्रोपोलिटन आयुक्त, एम्एम्आरडीए, नामित निदेशक, महाराष्ट्र सरकार
श्री भूषण गगरानी	प्रधान सचिव, नगरीय विकास, नामित निदेशक, महाराष्ट्र सरकार
श्री एस.के. गुप्ता	निदेशक (परियोजना) एमएमआरसीएल
श्री ए.ए.भट्ट (०५.०२.२०२३ तक)	निदेशक (प्रणाली), एमएमआरसीएल
श्री अबोध खंडेलवाल	निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी, एमएमआरसीएल

बँका

१. भारतीय स्टेट बँक
२. एचडीएफसी बँक
३. आयडीबीआय
४. आयसीआयसीआय बँक
५. पंजाब नॅशनल बँक

पंजीकृत कार्यालय

मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार का संयुक्त उद्यम)
"ट्रांजिट कार्यालय", ई- ब्लॉक, सिटी पार्क के उत्तरी तरफ,
आयकर कार्यालय के पीछे, ''ए'' – विंग, बांद्रा ई, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स,
मुम्बई - 400051

नोटिस

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की 15 वीं स्थगित वार्षिक आम बैठक बुधवार 1 नवंबर 2023 को दोपहर 12:45 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो-विज़ुअल माध्य-मों ("ओएवीएम") से निम्न कार्यों को सम्पन्न करने हेतु आयोजित की जाएगी :

साधारण व्यवसाय

1. 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाते के विवरण को निदेशक की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुशेष और उस पर प्रबंधन के उत्तर के साथ, प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना |

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कंपनी सचिव

स्थानः मुंबई
दिनांकः 10.10.2023

नोट्स :

1. कोविड-10 के प्रसार को ध्यान में रखकर, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 14/2020, 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 17/2020, दिनांक 15 जून, 2020 के परिपत्र संख्या 22/2020, दिनांक 28 सितम्बर, 2020 के परिपत्र संख्या 33/2020, दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 के परिपत्र संख्या 39/2020, दिनांक 13 जनवरी, 2021 के परिपत्र संख्या 02/2021, दिनांक 5 मई, 2022 के परिपत्र संख्या 02/2022 (सामूहिक रूप से ''कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय'' परिपत्रों के नाम से संदर्भित) के माध्यम से वार्षिक आम सभा का आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से, किसी स्थल पर सदस्यों की स्वयं भौतिक उपस्थिति के बिना, किए जाने की अनुमति दी गई है। कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसरण में वार्षिक आम सभा का आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से आयोजित किया जा रहा है।

2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के प्रावधानों के अनुसरण में वार्षिक आम बैठक में प्रस्तावित विशेष व्यवसाय से संबंधित व्याख्यात्मक विवरण इस नोटिस के साथ संलग्न है।

3. वार्षिक आम सभा का आयोजन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किए जाने के कारण से इस वार्षिक आम सभा में सदस्यों को प्रॉक्सी की अनुमति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तथा तदनुसार, रूट मैप सहित प्रॉक्सी फार्म एवं नियुक्ति स्लिप को इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

4. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, जिस सदस्य का नाम कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में आता है, वह वोट देने का पात्र होगा।

5. लेखों के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे कम्पनी को बैठक आयोजन की तिथि से पूर्व (अर्थात वार्षिक आम बैठक से कम से कम 7 दिन पूर्व) लिखित अनुरोध भेजें जिससे कि प्रबंधन द्वारा वार्षिक आम बैठक के लिए अपेक्षित सूचना तैयार की जा सके।

नोटिस

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसील) की 15वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'') अथवा अन्य आडियो-विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा शुक्रवार, दिनांक 29 सितम्बर, 2023 को अपराह्न 12.45 बजे निम्नलिखित व्यवसाय संव्यवहारों के लिए किया जाएगा:

साधारण व्यवसाय:

(1) 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षित तुलन पत्र एवं उक्त तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत की तत्संबंधी रिपोर्ट को निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ एक साथ प्राप्त प्राप्त करना, विचार करना एवं उसे अंगीकार करना।

(2) कम्पनी के निदेशक मंडल को कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों, जिनकी नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक द्वारा धारा 139(5) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए की गई है, का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करना।

विशेष व्यवसाय:

(3) श्री राजीव (डीआईएन:10260235) को निगम के निदेशक मंडल में कार्यात्मक निदेशक (प्रणाली एवं परिचालन तथा अनुरक्षण) के पद पर नियुक्त करना

निम्नलिखित के संबंध में साधारण संकल्प के रूप विचार करना तथा किसी संशोधन अथवा संशोधन के लिए, यदि उचित समझा गया है, इसे पारित करना:

"**यह निर्धारण किया गया है कि** धारा 160, 161 एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों, जो भी इसके संबंध में लागू हैं तथा इसके संबंध में अन्य सभी अपेक्षित सांविधिक अनुमोदनों की प्राप्ति की शर्त पर, श्री राजीव, जिनका डीआईएन:10260235 है, को एतद्वारा दिनांक 2 जून, 2023 से, अनुबंध पर पांच वर्ष की अवधि अथवा 62 वर्ष की आयु तक के लिए, जो भी पहले हो, कम्पनी के निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है।''

"**आगे यह निर्धारण किया गया है कि** कम्पनी के कम्पनी सचिव को एतद्वारा, सभी आवश्यक कार्रवाईयां करने तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को उक्त नियुक्ति की सूचना देने के लिए आवश्यक ई-फार्म भरने तथा इससे संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, प्राधिकृत किया गया है।"

(4) श्री राचापरोलु डोमिनिक रामाना (डीआईएन:10225071) को निगम के निदेशक मंडल में कार्यात्मक निदेशक (योजना एवं स्थावर संपदा विकास /एनएफबीआर) के पद पर नियुक्त करना।

निम्नलिखित के संबंध में साधारण संकल्प के रूप विचार करना तथा किसी संशोधन अथवा बिना संशोधन, यदि उचित समझा गया है, इसे पारित करना:

"**यह निर्धारण किया गया है कि** धारा 160, 161 एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों, जो भी इसके संबंध में लागू हैं तथा इसके संबंध में अन्य सभी अपेक्षित सांविधिक अनुमोदनों की प्राप्ति की शर्त पर, श्री राचापरोलु डोमिनिक रामाना, जिनका डीआईएन:10225071 है, को एतद्द्वारा दिनांक 6 जून, 2023 से, अनुबंध पर पांच वर्ष की अवधि अथवा 62 वर्ष की आयु तक के लिए, जो भी पहले हो, कम्पनी के निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है।''

"**आगे यह निर्धारण किया गया है कि** कम्पनी के कम्पनी सचिव को एतद्द्वारा, सभी आवश्यक कार्रवाईयां करने तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को उक्त नियुक्ति की सूचना देने के लिए आवश्यक ई-फार्म भरने तथा इससे संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, प्राधिकृत किया गया है।"

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त
मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्थान : मुम्बई
दिनांक: 06.09.2023

कम्पनी सचिव

नोट्स :

1. कोविड-10 के प्रसार को ध्यान में रखकर, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 14/2020, 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 17/2020, दिनांक 15 जून, 2020 के परिपत्र संख्या 22/2020, दिनांक 28 सितम्बर, 2020 के परिपत्र संख्या 33/2020, दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 के परिपत्र संख्या 39/2020, दिनांक 13 जनवरी, 2021 के परिपत्र संख्या 02/2021, दिनांक 5 मई, 2022 के परिपत्र संख्या 02/2022 (सामूहिक रूप से ''कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय'' परिपत्रों के नाम से संदर्भित) के माध्यम से वार्षिक आम सभा का आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से, किसी स्थल पर सदस्यों की स्वयं भौतिक उपस्थिति के बिना, किए जाने की अनुमति दी गई है। कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसरण में वार्षिक आम सभा का आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से आयोजित किया जा रहा है।

2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के प्रावधानों के अनुसरण में वार्षिक आम बैठक में प्रस्तावित विशेष व्यवसाय से संबंधित व्याख्यात्मक विवरण इस नोटिस के साथ संलग्न है।

3. वार्षिक आम सभा का आयोजन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किए जाने के कारण से इस वार्षिक आम सभा में सदस्यों को प्रॉक्सी की अनुमति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तथा तदनुसार, रूट मैप सहित प्रॉक्सी फार्म एवं नियुक्ति स्लिप को इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

4. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, जिस सदस्य का नाम कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में आता है, वह वोट देने का पात्र होगा।

5. लेखों के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे कम्पनी को बैठक आयोजन की तिथि से पूर्व (अर्थात वार्षिक आम बैठक से कम से कम 7 दिन पूर्व) लिखित अनुरोध भेजें जिससे कि प्रबंधन द्वारा वार्षिक आम बैठक के लिए अपेक्षित सूचना तैयार की जा सके।

6. संलग्न नोटिस में उल्लिखित सभी दस्तावेज़ कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में, शनिवार एवं रविवार के अलावा, सभी कार्य दिवसों पर सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच वार्षिक आम बैठक की तिथि तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

नोटिस का स्पष्टीकरण नोट

(कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अनुसरण में)

मद संख्या 3:

चयन समिति द्वारा उम्मीदवार का साक्षात्कार लिया गया था तथा उम्मीदवार के मूल्यांकन के आधार पर चयन समिति द्वारा श्री राजीव को निगम के निदेशक मंडल में दिनांक 29 जुलाई, 2023 से अपर निदेशक (प्रणाली एवं परिचालन तथा अनुरक्षण) के पद पर कार्यात्मक निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने की अनुशंसा की गई है।

धारा 160, 161 के प्रावधानों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों के अनुसरण में, जो भी इसके संबंध में लागू हैं तथा इसके संबंध में अन्य सभी अपेक्षित सांविधिक अनुमोदनों की प्राप्ति की शर्त पर, श्री राजीव द्वारा कॉर्पो-रेट कार्य मंत्रालय से निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की प्राप्ति कर ली गई है। निदेशक मंडल द्वारा श्री राजीव (डीआईएन: 10260235) को दिनांक 2 जून, 2023 से कम्पनी के निदेशक मंडल में निदेशक (प्रणाली एवं परिचालन तथा अनुरक्षण) के पद पर नियुक्त किया गया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसरण में उक्त नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

श्री राजीव, जिनका **डीआईएन: 10260235** है, द्वारा कम्पनी में निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए सहमति दी गई है तथा यह घोषित किया है कि वे कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं किए गए हैं।

श्री राजीव, निदेशक के अलावा, कोई भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) अथवा उनके संबंधी, किसी वैयक्तिक अथवा वैयक्तिक स्वरूप में, संकल्प के प्रति इच्छुक नहीं हैं अथवा उनका कोई सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडल द्वारा मद संख्या 3 में प्रस्तुत साधारण संकल्प के रूप में सदस्यों से अनुमोदन प्राप्ति की अनुशंसा की गई है।

मद संख्या 04:

चयन समिति द्वारा उम्मीदवार का साक्षात्कार लिया गया था तथा उम्मीदवार के मूल्यांकन के आधार पर चयन समिति द्वारा श्री राचापरोलु डोमिनिक रामाना को निगम के निदेशक मंडल में दिनांक 4 जुलाई, 2023 से अपर निदेशक (योजना एवं स्थावर सम्पदा विकास/एनएफबीआर) के पद पर कार्यात्मक निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने की अनुशंसा की गई है।

धारा 160, 161 के प्रावधानों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों के अनुसरण में, जो भी इसके संबंध में लागू हैं तथा इसके संबंध में अन्य सभी अपेक्षित सांविधिक अनुमोदनों की प्राप्ति की शर्त पर, श्री राचापरोलु डोमिनिक

रामाना द्वारा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की प्राप्ति कर ली गई है। निदेशक मंडल द्वारा श्री राचापरोलु डोमिनिक रामाना (डीआईएन: 10225071) को दिनांक 6 जून, 2023 से कम्पनी के निदेशक मंडल में निदेशक (योजना एवं स्थावर सम्पदा विकास/एनएफबीआर) के पद पर नियुक्त किया गया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसरण में उक्त नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

श्री राचापरोलु डोमिनिक रामाना, जिनका **डीआईएन: 10225071** है, द्वारा कम्पनी में निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए सहमति दी गई है तथा यह घोषित किया है कि वे कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं किए गए हैं।

श्री राचापरोलु डोमिनिक रामाना, निदेशक के अलावा, कोई भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) अथवा उनके संबंधी, किसी वैयक्तिक अथवा वैयक्तिक स्वरूप में, संकल्प के प्रति इच्छुक नहीं हैं अथवा उनका कोई सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडल द्वारा मद संख्या 3 में प्रस्तुत साधारण संकल्प के रूप में सदस्यों से अनुमोदन प्राप्ति की अनुशंसा की गई है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त
मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 06.09.2023

कम्पनी सचिव

अध्यक्ष का भाषण

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपके निगम की 15वीं वार्षिक आम सभा में आप सभी का हृदय से स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। इस अवसर मैं आपके सम्मुख निगम के निष्पादन तथा वर्ष के दौरान हासिल उपलब्धियों का ब्यौरा प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद भी निगम द्वारा 15 अगस्त, 2023 तक लाइन 3 के निर्माण के संबंध में 84% की समग्र भौतिक प्रगति हासिल की गई है। इसमें ध्यान देने योग्य तथ्य यह भी है कि स्थगन आदेश हटाए जाने के पश्चात से रीच 1 की प्रगति कार डिपो सहित तीव्र होकर 90% से भी अधिक हो गई है। भारत सरकार द्वारा अवसंरचना विकास को बढ़ावा दिए जाने के संबंध में लिए गए उत्कृष्ट निर्णय निर्धारण तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा, विशेषकर आरे डिपो के मामले में, प्रगामी निर्णय निर्धारण के परिणामस्वरूप और साथ ही निदेशक मंडल द्वारा लिए गए प्रभावी प्रबंधन निर्णयों से यह सब संभव हो पाया है। इन सब से यह सुनिश्चित हुआ है कि सभी उपलब्ध संसाधन द्रुतगति से सामंजस्य के साथ कार्य कर रहे हैं जिससे कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी परियोजना की प्रगति हो रही है।

1. वित्तीय निष्पादनः

वर्ष 2022-23 में निगम का निष्पादन की विस्तृत प्रस्तुति निदेशक रिपोर्ट में की गई है। परियोजना की तीव्र गति से हो रही प्रगति एक ध्यान दिए जाने योग्य तथ्य है। पिछले वर्ष व्यय किए 3,611 करोड़ रुपए (पुन: प्रस्तुत) की तुलना में वर्ष के दौरान 3,299 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। सिविल ठेकेदारों द्वारा अपने सिविल कार्य लगभग पूर्ण होने के विचार से अपने बिल प्रस्तुत न किए जाने के कारण से चालू वर्ष के दौरान व्यय कम हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की प्रस्तुति आपको की जा चुकी है तथा अब, आपकी अनुमति से, मैं यह मानकर आगे बढ़ रहा हूं कि आपने इसे पढ़ लिया है।

2. निर्माण निष्पादन :

2.1 सिविल कार्य:

- टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) के उपयोग टनल कार्य सभी पैकेजों के कार्य पूरे कर किए जा चुके हैं।

- सभी अंडरग्राउंड स्टेशनों तथा आरे एट-ग्रेड स्टेशन पर भौतिक कार्य प्रगति पर हैं। ये स्टेशन कार्य पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में हैं। 15.7.2023 की स्थिति के अनुसार स्टेशनों की समग्र औसत पूर्णता 91.00 % है।

- सभी स्टेशनों पर ई एवं एम के कार्य तथा आर्टिटैक्चरल फिनिश के कार्य प्रगति पर हैं।

- सड़क सुदृढ़ीकरण के कार्य भी चरणबद्ध स्वरूप में प्रगति पर हैं।

- कम्पनी द्वारा गिरगांव स्टेशन पर कार्य तथा आरे डिपो के कार्यों में तेजी लाने के पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं

2.2 सिस्टम कार्य :

- सभी स्टेशनों तथा टनल्स में ओसीएस, पीएसएस, एसटीपीटी, टीवीई, लिफ्टों, एस्केलेटरों एवं ई एंड एम के उपकरण स्थापना कार्य प्रगति पर हैं। सिस्टम कार्यों की कुल भौतिक प्रगति 54.8% आंकी गई है और चरण-I के लिए (आरे से बीकेसी) 68.8% सिस्टम कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

- चरण-I के परिचालन प्रारंभ करने के लिए कुल 09 ट्रेनों की आवश्यकता है तथा वर्तमान में, आरे डिपो में 15 जुलाई, 2023 तक कुल 05 ट्रेन प्राप्त हो चुकी है, जबकि शेष 04 ट्रेनें सितम्बर, 2023 के अंत तक प्राप्त हो सकेंगी।

- आटोमेटिक किराया प्राप्ति की प्रणाली के अंतर्गत टिकटिंग के लिए एनसीएमसी कार्ड, क्यूआर कोड (पेपर एवं मोबाइल) का उपयोग किया जा सकेगा। भारतीय स्टेट बैंक को इन संव्यवहारों के संसाधन, कार्ड जारी करने एवं एएफसी एकीकरण सेवाओं के लिए बैंकिंग साझेदार की सेवाएं सौंपी गई हैं।

2.3 जन सम्पर्क गतिविधियां :

जन सम्पर्क विभाग द्वारा नियमित रूप से सोशल मीडिया हैंडल पर सृजनात्मक फोटो, समाचार कवरेज एवं शार्ट वीडियो की प्रस्तुति की जा रही है तथा एमएमआरसी की वेबसाइट पर जारी परियोजनाओं की प्रगति एवं अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों / उपलब्धियों / मुम्बई मेट्रो लाइन-3 परियोजना से संबंधित कार्यों की प्रगति प्रस्तुत की जा रही है।

जन सम्पर्क विभाग द्वारा नियमित रूप से विभिन्न गतिविधियों, उपलब्धियों एवं परियोजना से संबंधित घटनाओं के संबंध में मीडिया के लिए प्रेस विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं तथा मीडिया द्वारा इनके बारे में की जाने वाली पूछताछ

के प्रति प्रतिक्रिया दी जाती है। जनसम्पर्क विभाग पत्रकारों के लिए आनसाइट मीडिया विजिट की व्यवस्था भी की जाती है तथा वरिष्ठ प्रबंधन के साथ साक्षात्कार भी किए जाते हैं।

मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा 2 मार्च, 2023 को एनसीपीए में फोटो प्रदर्शनी लगाई गई थी जिसमें परियोजना के निर्माण चरण के दौरान आड़े आई चुनौतियों के संबंध में जानकारी थी तथा एमएमएल-3 की साइट पर इसके लिए प्रयुक्त छोटे मॉडल्स की प्रस्तुति भी की गई थी।

मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा महत्वपूर्ण दिनों अर्थात सतर्कता जागरूकता सप्ताह, मराठी भाषा पंधरवाड़ा, हिन्दी पखवाड़ा, हिन्दी सप्ताह आदि जैसे अवसरों पर एमएमआरसी के कर्मचारियों के लिए आंतरिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं। समारोह से संबंधित फोटोग्राफ सोशल मीडिया हैंडल्स पर तथा निगम की वेबसाइट पर प्रसारित किए जाते हैं।

मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाईन-3 परियोजना के संबंध में जिंगल एवं मैस्कट प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन भी किए जाते हैं।

3. साइट पर कार्यान्वित सुरक्षा उपाय

सिविल और सिस्टम ठेकेदारों के लिए प्रयुक्त व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण की प्रणालियां संविद से संबंधित ओएसएचई शर्तों के प्रावधानों की अनुकूलता के साथ साथ परियोजना के संबंध में लागू सभी सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप हैं । इन कड़े प्रावधानों, इसके संबंध में की जाने वाली समीक्षाओं तथा अनुपालनों का परिणाम यह है कि यह परियोजना के लिए 0.33 समय हानि की आवृत्ति दर से 260 मिलियन घंटे से अधिक का समय दिया गया है, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुदृढ़ प्रतिबद्धता का द्योतक है।

कम्पनी द्वारा अपनी तैयारियां करके सभी संभावित आपात्त स्थितियों से निपटने के लिए तथा एहतियात के औचित्यपरक उपाय प्रदान करके एक आपदा नियंत्रण कक्ष को व्यवस्थित किया गया है।

4. मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओएचएसई मैनुअल से संबंधित गतिविधिः

जिन ठेकेदारों कने एमएमआरसी ओएचएसई मैनुअल की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया था उनके प्रति जुर्माने प्रत्यारोपित किए गए हैं। इस जुर्माने से की गई उगाही को एमएमआरसी श्रम कल्याण कोष में जमा किया गया है। अब तक प्रभावित श्रमिकों या उनके परिजनों को 20,63,250/- रुपये का भुगतान किया जा चुका है। कोष में अब तक लगभग 1,41,87,280 रुपये की प्राप्ति हुई हैं।

5. औद्योगिक संबंधः

आपके निगम के ठेकेदारों तथा श्रमिकों के मध्य औद्योगिक संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण रहे हैं जिससे श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी सुगम हो सकी है। निगम राज्य के श्रम कानूनों के अनुसार सामाजिक और सुरक्षा प्रावधानों का संरक्षण कर रहा है।

6. कॉर्पोरेट शासनः

कॉर्पोरेट शासन नीति निगम की विज़न मिशन नीति के अनुरूप है। निगम कॉर्पोरेट शासन से संबंधित लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है।

7. पारदर्शिताः

पारदर्शिता में संवर्धन तथा पारदर्शिता को सुगम बनाने के लिए निगम द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं की गई हैं:-

क) ई-ऑफिस
ख) अनुबंधों के लिए ई-टेंडरिंग
ग) कार्यपालकों एवं गैर कार्यपालकों के लिए एपीएआर की ई-फाइलिंग
घ) ठेकेदारों तथा विक्रेताओं को बैंक के माध्यम से 100% भुगतान
ङ) वेबसाइट पर रिक्तियों की अधिसूचना
च) ईआरपी (उद्यम संसाधन योजना) (ओरेकल)
- मानव संसाधन, वित्त, प्रशासन माड्यूल
- कार्य प्रगति पर: ईआरपी अपग्रेडेशन

8. आभारोक्ति :

मैं, हमें प्राप्त सहायता, समर्थन एवं सहयोग के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (भारत सरकार), महाराष्ट्र सरकार, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जेआईसीए), बैंकरों, वित्तीय संस्थानों तथा भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं निदेशक मंडल के सदस्यों का भी आभारी हूं जिनसे हमें समय समय पर मूल्यवान मार्गदर्शन एवं सहायता प्राप्त हुई है। अपने सभी कर्मचारियों द्वारा देश के पूर्णत: अंडरग्राउंड मेट्रो रेल नेटवर्क के सुरंग निर्माण के कार्यों को पूरा करने के लिए प्रदत्त प्रयासों, उनके समर्पण एवं उनकी कड़ी मेहनत के भी आभार की अभिव्यक्ति करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा उच्चतर प्रोत्साहित कार्यबल मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भविष्य में किए जाने वाले प्रयासों को सफल बनाने में भी अपना पूर्ण योगदान प्रदान करेगा।

(मनोज जोशी)
सचिव

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
एवं अध्यक्ष, **मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.08.2023

निदेशक रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य गण,
मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
मुम्बई।

आपके निदेशक आपके सम्मुख वित्तीय वर्ष 2022-2023 से संबंधित कम्पनी के व्यवसाय, परिचालनों तथा वित्तीय स्थिति की 15वीं रिपोर्ट की प्रस्तुति कर रहे हैं।

1. वित्तीय परिणाम एवं निष्पादन

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:-

(सभी आंकड़े रुपए लाख में)

विवरण	2022-23	2021-22
कुल आय	385.60	1,149.37
घटाएं : परिचालनात्मक व्यय	2451.96	2,295.14
घटाएं : मूल्यह्रास	970.24	1,020.73
घटाएं : वित्तीय व्यय	26.38	32.75
घटाएं : अपरिहार्य व्यय	0	0
कर पूर्व लाभ (हानि)	(3,062.98)	(2,199.25)
घटाएं : कर व्यय	(249.35)	(520.49)
कर पूर्व निवल लाभ (हानि)	(2,813.63)	(1,678.76)
अन्य व्यापक आय (हानि)	(23.47)	(17.34)
सामान्य रिजर्व में अंतरण	0	0
वर्ष के दौरान कुल व्यापक (हानि)	(2,837.10)	(1,696.10)

2. सामान्य रिजर्व में अंतरण :

कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान सामान्य रिजर्व में कोई राशि अंतरित नहीं की है।

3. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश

चालू वर्ष के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

4. कम्पनी की स्थिति

कम्पनी का निगमन वर्ष 2008 में हुआ था। वित्तीय वर्ष (2014-15) में कम्पनी ने भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार (एमएमआरडीए के माध्यम से) 50:50 संयुक्त माध्यम का स्वरूप धारण किया था।

5. कम्पनी के शेयरों का निर्गम

कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 100/- रुपए मूल्य प्रत्येक के 50 करोड़ इक्विटी शेयरों के साथ 50,00,00,00,000 रुपए (पांच हजार करोड़ रुपए केवल) है।

कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 के प्रावधानों का विधिवत अनुपालन करके भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार के नामितों को 100 रुपए मूल्य प्रत्येक 3,98,20,000 इक्विटी शेयर जारी किए गए हैं तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक इससे संबंधित विवरण निम्नलिखित है :-

क्र. सं.	शेयर आबंटन समिति की बैठक की तिथि	शेयरों की संख्या	कुल प्रतिफल (आंकड़े रुपए में)
1	16/06/2022	2,00,00,000	2,00,00,00,000
2	22/08/2022	1,98,20,000	1,98,20,00,000

6. कम्पनी के परिचालन

सिविल कार्य:

- सभी पैकेजों के लिए टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) द्वारा सुरंग बनाने का कार्य पूरा हो गया है।
- सभी अंडरग्राउंड स्टेशनों तथा आरे एट-ग्रेड स्टेशन पर भौतिक कार्य प्रगति पर हैं। ये स्टेशन कार्य पूर्णता के विभिन्न चरणों में हैं। दिनांक 15.07.2023 तक स्टेशनों का कुल औसत कार्य सम्पादन 91.00% है।
- सभी स्टेशनों पर ईएंडएम और आर्किटेक्चरल फिनिश का कार्य प्रगति पर है।
- सड़क बहाली के कार्य भी चरणबद्ध स्वरूप में जारी है।
- कंपनी गिरगांव स्टेशन तथा आरे डिपो के कार्यों में तेजी लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

सिस्टम कार्य:

- स्टेशनों और सुरंगों से संबंधित ओसीएस, पीएसएस, एसटीपीटी, टीवीई, लिफ्ट, एस्केलेटर तथा ईएंडएम की उपकरण स्थापना के कार्य प्रगति पर है। सिस्टम कार्यों की भौतिक प्रगति कुल 54.8% है तथा चरण- I (आरे से बीकेसी) के लिए 68.8% सिस्टम कार्य पूरे हो गए हैं।

- चरण- I के अंतर्गत परिचालन प्रारंभ करने के लिए कुल 09 ट्रेनों की आवश्यकता है, वर्तमान में 15 जुलाई 2023 तक आरे डिपो में कुल 05 ट्रेनें प्राप्त हो चुकी हैं, तथा शेष 04 ट्रेनें सितंबर 2023 के अंत तक प्राप्त होंगी।

- टिकटिंग के लिए ऑटोमेटिक किराया प्राप्ति प्रणाली के लिए एनसीएमसी कार्ड, क्यूआर कोड (कागज और मोबाइल) का उपयोग होगा। भारतीय स्टेट बैंक को लेनदेन प्रसंस्करण, कार्ड जारी करने और एएफसी एकीकरण सेवाओं के लिए बैंकिंग भागीदार के कार्य सौंपे गए हैं।

7. निदेशक मंडल एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

इस रिपोर्ट की तिथि के अनुसार निदेशक मंडल एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिक का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	निदेशक/प्रमुख प्रबंधन कार्मिक का नाम	डीआईएन / पीएएन	नियुक्ति की तिथि	पदनाम
1.	श्री मनोज जोशी	02103601	30/12/2021	अध्यक्ष एवं नामित निदेशक
2.	श्रीमती अश्विनी भिडे	02861008	12/07/2022	प्रबंध निदेशक एवं नामित निदेशक
3.	श्री जयदीप	08558063	06/12/2019	नामित निदेशक
4.	श्री राकेश चौधरी	09495362	24/05/2022	नामित निदेशक
5.	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	07916304	27/04/2022	नामित निदेशक
6.	श्री दीपक अग्रवाल	07321522	28/12/2022	नामित निदेशक
7.	श्री इकबाल सिंह चहल	08727394	12/01/2023	नामित निदेशक
8.	डा. संजय मुखर्जी	08863656	03/06/2023	नामित निदेशक
9.	श्री असीम कुमार गुप्ता	02607016	08/06/2023	नामित निदेशक
10.	डा. नितिन करीर	01624863	02/05/2023	नामित निदेशक
11.	श्री सुबोध कुमार गुप्ता	07114292	14/01/2015	पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक
12.	श्री अबोध खंडेलवाल	07807394	28/04/2017	पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक
13.	श्री अबोध खंडेलवाल	ACYPK0309G	29/03/2017	मुख्य वित्त अधिकारी
14.	श्री राजीव	10260235	02/06/2023	पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक
15.	श्री रामना राचाप्रोलु	10225071	05/06/2023	पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक
16.	सुश्री ऋतु देब	ADVPD0728L	15/04/2015	कम्पनी सचिव

इस रिपोर्ट की तिथि तक, कम्पनी के निदेशक मंडल तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक की संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे।

निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिक की नियुक्ति:

क्र. सं.	निदेशक/प्रमुख प्रबंधन कार्मिक का नाम	डीआईएन / पीएएन	नियुक्ति की तिथि	पदनाम
1.	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	07916304	27/04/2022	नामित निदेशक
2.	श्री राकेश चौधरी	09495362	24/05/2022	नामित निदेशक
3.	श्रीमती अश्विनी भिडे	02861008	12/07/2022	प्रबंध निदेशक
4.	श्री दीपक अग्रवाल	07321522	28/12/2022	नामित निदेशक
5.	श्री इकबाल सिंह चहल	08727394	12/01/2023	नामित निदेशक
6.	डा. नितिन करीर	02954463	02/05/2023	नामित निदेशक
7.	डा. संजय मुखर्जी	08863656	03/06/2023	नामित निदेशक
8.	श्री असीम कुमार गुप्ता	02607016	08/06/2023	नामित निदेशक
9.	श्री राजीव	10260235	02/06/2023	कार्यात्मक निदेशक
10.	श्री रामना राचाप्रोलु	10225071	05/06/2023	कार्यात्मक निदेशक

निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिक की सेवा समाप्ति:

क्र. सं.	निदेशक/प्रमुख प्रबंधन कार्मिक का नाम	डीआईएन / पीएएन	सेवा समाप्ति की तिथि	पदनाम
1.	श्री रंजीत सिंह दियोल	06759002	15/03/2022	प्रबंध निदेशक
2.	श्री श्याम सुन्दर दुबे	06601151	04/08/2022	नामित निदेशक
3.	श्री इकबाल सिंह चहल	08727394	01/09/2022	नामित निदेशक
4.	श्री ए.ए.भट	07110097	05/02/2023	कार्यात्मक निदेशक
5.	श्री मनोज सौनिक	02954463	02/05/2023	नामित निदेशक
6.	श्री एस वी आर श्रीनिवास	02860903	03/06/2023	नामित निदेशक
7.	श्री भूषण गगरानी	00204045	08/06/2023	नामित निदेशक

8. निदेशक मंडल की बैठकों तथा समिति की बैठकों का विवरण :

(क) निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मंडल की 5 बैठकें आयोजित की गई थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

निदेशक मंडल की बैठक	निदेशक मंडल की बैठक की तिथि	उपस्थित निदेशकों की संख्या
निदेशक मंडल की 65वीं बैठक	25/05/2022	9
निदेशक मंडल की 66वीं बैठक	09/08/2022	9
निदेशक मंडल की 67वीं बैठक	29/09/2022	7
निदेशक मंडल की 68वीं बैठक	14/11/2022	8
निदेशक मंडल की 69वीं बैठक	03/03/2023	9

निदेशक का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या		
	आयोजित	पात्रता	उपस्थिति
श्री मनोज जोशी	5	5	5
श्रीमती अश्विनी भिडे	5	3	2
श्री जयदीप	5	5	5
श्री राकेश चौधरी	5	4	3
श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	5	4	4
श्री इकबाल सिंह चहल	5	5	0
श्री भूषण अशोक गगरानी	5	5	1
श्री मनोज सौनिक	5	5	2
श्री एस वी आर श्रीनिवास	5	5	2
श्री श्याम सुन्दर दुबे	5	1	1
श्री अबोध खंडेलवाल	5	5	5
श्री सुबोध कुमार गुप्ता	5	5	5
श्री अजयकुमार अमरनाथ भट	5	5	5

निदेशक मंडल की दो बैठकों के मध्य 120 दिन से अधिक का अंतराल नहीं था। सभी बैठकों में कोरम पूर्ण था। निदेशक मंडल की बैठक के आयोजन के संबंध में कम्पनी ने भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक -1 ("एसएस-1") के अंतर्गत आवश्यक अनुपालनों का अनुसरण किया गया था।

(ख लेखापरीक्षा समिति

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया है।
निदेशक मंडल की बैठक् के कोरम की पूर्ति 2 सदस्यों की बैठक में स्वयं उपस्थिति से होती है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की संरचना तथा बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं	नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या		
			आयोजित	पात्रता	उपस्थिति
1	श्री श्याम सुन्दर दुबे *	नामित निदेशक / अध्यक्ष	1	1	1
2	श्री अजयकुमार ए भट	निदेशक प्रणाली / सदस्य	1	1	1
3	श्री भूषण गगरानी	नामित निदेशक / सदस्य	1	1	1
4	श्री अबोध खंडेलवाल	निदेशक वित्त तथा मुख्य वित्त अधिकारी एवं स्थाई आमंत्रित	1	1	1
5	श्री अश्विनी भिडे	प्रबंध निदेशक / स्थाई आमंत्रित	1	1	1

* श्री श्याम सुन्दर दुबे दिनांक 4 जुलाई, 2022 से नामित निदेशक नहीं हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठक का आयोजन 22 जुलाई, 2022 को किया गया था।

(ग) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक आयोजित नहीं हुई है।
नामांकन और पारिश्रमिक नीति की एक प्रति अनुबंध I के रूप में संलग्न है।

(घ) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

निगम को वित्त वर्ष 2022-23 सहित पिछले 3 वित्तीय वर्ष में घाटे हुए हैं, तदनुसार, सीएसआर के प्रावधान निगम के संबंध में लागू नहीं हैं।

(ङ) शेयर आवंटन समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में, निदेशक मंडल द्वारा निदेशक मंडल की शेयर आवंटन समिति का गठन किया गया है। समिति निदेशक मंडल की एक गैर-अनिवार्य समिति है।

शेयर आवंटन समिति के लिए कोरम की पूर्ति के लिए दो सदस्यों द्वारा स्वयं उपस्थिति अपेक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में के दौरान आयोजित शेयर आवंटन समिति की बैठक की संरचना तथा इसकी बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों का विवरण नीचे दिया गया है ।

क्र. सं	नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या	
			पात्रता	उपस्थिति
1	श्री भूषण गगरानी	नामित निदेशक / अध्यक्ष	2	2
2	श्री श्याम सुन्दर दुबे *	नामित निदेशक / सदस्य	2	2
3	प्रबंध निदेशक **	सदस्य	2	2

* कम्पनी के प्रबंध निदेशक को कम्पनी में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
**श्री श्याम सुन्दर दुबे 4 जुलाई, 2022 से नामित निदेशक नहीं है।

वर्ष 2022-23 के दौरान शेयर आवंटन समिति की बैठकों का आयोजन दिनांक 16 जून, 2022 तथा 22 अगस्त, 2022 को किया गया था।

9. निदेशक मंडल का वार्षिक मूल्यांकन निदेशकः

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों के वार्षिक मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन रूपरेखा को अंगीकार किया गया है। इसके अलावा, निदेशक मंडल द्वारा निदेशकों, निदेशक मंडल की समिति के सदस्यों तथा सम्पूर्ण निदेशक मंडल के निष्पादन के मूल्यांकन की स्थापित मापदंडों के अनुसार सामूहिक प्रकिया की जाती है।

10. कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे सामग्री परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, जो कम्पनी के संबंधित वित्तीय वर्ष तथा इस रिपोर्ट की तिथि के मध्य घटित हुई हैं :

1. मुंबई मेट्रो लाइन - 3 के लिए परिचालन तथा अनुरक्षण सेवाओं से संबंधित निविदा मूल्यांकन के बाद सफल बोलीदाता के रूप में मेसर्स दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) को प्रदान की गई तथा स्वीकृति पत्र दिनांक 26.05.2023 को सौंपा गया था।

2. दिनांक 18 जुलाई 2023 की लेखापरीक्षा समिति की बैठक में प्राप्त अनुशंसाओं के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 से (पूर्वव्यापी प्रभाव से) भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप लेखांकन नीति में परिवर्तन किया गया है।

3. स्वीकृत परियोजना लागत में संशोधन के कारण दिनांक 10 जुलाई 2023 को आयोजित असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा ऋण लागत में विद्यमान इक्विटी अनुपात को 4.28: 1 से 4.5: 1 के अनुपात तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है।

11. कम्पनी की गोइंग कंसर्न स्थिति तथा कम्पनी के भावी परिचालनों पर प्रभाव डाल सकने वाले विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा ट्रिब्यूनलों द्वारा पारित महत्वपूर्ण तथा सामग्रीगत आदेशों का विवरण

वर्ष 2022-23 के दौरान न्यायालयों अथवा ट्रिब्यूनलों द्वारा ऐसे कोई सामग्रीगत अथवा महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए गए हैं जिनमें मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रतिवादी हो।

12. जमाः

विचाराधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने तो कोई जमा प्राप्त किए हैं और न ही जमा की स्वीकृति की गई है। इसके अलावा, ऐसी कोई राशि बकाया नहीं है जो कंपनी (जमा स्वीकृति) नियम, 2014 के दायरे में आती हो।

13. सांविधिक लेखा परीक्षकः

यह कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा की जाती है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मैसर्स चंदाभोय एंड जस्सूभोय चार्टर्ड एकाउंटेंट को अपने दिनांक 1 सितम्बर, 2022 के पत्र संख्या सीए.वी/सीओवाई/केन्द्रीय सरकार, एममेट्रो(1)/680 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अंतर्गत कोई जालसाजी रिपोर्ट नहीं हुई है जिसके संबंध में निदेशक रिपोर्ट में प्रकटीकरण के माध्यम से केन्द्र सरकार रिपोर्टिंग की जानी अपेक्षित हो।

14. सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियां :

सांविधिक लेखापरीक्षक मैसर्स चंदाभोय और जस्सोभोय,चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की गई है तथा उनकी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां स्व-व्याख्यात्मक हैं तथा इन्हें औचित्यपरक पाया गया है।

15. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ (सीएजी):

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से वित्तीय वर्ष 2022-23 की लेखापरीक्षा से संबंधित टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं तथा ये लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान निदेशक रिपोर्ट में शामिल किए जाने के संबंध में दिए गए आश्वासन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान दिए गए आश्वासन (संलग्न) के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना का समावेश निदेशक मंडल रिपोर्ट में किया जाना प्रस्तावित है :-

''अतिरिक्त वित्तीय सूचना''

1.वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 6 के फुटनोट के संदर्भ में यह स्पष्टीकरण दिया जाता है कि प्रबंधन को अभी एमसीजीएम से ऐसी छूट /रियायतें प्रदान किए जाने की औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, महाराष्ट्र सरकार के कार्यवृत्त से कोविड अस्पताल पर किए गए व्यय की राशि मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए उपलब्ध करवाए जाने की पुष्टि होती है।

2.महाराष्ट्र सरकार द्वारा अगस्त, 2022 में 37,275.82 करोड रुपए की निगम की संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अनुमोदित की गई थी तथा तत्पश्चात इसे भारत सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था। नीचे दी गई तालिका में प्रारंभिक एवं संशोधित (आरडीपीआर) में किए गए परिवर्तनों (स्रोत-वार) का सार दिया गया है:-

स्रोत	डीपीआर 2013 (रुपए करोड़ में)	आरडीपीआर 2018 (रुपए करोड़ में)	आरडीपीआर 2022 का परिशिष्ट (रुपए करोड़ में)	31.3.2023 के अनुसार वास्तविक प्राप्त रुपए करोड़ में)
भारत सरकार से इक्विटी	2402.70	3699.81	4106.81	2402.70
महाराष्ट्र सरकार से इक्विटी	2402.70	3699.81	4106.81	2402.70
भारत सरकार से उप ऋण	1024.50	1071.56	1404.89	1024.50
महाराष्ट्र सरकार से उप ऋण	1615.10	2454.3	3920.97	2421.10
सम्पति विकास + प्रभाव शुल्क/ बेहतरी कर	1000.00	1000.00	1000.00	0.00
मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	777.00	777.00	777.00	584.00
एमएमआरडीए अनुदान	679.00	679.00	679.00	0.00
जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी (JICA) से ऋण	13235.00	19924.34	21280.34	13235.00
योग	**23,136.00**	**33405.80**	**37275.82**	**22070.00**

मुम्बई मेट्रो लाइन – 3 के चरण I के लिए संशोधित समय सीमा 31 दिसम्बर, 2023 तथा चरण II के लिए 30 जून 2024 है।

16. सचिवीय लेखा परीक्षक:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा मेसर्स पेससेटर कॉरपोरेट सॉल्यूशन एलएलपी कंपनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षक की सेवाएं प्रदान की गई हैं। सचिवीय लेखापरीक्षा की रिपोर्ट अनुलग्नक II में प्रस्तुत है तथा यह इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

17. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण तथा विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण तथा विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय से संबंधित विवरण निम्नानुसार है:-

क) ऊर्जा संरक्षण :	
(i) ऊर्जा संरक्षण प्रभाव के लिए किए गए उपाय :	ऊर्जा संरक्षण की दिशा में मुंबई मेट्रो लाइन -3 (एमएमएल-3) के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाने की योजना बनाई जा रही है: i) सभी मेट्रो स्टेशनों / डिपो पर इंटेलिजेंट प्रकाश प्रणाली (साइनेज सहित) का उपयोग किया जाएगा ii) ऊर्जा के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर सिस्टम में वीवीवीएफ (वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी) ड्राइव के उपयोग से संरक्षण

	iii) अंडरग्राउंड, ओवरग्राउंड तथा मध्य सुरंग वेंटिलेशन शाफ्ट की ईसीएस एवं टीवीएस प्रणाली पर तीन फेस एसी मोटरों की गति को नियंत्रित करने के लिए वेरिएबल स्पीड ड्राइव (वीएसडी) का उपयोग iv) अंडरग्राउंड स्टेशनों में पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली (ईसीएस) पर ताप भार को कम करने के लिए पूरी ऊंचाई वाले प्लेटफार्म स्क्रीन गेट का उपयोग, जिससे ऊर्जा खपत में लगभग 35% की कमी आने का अनुमान है। v) ट्रेनों से आधुनिक वीवीवीएफ नियंत्रण प्रोपल्शन प्रणाली के उपयोग से ऊर्जा की लगभग 30% पुन: उत्पति। लोड न होने की स्थितियों के दौरान एस्केलेटरों की गति को कम करने के लिए सेंसरों का उपयोग। इससे कोई भार नहीं/निष्क्रिय स्थिति में लगभग 50% ऊर्जा की बचत होगी।
(ii) कंपनी द्वारा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए किए गए उपाय;	एमएमआरसी द्वारा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत अर्थात सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए निम्नलिखित पहल किए जाने की योजना बनाई जा रही है/पहल की जा रही है: i) प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से ओपन एक्सेस द्वारा 50 मेगावाट सौर ऊर्जा का क्रय किए जाने की योजना। ii) 60 किलोवाट सौर ऊर्जा की उत्पति के लिए सभी तीन रिसीविंग सब स्टेशन (आरएसएस) पर रूफ टॉप सोलर पीवी प्लांट की योजना बनाई जा रही है। iii) एमएमएल-3 डिपो में ओसीसी भवन तथा स्टेबलिंग लाइनों के कवर शेड से 2165 किलोवाट सौर ऊर्जा उत्पति की योजना बनाई जा रही है। । इसके अलावा, अपनी हरित प्रतिबद्धताओं के अनुसरण में, एमएमआरसी ने पहले ही एमएमआरसी ट्रांजिट कार्यालय भवन में रूफटॉप माउंटेड सोलर पीवी 75 किलोवाट संयंत्र स्थापित कर दिया है जो नवम्बर, 2018 से कार्यशील है।

(iii) ऊर्जा पर पूंजी निवेश संरक्षण उपकरण;	अब तक 75 किलोवाट रूफटॉप माउंटेड सौर पीवी प्लांट के लिए किया गया पूंजी निवेश 54,49,500 /- रुपए है।
(ख) प्रौद्योगिकी अवशोषण:	
(i) प्रौद्योगिकी अवशोषण के लिए किए जा रहे प्रयास;	i) मेट्रो स्टेशनों पर ट्रेन परिचालन के पीक/नॉन-पीक/नॉन-राजस्व घंटों के दौरान एलईडी लाइटिंग, मूवमेंट डिटेक्टर और ऑप्टिमम लाइटिंग (लक्स स्तर स्वचालित नियंत्रण) ii) विद्युत ऊर्जा को कम करने तथा पहियों और ब्रेक ब्लॉकों की टूट-फूट को कम करने के लिए रिजनरेटिव ब्रेकिंग iii) ऊर्जा कुशल तथा सरल अनुरक्षण योग्य वीवीवीएफ आधारित प्रोपल्शन प्रणाली। iv) कोचों में एलईडी लाइटिंग और वीवीवीएफ ड्राइव इन्वेटर आधारित एयर कंडीशनिंग प्रणाली। v) एमएमएल-3 रिसिविंग सबस्टेशनों में गैस इंसुलेटेड स्विचगियर्स (जीआईएस) का उपयोग किया जा रहा है, जो सुगठित तथा कम अनुरक्षण अपेक्षाओं वाली विश्वसनीय प्रणाली है। vi) टीवीएस तथा ईसीएस के एकीकृत एससीएडीए नियंत्रण के माध्यम से बेहतर यात्री सुविधा और किफायत हो रही है। vii) परिचालन दक्षता को इष्टतम बनाने के उद्देश्य से एमएमएल-3 के लिए अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन (यूटीओ) के साथ संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण (सीबीटीसी) प्रस्तावित है। viii) एमएमएल-3 में एएफसी के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) की शुरुआत की जा रही है। एनसीएमसी कार्ड और मोबाइल ऐप के माध्यम से मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र (एमएमआर) में परिवहन के अन्य तरीकों के साथ अंतरसंचालनीयता के लिए एकीकृत टिकट प्रणाली (आईटीएस) के साथ एकीकृत करने का प्रावधान है। दोनों तरफ ऑडियो-वीडियो स्थानांतरण क्षमता वाला वीडियो ट्रांसमिशन सिस्टम (वीटीएस)।

(ii) लागत कटौती, उत्पादन विकास अथवा आयात प्रतिस्थापन के रूप में प्राप्त लाभ	vi) रोलिंग स्टॉक के प्रमुख उपकरण यथा कनवर्टर/इन्वर्टर यूनिट, स्टेटिक इन्वर्टर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर (वीसीबी), डोर सिस्टम, पेंटोग्राफ, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (वीएसी) आदि स्वदेशी होंगे ii) सिग्नलिंग और टेलीकॉम के प्रमुख उपकरण अर्थात डिपो के लिए प्वाइंट मशीनें, केबल, सिग्नल यूनिट, रियर प्रोजेक्शन स्क्रीन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्यूबिकल, यात्री सूचना डिस्प्ले सिस्टम (पीआईडीएस), फॉल्ट रिपोर्टिंग सिस्टम (एफआरएस), निर्बाध बिजली आपूर्ति (यूपीएस), वॉयस रिकॉर्डिंग सिस्टम (वीआरएस) आदि स्वदेशी स्रोतों से प्राप्त किए जा रहे हैं।
((iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित)।	लागू नहीं (एमएमएल-3 कार्यान्वयन की जा रही एक ग्रीन फील्ड परियोजना है)
(क) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण ; (ख) आयात का वर्ष;	
(ग) क्या प्रौद्योगिकी का पूर्ण अवशोषण कर लिया गया है;	
(घ) यदि पूरी तरह से अवशोषण नहीं हुआ है, तो वे क्षेत्र जहां अवशोषण नहीं हुआ है, तथा उसके कारण; और	
(iv) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय	लागू नहीं
(ग) विदेशी मुद्रा आय और आउटगो :	
वर्ष के दौरान वास्तविक अंतर्प्रवाह के रूप में अर्जित की गई विदेशी मुद्रा तथा वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा का वास्तविक बहिर्प्रवाह	विदेशी मुद्रा आय - शून्य विदेशी मुद्रा व्यय- 5,433,188,245.33/- रुपए

18. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(जी) के उपबंधों के अंतर्गत ऋण, निवेश एवं गारंटी का विवरण

विचाराधीन अवधि के दौरान, कम्पनी ने कोई ऋण नहीं दिया है, कोई निवेश नहीं किए हैं अथवा किसी ऐसे ऋण के प्रति कोई गारंटी नहीं दी है जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(जी) के प्रावधानों के दायरे में हो। कर्मचारियों को 3,75,000/- रुपए (चालू) तथा 4.58,000/- (गैर चालू) ऋण दिया गया है।

19. संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 18(1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ किए गए अनुबंध अथवा व्यवस्थाओं का विवरण निर्धारित प्रारूप एओसी -2 में दिया गया है जो इस रिपोर्ट के 'अनुलग्नक III' में प्रस्तुत है।

20. वार्षिक रिपोर्ट का संक्षेप सार

वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट का संक्षेप सार कम्पनी की वेबसाइट www.mmrcl.com पर प्रस्तुत है।

21. कर्मचारी

(i) ऐसे कोई कर्मचारी नहीं है जो प्रतिमाह 8,50,000 रुपए अथवा प्रतिवर्ष 1,02,00,000 रुपए पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हों।

(ii) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के प्रभाव से सरकारी कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (अध्याय XIII) की अपेक्षाओं के अनुपालन से छूट प्राप्त है। इस प्रकार, अध्याधीन निर्मित नियम अर्थात कम्पनी (प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 का नियम 5 सरकारी कम्पनियों के संबंध में लागू नहीं है।

(iii) इसके अलावा, निदेशक मंडल एतद्वारा यह सूचित करता है कि कम्पनी को "कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (प्रतिषेध, प्रतितोष एवं निवारण) अधिनियम, 2011" के अंतर्गत वर्ष के दौरान किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

22. जोखिम प्रबंधन नीति

कम्पनी की जोखिम प्रबंधन नीति कम्पनी के व्यवसाय के अनुरूप है। निदेशक मंडल के निदेशक / लेखापरीक्षा समिति द्वारा, आवश्यकतानुसार, इसकी नियमित समीक्षा एवं निगरानी की जाती है।

निदेशक मंडल के मतानुसार, कम्पनी के आस्तित्व के सम्मुख किसी प्रकार का कोई सदृश जोखिम व्याप्त नहीं है।

23. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

निदेशक मंडल द्वारा जालसाजियों तथा त्रुटियों, यदि कोई हों, का व्यवस्थित एवं कुशल स्वरूप में पता लगाने के सुनिश्चय के लिए, अन्य के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी की आंतरिक नीतियों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, लेखांकन रिकॉर्ड

की सटीकता एवं पूर्णता के निर्धारण के लिए आंतरिक नीतियां और प्रक्रियाएं स्थापित हैं तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना के निर्माण के लिए प्रणाली व्यवस्थित है।

24. आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानकों के प्रावधानों का अनुपालन

निदेशक मंडल एतद्द्वारा आईसीएसआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118(10) के अंतर्गत एमसीए द्वारा अधिसूचित सचिवीय मानक-1 ("निदेशक मंडल की बैठकें") और सचिवीय मानक-2 ("सामान्य बैठकें") के प्रावधानों के अनुपालन की घोषणा करते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों तथा सामान्य बैठकों के लिए का अनुपालन किया गया है।

25. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

निदेशक एतद्द्वारा यह उल्लेख करते हैं कि:

क) वार्षिक लेखों के निर्माण के दौरान लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण, सामग्री विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ, किया गया था;

ख) निदेशकों द्वारा ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था तथा उनका निरंतर उपयोग किया गया था तथा ऐसे औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत निर्णय एवं अनुमान लगाए थे जिनसे 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कम्पनी के कार्यों तथा उक्त अवधि में कम्पनी के लाभ् की सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति होती हो;

ग) निदेशकों ने कम्पनी की परिसम्पतियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण के करके पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डो के अनुरक्षण करने तथा उन्हें जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाने एवं उनका पता लगाने के लिए यथोचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की है;

घ) निदेशकों द्वारा वार्षिक लेखों का निर्माण गोइंग कंसर्न के आधार पर किया गया है;

ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए आंतरिक लेखांकन नियंत्रणों का निर्धारण किया है तथा ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा वे प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं;

26. दिवालियापन एवं ऋणशोधन संहिता, 2016 के अंतर्गत आवेदन अथवा लंबित कार्यवाही का विवरण

विचाराधीन वर्ष के दौरान, दिवालियापन एवं ऋणशोधन संहिता, 2016 के अंतर्गत कंपनी के नाम पर कोई आवेदन नहीं किया गया अथवा कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी।

27. बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय एकमुश्त निपटान तथा मूल्यांकन के बीच मूल्यांकन राशि के अंतर का विवरण

विचाराधीन वर्ष के दौरान बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों का एकमुश्त निपटान नहीं हुआ है।

28. आभारोक्ति

मैं, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय (भारत सरकार), महाराष्ट्र सरकार, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) तथा भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार के विभिन्न विभागों से प्राप्त सहायता, समर्थन एवं सहयोग के लिए अत्यंत आभारी हूं। मैं निदेशक मंडल के सदस्यों से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन, समर्थन एवं समय समय पर प्राप्त विवेकी मार्गदर्शन के लिए भी आभार अभिव्यक्त करता हूं। हमारे कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों, उनके समर्पण एवं कड़ी मेहनत ने देश के प्रथम पूर्णत: अंडरग्राउंड मेट्रो रेल नेटवर्क की टनलिंग के कार्य की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे यह पूरी आशा है कि हमारा समर्पित दक्षता सम्पन्न कार्यबल, भविष्य में मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यों में भी इसी प्रकार योगदान प्रदान करता रहेगा।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से,
मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

दिनांक:29.09.2023
स्थान: मुम्बई

नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति

क्र. सं.	विषय सूची
1	प्रस्तावना
2	नीति के प्रमुख उद्देश्य
3	प्रभावी तिथि
4	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन
5	परिभाषा
6	उपयोज्यता
7	निदेशक मंडल / प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशकों के लिए नीति की उपयोज्यता
8	समिति के सदस्य
9	समिति का कोरम
10	समिति की बैठकें
11	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति एवं उनकी पदच्युति
12	अवधि / कार्यकाल
13	मूल्यांकन
14	पदच्युति
15	सेवानिवृत्ति
16	निदेशकों / प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों / वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक को पारिश्रमिक की नीति
17	कार्यान्वयन
18	संशोधन

1. प्रस्तावना:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(3) के प्रावधानों के साथ पठित लागू नियमों, विनियमों के अनुसार, कम्पनी द्वारा इस नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति का निर्माण किया गया है। यह नीति सरकारी कंपनियों पर लागू सीमा तक कम्पनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों तथा अन्य वरिष्ठ कर्मचारियों की नियुक्ति पर लागू होगी।

2. नीति के प्रमुख उद्देश्य:

नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:

क) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक एवं वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति तथा पदच्युति के संबंध में निदेशक मंडल का मार्गदर्शन करना।

ख) वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिक अथवा कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना तथा आगे के मूल्यांकन के लिए निदेशक मंडल को आवश्यक रिपोर्ट की प्रस्तुति करना।

ग) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और वरिष्ठ प्रबंधन को देय पारिश्रमिक के लिए निदेशक मंडल को अनुशंसा करना।

3. प्रभावी तिथि:

यह नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन दिए जाने की तिथि से प्रभावी होगी।

4. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन:

निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 5 मार्च, 2016 तथा 27 मई, 2016 को आयोजित अपनी 38वीं एवं 39वीं बैठक में समिति की संदर्भ की शर्तों के साथ नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था।

5. परिभाषाएँ:

- "निदेशक मंडल" से कम्पनी का निदेशक मंडल अभिप्रेत है।
- "निदेशक" का अर्थ कम्पनी का निदेशक है।
- "समिति" से निदेशक मंडल द्वारा गठित अथवा पुनर्गठित कम्पनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति अभिप्रेत है।
- "कम्पनी" का अर्थ मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है।
- यदि कहीं अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है तो "महाराष्ट्र सरकार" अथवा "सरकार" का अभिप्राय महाराष्ट्र राज्य सरकार है।
- "केंद्र सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है। भारत सरकार में भारत के राष्ट्रपति अथवा उनके किसी नामांकित व्यक्ति शामिल हैं।
- "स्वतंत्र निदेशक" का अर्थ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) में की गई निर्दिष्टि के अनुसार निदेशक है।
- "वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक" से निदेशक मंडल के अलावा कम्पनी के वे कार्मिक अभिप्रेत हैं जो प्रमुख प्रबंधन दल के सदस्य हैं। इसमें कार्यात्मक प्रमुखों सहित, कार्यपालक निदेशक स्तर से एक स्तर नीचे, चाहे उनका पदनाम कुछ भी हो, के प्रबंधन के सभी सदस्य शामिल होंगे।

यदि प्रसंग में कहीं अन्यथा अपेक्षित नहीं है तो इस नीति में प्रयुक्त तथा इसमें परिभाषित न किए गए शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, परंतु जो समय समय पर संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित हैं, के लिए क्रमश: वही अर्थ अभिप्रेत होगा जो उनके लिए निर्दिष्ट है।

6. प्रयोज्यता:

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के उपबंधों के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक नीति की प्रयोज्यता निम्नानुसार होगी:

क. कार्यात्मक/पूर्णकालिक निदेशक (कम्पनी के कर्मचारी के रूप में तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामांकित अथवा नियुक्ति के लिए नहीं)

ख. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (कम्पनी के कर्मचारी के रूप में)

ग. वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक

घ. अन्य कर्मचारी

संगम अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसरण में कम्पनी के निदेशक मंडल में महाराष्ट्र सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा नियुक्त निदेशकों पर इस नीति में से कुछ भी लागू नहीं होगा।

7. निदेशक मंडल/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशकों के लिए नीति की प्रयोज्यता:

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) तथा कम्पनी के संगम अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसरण में, धारा 178 की उप-धारा (2), (3) तथा (4) के प्रावधान कम्पनी के निदेशक मंडल के निदेशकों (यदि वे कम्पनी के कर्मचारी नहीं हैं) के लिए लागू नहीं हैं।

एक सरकारी कम्पनी तथा कम्पनी के संगम अनुच्छेद के प्रभाव से, प्रबंध निदेशक के कार्यकाल, के संदर्भ में, प्रबंध निदेशक के नियम, शर्तें, कार्यकाल, परिस्थितियों एवं पारिश्रमिक का निर्धारण महाराष्ट्र सरकार अथवा भारत सरकर द्वारा किया जाता है। तदनुसार, प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक, जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की गई है, की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक के संबंध में इस नीति में से कुछ भी लागू नहीं होगा।

इसके अलावा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) अनुसार; प्रमुख प्रबंधन कार्मिक से संबंधित धारा 203 की उप-धारा (1), (2), (3) और (4) के प्रावधान किसी सरकारी कम्पनी के प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशकों के संबंध में लागू नहीं हैं। इस प्रकार, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक से संबंधित इस नीति में प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कुछ भी लागू नहीं होगा।

कम्पनी के संगम अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार तथा भारत सरकार को कम्पनी के निदेशक मंडल में कुछ निदेशकों को नामित करने तथा नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसी नियुक्तियाँ इस नीति के दायरे से बाहर होंगी।

8. समिति के सदस्य:

समिति में न्यूनतम 3 निदेशक शामिल होंगे। समिति में स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत अर्थात 50% से अधिक होगा। समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा।

9. समिति का कोरम (गणपूर्ति)

समिति का कोरम न्यूनतम 2 निदेशक होगा।

10. समिति की बैठकें

समिति द्वारा उचित समझे गए समय तथा अंतराल के अनुसार अपनी बैठकों का आयोजन किया जाएगा। समिति क बैठकों का आयोजन समिति के सदस्यों के लिए सुविधाजनक किसी भी स्थल पर किया जा सकेगा। किसी सांविधिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिबंधित किए गए मामलों के अलावा, समिति द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समिति की बैठकों के आयोजन के प्रावधान किए जा सकेंगे।

किसी प्रवर्तित सांविधिक व्यवस्था के अंतर्गत यदि विशेष रूप से कोई प्रतिबंध नहीं हैं तो समिति की बैठक में पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित कोई भी संकल्प सर्कुलेशन के माध्यम से भी पारित किए जा सकेंगे।

क. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथ पदच्युति

क) समिति द्वारा सत्यनिष्ठा, अर्हता; विशेषज्ञता तथा अनुभव को संज्ञान में लेकर तथा ज्ञात करके, किसी व्यक्ति की प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर नियुक्ति के लिए, कम्पनी की नीति के अनुसार, अनुशंसा की जा सकेगी।

ख) किसी व्यक्ति के पास उस पद के लिए पर्याप्त अर्हता, विशेषज्ञता तथा अनुभव होना चाहिए जिसके लिए उसकी नियुक्ति विचाराधीन है। समिति को किसी व्यक्ति द्वारा धारित अर्हता, विशेषज्ञता तथा अनुभव को पद के लिए पर्याप्त / संतोषजनक माने जाने अथवा न माने जाने का प्राधिकार प्राप्त है।

ग) कम्पनी द्वारा सत्तर वर्ष की आयु से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को पूर्णकालिक निदेशक के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा अथवा पद पर रोजगार नहीं करने दिया जाएगा। परंतु यह कि, शेयरधारकों के अनुमोदन से विशेष संकल्प पारित करके पद पर कार्यरत व्यक्ति का कार्यकाल सत्तर वर्ष की आयु से अधिक विस्तारित किया जा सकेगा।

11. कार्य अवधि/कार्यकाल

प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशकः

महाराष्ट्र सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति किए जाने तक, उनकी कार्य उपबंध तथा कार्यकाल का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता रहेगा।

स्वतंत्र निदेशकः

कम्पनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक द्वारा निरंतर पांच वर्षों तक पद का धारण किया जा सकेगा तथा वे कम्पनी द्वारा पारित विशेष संकल्प द्वारा पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे तथा उनकी ऐसी नियुक्ति का प्रकटीकरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट में किया जाएगा।

किसी भी स्वतंत्र निदेशक द्वारा 5 वर्ष प्रत्येक की अवधि के दो निरंतर कार्यकाल से अधिक पद का धारण नहीं किया जा सकेगा, परन्तु ऐसे स्वतंत्र निदेशक, तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात, स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

परंतु, तीन वर्ष की उक्त अवधि के दौरान, किसी भी स्वतंत्र निदेशक की किसी अन्य क्षमता में, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूप में, नियुक्ति नहीं की जाएगी अथवा सम्बद्धता नहीं होगी।

12. मूल्यांकन

समिति द्वारा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के निष्पादन का मूल्यांकन वार्षिक अथवा उचित समझे गए किसी अंतराल में किया जा सकेगा।

13. पदच्युति

समिति लिखित रूप में कारण सूचित करके किसी प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक की पदच्युति की अनुशंसा, कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, नियमों एवं विनियमों तथा कम्पनी की नीति के अनुपालन की शर्त पर, की जा सकेगी।

14. सेवानिवृत्ति

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक की सेवानिवृत्ति अधिनियम के लागू प्रावधानों तथा कम्पनी की लागू नीति के अनुसरण में होगी। निदेशक मंडल को, कम्पनी के हित में, किसी प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक को सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने के पश्चात भी समान पद / पारिश्रमिक पर अथवा भिन्न प्रकार से सेवा पर बनाए रखने का विवेकाधिकार प्राप्त है।

15. निदेशकों/प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों / वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए पारिश्रमिक की नीति

गैर-कार्यकारी/स्वतंत्र निदेशकों को पारिश्रमिक:

क) गैर-कार्यकारी / स्वतंत्र निदेशक को कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमत बैठक शुल्क तथा अन्य पारिश्रमिक चुकता किए जा सकते हैं। बैठक शुल्क की राशि, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा अनुशंसित एवं निदेशक मंडल द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार होगी।

ख) गैर-कार्यकारी /स्वतंत्र निदेशकों के सभी पारिश्रमिक (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (5) के अंतर्गत निर्धारित बैठकों में भाग लेने के पारिश्रमिक के अलावा) कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों अथवा अन्य अद्यतन प्रवर्तित विधि व्यवस्था के अनुसार निर्धारित ऊपरी सीमा / सीमा के अनुसार होगी। ऐसे पारिश्रमिक की राशि की अनुशंसा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा की जाएगी तथा इसका अनुमोदन निदेशक मंडल अथवा शेयरधारकों, जैसा भी मामला हो, द्वारा दिया जा सकेगा।

ग) स्वतंत्र निदेशक स्टॉक विकल्प प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे तथा न ही वे कम्पनी की किसी शेयर आधारित भुगतान योजनाओं में प्रतिभागिता के पात्र होंगे।

घ) यदि निम्नलिखित परिस्थितियां संतुष्ट होती हैं तो व्यावसायिक प्रकृति की सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर-कार्यकारी / स्वतंत्र निदेशकों को चुकता किए गए पारिश्रमिक को उपर्युक्त खंड (ख) के उद्देश्य से पारिश्रमिक का भाग नहीं माना जाएगा:

i. निदेशक द्वारा अपनी क्षमता में प्रदान की गई सेवाएं; तथा

ii. समिति के मतानुसार, यदि निदेशक के पास ऐसे व्यवसाय के निर्वाह के लिए अपेक्षित अर्हता है।

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन को पारिश्रमिक:

क. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन के पारिश्रमिक में, कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा कम्पनी की नीति के अनुसरण में, उचित समझे गए अनुसार नियत वेतन एवं प्रोत्साहन वेतन शामिल होगा।

ख. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन के पारिश्रमिक का निर्धारण बाजार मानकों अथवा महाराष्ट्र सरकार तथा भारत सरकार के विनियमों के उपबंधों के अनुसार किया जा सकेगा।

16. कार्यान्वयन

क. इस पारिश्रमिक नीति का उपयोग प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा निदेशक मंडल सहित कम्पनी के वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों के साथ किए जाने वाले प्रत्येक भावी नियोजन अनुबंध के लिए अर्थात निदेशक मंडल द्वारा इस नीति को अंगीकार किए जाने के पश्चात की जाने वाली नियुक्तियों के लिए लागू होगा। निदेशक मंडल द्वारा इस नीति को अंगीकार किए जाने से पूर्व की गई किसी नियुक्ति के लिए ऐसी नियुक्तियों के नियमों एवं शर्तों में संशोधन, आशोधन अथवा किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने के समय इस नीति के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित होगा।

ख. अन्य मामलों में, पारिश्रमिक नीति निदेशक मंडल के लिए मार्गदर्शक होगी। इस नीति के किसी अथवा सभी प्रावधान कम्पनी अधिनियम, 2013, संबंधित नियमों, विनियमों, समय समय पर सूचित विषय से संबंधित दिशानिर्देशों में किए जाने वाले परिवर्तन / संशोधन की शर्त के अध्याधीन होंगे। ऐसे संशोधन, स्वयंमेव, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा / अथवा निदेशक मंडल से किसी प्रकार के अनुमोदन की प्राप्ति की आवश्यकता के बिना, नीति में संशोधन किए बिना, प्रभावी होंगे। तथापि, ऐसे संशोधन इस नीति के साथ नत्थी किए जा सकते हैं तथा संबंधित व्यक्ति के लिए तत्काल संदर्भ के उद्देश्य से इन्हें कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है तथा अगली बैठक में प्रस्तुति के लिए इसे नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा निदेशक मंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है।

ग. समिति द्वारा यथोचित पाए जाने की स्थिति में इस नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए अनुपूरक के रूप में दिशानिर्देश, प्रक्रियाएं, प्रारूप, रिर्पोटिंग तंत्रव्यवस्था एवं मैनुअल जारी किए जा सकते हैं।

घ. समिति द्वारा अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किसी एक अथवा अधिक सदस्यों को किया जा सकेगा।

17. संशोधन

निदेशक मंडल द्वारा किसी भी समय, कोई कारण सूचित किए बिना, इस नीति में संशोधन अथवा आशोधन अथवा परिवर्तन किया जा सकेगा। बिना कोई कारण बताए किसी भी समय इस नीति में संशोधन अथवा आशोधन किया जा सकता है। ऐसे आशोधन अथवा संशोधन अथवा परिवर्तन इस नीति का परिशिष्ट होंगे तथा इसके संबंध में निदेशक मंडल की बैठक तथा समिति की बैठक के कार्यवृत्त में उल्लेख रिकॉर्डबद्ध किया जाएगा।

"अनुलग्नक -II"

वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वों की वार्षिक रिपोर्ट

1. कम्पनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति की संक्षिप्त रूपरेखा :

मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का उद्देश्य शिक्षा एवं कौशल विकास, स्वास्थ्य और कल्याण तथा जैव विविधता सहित पर्यावरणीय संवहनीयता, ऊर्जा एवं जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करके समुदाय की देखभाल करना है। इस उद्देश्य में समाज के वंचित वर्ग को अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार के अवसर प्रदान करने के लिए सहायता भी प्रदान करना शामिल है। प्रारंभ की गई परियोजनाएं कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के व्यापक रूपरेखा के अनुसार होंगी। कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तथा कम्पनी द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का विवरण कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायितव समिति की संरचना :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों में प्रतिभागिता
1	श्री भूषण गगरानी	अध्यक्ष	1	1
2	श्रीमती अश्विनी भिडे*	सदस्य	1	1
3	श्री अजयकुमार ए भट्ट	सदस्य	1	1

* श्रीमती अश्विनी भिडे को दिनांक 12 जुलाई, 2022 से प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

3. कृपया सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं के संबंध में कम्पनी की वेबसाइट पर किए गए प्रकटीकरण का वेबलिंक प्रदान करें।

कम्पनी की सीएसआर समिति की संरचना की जानकारी ऊपर सूचित की गई है तथा यह कम्पनी की वेबसाइट www.mmrcl.com पर उपलब्ध है।

सीएसआर नीति – www.mmrcl.com

सीएसआर परियोजनाएं– लागू नहीं

4. कृपया कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में जारी की गई सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें): लागू नहीं

5. कृपया कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का विवरण तथा वित्तीय वर्ष में सेट-ऑफ के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो, का विवरण प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्व वित्तीय वर्षों से सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपए में)	वित्तीय वर्ष में सेट-ऑफ के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो (रुपए में)
लागू नहीं			

6. धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी का औसत निवल लाभः

पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों का औसत निवल लाभ निम्नानुसार है:

राशि लाख में

वित्तीय वर्ष	कर पूर्व लाभ	तीन वर्षों का औसत
2020-21	(2068.02)	(2443.42)
2021-22	(2199.25)	
2022-23	(3062.98)	
योग	(7330.25)	

6. (क) धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशतः (48.868)

(ख) पिछले वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष : शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष में सेट-ऑफ के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो (रुपए में): शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष के कुल सीएसआर दायितव (7क+7ख- 7ग): शून्य

7. (क) वित्तीय वर्ष में व्यय की गई अथवा व्यय न की गई सीएसआर राशिः लागू नहीं

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान जारी परियोजनाओं के प्रति व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण : लागू नहीं

(ग) वित्तीय वर्ष की जारी परियोजनाओं के अलावा अन्यों में से व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण : लागू नहीं

(घ) प्रशासनिक ओवरहैड के लिए व्यय की गई राशि : शून्य

(ङ) प्रभाव मूल्यांकन, यदि लागू है, के लिए व्यय की गई राशि : शून्य

(च) वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ): शून्य

(छ) सेट-ऑफ के लिए अधिक व्यय, यदि कोई हो

क्र. सं.	विवरण	राशि
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी के लाभ का औसत दो प्रतिशत	(48.868)
(ii)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि	लागू नहीं
(iii)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई अधिक राशि [(ii)-(i)]	लागू नहीं
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों में से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	लागू नहीं
(v)	अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	लागू नहीं

8. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में व्यय न की गई सीएसआर राशि का विवरण: शून्य

   (ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की जारी परियोजनाओं के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण : शून्य

9. यदि पूंजी परिसम्पतियों का सृजन अथवा अधिग्रहण किया है तो सीएसआर राशि में से वित्तीय वर्ष के दौरान सृजित अथवा अधिग्रहित परिसम्पति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें: शून्य

10. यदि कम्पनी द्वारा धारा 135(5) के प्रावधानों के अंतर्गत औसत निवल लाभ के दो प्रतिशत का व्यय नहीं किया गया है तो उसका / उसके कारण प्रस्तुत करें – लागू नहीं

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त
मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के अध्यक्ष

फार्म संख्या एमआर - 3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए)

{कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कम्पनी (नियुक्ति एवं प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में}

सेवा में,

सदस्य गण,
मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
ट्रांजिट कार्यालय, ई-ब्लॉक
सिटी पार्क की उत्तरी साइड,
आयकर कार्यालय के पीछे,
ए-विंग बांद्रा (पूर्व), बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स,
मुम्बई – 400051

हमने **मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीआईएन- U60100MH2008SGC181770)**, (एतद्द्वारा 'कम्पनी' के नाम से संबोधित), का लागू सांविधिक प्रावधानों एवं उत्तम निगमित व्यवहारों का अनुपालन किए जाने के लिए सचिवीय लेखापरीक्षण किया है। सचिवीय लेखापरीक्षा का आयोजन ऐसी विधि से किया गया है जिससे हमें अपने मत की अभिव्यक्ति के लिए कॉर्पोरेट आचरण / सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन के लिए औचित्यपरक आधार की प्राप्ति हो सके।

कम्पनी का प्रबंधन सचिवीय रिकॉर्डों के निर्माण तथा अनुरक्षण तथा लागू विधियों एवं विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली के निर्माण के लिए उत्तरदायी है।

हमारा उत्तरदायित्व सचिवीय रिकॉर्डों, मानकों तथा कम्पनी द्वारा सचिवीय अनुपालनों के संबंध में अनुसरण की जा रही प्रक्रियाओं के संबंध में अपने मत की अभिव्यक्ति करना है।

हमारा मानना है कि लेखापरीक्षा प्रमाणों एवं कम्पनी के प्रबंधन से प्राप्त सूचना से हमें अपने मत की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त एवं यथोचित आधार प्राप्त हुए हैं।

हमारे द्वारा कम्पनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों एवं दाखिल की गई विवरणियों तथा कम्पनी द्वारा अनुरक्षित किए गए अन्य रिकॉर्ड तथा साचिविक लेखापरीक्षण का निर्वाह किए जाने के दौरान कम्पनी, इसके अधिकारियो, एजेंटों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा भी हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के संबंध में की गई जांच के आधार पर:

हम एतद्द्वारा, यह सूचित करते हैं कि हमारे मतानुसार **31 मार्च, 2023** को समाप्त वित्तीय वर्ष की समाहित लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का पूर्णत अनुसरण किया गया है तथा कम्पनी में यहां किए गए उल्लेख के अनुसार निदेशक मंडल प्रक्रियाएं एवं अनुसरण की तंत्रव्यवस्था, रिपोर्टिंग किए जाने की शर्त के साथ, यथोचित ढंग से की गई है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों का अनुसरण किए जाने के संदर्भ में **31 मार्च, 2023** को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों एवं दाखिल की गई विवरणियों तथा कम्पनी द्वारा अनुरक्षित किए गए अन्य रिकॉर्ड की जांच की है :-

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियम; **लागू**

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियम; **विचाराधीन अवधि के लिए लागू नहीं**

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा उसके अध्याधीन निर्मित विनियम एवं उप नियम; **विचाराधीन अवधि के लिए लागू नहीं**

(iv) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम; **विचाराधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं**

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश : **विचाराधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं**

क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूत ऋण लिखतों का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता) विनियम 2008 : **लागू नहीं**

ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 : **लागू नहीं**

ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2018 : **लागू नहीं**

घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2021 : **लागू नहीं**

ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 : **लागू नहीं**

च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2021 : **लागू नहीं**

छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 2018 : **लागू नहीं**

ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 : **लागू नहीं**

झ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 : **लागू नहीं**

(vi) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के लिए निर्मित नियम तथा विनियम : लागू नहीं

(vii) कराधान कानून तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियम, नामत:

क) आयकर अधिनियम, 1961;

ख) वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017;

ग) स्रोत पर कर कटौती;

(viii) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965;

(ix) उपदान भुगतान अधिनियम, 1972

(x) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध अधिनियम, 1952

(xi) कारखाना अधिनियम, 1948;

(xii) कम्पनी के संबंध में लागू निम्नलिखित क्षेत्र विशिष्ट कानून

(क) मेट्रो रेलवे (विनिर्माण कार्य) अधिनियम, 1978

(ख) मेट्रो रेलवे (परिचालन एवं अनुरक्षण) अधिनियम, 2002

(ग) मेट्रो रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2002

(घ) मेट्रो रेलवे अधिनियम, 1890

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सैक्रेटरिज्स ऑफ इंडिया (भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान) द्वारा निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) तथा आम सभाओं (एसएस-2) के संबंध में जारी साचिविक मानकों का अनुपालन लागू खंडों के अनुसार किए जाने की भी जांच की है।

हमें ज्ञात हुई जानकारी के अनुसार हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि :

कम्पनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों तथा महिला निदेशक के विधिवत संतुलन के साथ किया गया है। विचाराधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में किए गए परिवर्तन अधिनियम के उपबंधों का अनुसरण करते हुए किए गए हैं ।

प्रबंधन ने हमें यह भी सूचित किया है कि कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय, क्षेत्रीय निदेशक-पश्चिमी क्षेत्र के कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी अन्य प्राधिकारी जैसे क्षेत्र से संबंधित विनियामकों से उन्हं 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान किसी प्रकार का नोटिस अथवा पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी के आकार तथा परिचालनों के अनुरूप तथा प्रबंधन द्वारा दी गई प्रस्तुति के अनुसार कम्पनी में पर्याप्त प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं स्थापित हैं जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी तथा सुनिश्चय के लिए पर्याप्त हैं।

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कम्पनी के प्रबंधन द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :-

कार्यवृत्तों में किए गए रिकॉर्ड के अनुसार निदेशक मंडल अथवा मंडल की समितियों की बैठकों में लिए गए सभी निर्णय, जैसे भी मामलें हों, एकमत रूप से लिए गए हैं ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान की गई नियुक्तियां

(i) श्री अश्विनी भिडे (डीआईएन-02861008) को दिनांक 12.7.2022 से कम्पनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

(ii) श्रीमती नमिता मलहौत्रा (डीआईएन- 07916304) को दिनांक 27.4.2022 से कम्पनी महिला नामित निदेशक नियुक्त किया गया है।

(iii) श्री राकेश चौधरी (डीआईएन- 09495362) की नियुक्ति दिनांक 24.5.2022 से कम्पनी में नामित निदेशक नियुक्त किया गया है।

वित्तीय वर्ष2022-23 के दौरान सेवा समाप्ति :

(i) श्री अजयकुमार अमरनाथ भट (डीआईएन- 07110097) दिनांक 5.2.2023 से कम्पनी के निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

(ii) श्री श्याम सुन्दर दुबे (डीआईएन- 06601151) दिनांक 4.8.2022 से कम्पनी में निदेशक नहीं हैं।

(iii) श्री इकबाल सिंह चहल (डीआईएन- 08727394) नामित निदेशक ने दिनांक 25.9.2022 से निदेशक का पद त्याग दिया है।

शेयर आबंटन

(i) कम्पनी द्वारा राइट इश्यु जारी किए जाने के अनुसरण मं दिनांक 16 जून, 2022 को 100 रुपए मूल्य प्रत्येक के 2,00,00,000 इक्विटी शेयर जारी किए गए हैं।

(ii) कम्पनी द्वारा राइट इश्यु जारी किए जाने के अनुसरण मं दिनांक 22 अगस्त, 2022 को 100 रुपए मूल्य प्रत्येक के 1,98,20,000 इक्विटी शेयर जारी किए गए हैं।

यह उल्लेख किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा लागू अन्य प्रावधानों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है।

हमने, हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरणों, सौंपे गए कार्यों के संबंध में हमें प्रदान की गई अपेक्षित सूचना सहित लागू कानूनों के अंतर्गत कम्पनी द्वारा अनुपालन के लिए स्थापित प्रणालियों तथाा तंत्रव्यवस्था के संबंध में कम्पनी तथा इसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रस्तुत प्रस्तुतियों को विचार में लिया है। हमारे द्वारा परीक्षण आधार पर कम्पनी द्वारा अनुसरण की जा रही प्रक्रिया की जांच अपेक्षित प्रावधानों, जो प्रस्तुत मामले के संबंध में उचित समझी गई थी, के अनुसार अपेक्षाओं के अनुपालन के सुनिश्चय के लिए की गई थी। हम आगे यह भी सूचित करना चाहते हैं कि ये अनुपालन न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता के संबंध में किसी प्रकार का आश्वासन है और न ही यह उस कौशल अथवा प्रभावशीलता से संबंधित है जिसके साथ प्रबंधन द्वारा अपने कार्यों का संपादन किया गया है।

हम आगे यह भी सूचित करना चाहते हैं कि यह न तो किसी प्रकार की लेखापरीक्षा है और न ही यह कम्पनी के वित्तीय क्रियाकलापों / विवरणों के संबंध में किसी मत की अभिव्यक्ति है।

इसके अलावा, हमने इस रिपोर्ट में उल्लिखित कम्पनी के संबंध में लागू हो सकने वाले कानूनों के अलावा किसी अन्य कानून से संबंधित किसी मामले, ऊपर उल्लिखित कॉर्पोरेट एवं भारत संघ के अन्य कानूनों के अलावा, को कवर नहीं किया है।

(प्रसांत कुमार सरकार)
पदनामित साझेदार
सदस्यता संख्या - 6996
सीओपी संख्या - 6534
यूडीआईएन- FO06996E000655281

दिनांक : 21.7.2023
स्थान : मुम्बई कृते, पेससैटर कॉर्पोरेट साल्युशन एलएलपी

इस रिपोर्ट का पठन हमारे समतिथि के पत्र के साथ किया जाना है जो **अनुलग्नक-क** के रूप में संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

नोट : प्रस्तुत रिपोर्ट में की गई अभिव्यक्ति प्राप्त सूचना, तथ्यों एवं कम्पनी प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई इनपुट पर आधारित है।

फार्म संख्या एमआर - 3

अनुलग्नक 'क'

सेवा में,

सदस्य गण,
मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
ट्रांजिट कार्यालय, ई-ब्लॉक
सिटी पार्क की उत्तरी साइड,
आयकर कार्यालय के पीछे,
ए-विंग बांद्रा (पूर्व), बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स,
मुम्बई – 400051

इस रिपोर्ट का पठन हमारी समतिथि की रिपोर्ट के साथ किया जाना है।

हमने **31 मार्च, 2023** को समाप्त वर्ष के लिए की गई सचिवीय लेखापरीक्षा के आयोजन के लिए सचिवीय रिकॉर्डों के अनुरक्षण का दायितव कम्पनी के प्रबंधन का है। हमारा दायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, अपने मत की अभिव्यक्ति करना है।

हमने सचिवीय रिकॉर्डों के सार की सत्यपरकता के संबंध में औचित्यपरक आश्वासन की प्राप्ति के लिए उचित समझे गए लेखापरीक्षा व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है। यह सत्यापन परीक्षण आधार पर सचिवीय रिकॉर्डों में पस्तुत तथ्यों के सुनिश्चय के लिए किया गया था। हमारा ऐसा मानना है कि, हमारे द्वारा अनुसरण की गई प्रक्रियाएं तथा व्यवहार हमारे मत के निर्माण के लिए औचित्यपरक आधार हैं।

हमने कम्पनी के वित्तीय रिकॉर्डों तथा लेखा बहियों की सटीकता का सत्यापन नहीं किया है। जहां कहीं अपेक्षित हुआ है, हनने प्रबंधन से कानूनों, नियमों तथा विवरणों एवं घटनाओं के घटित होने इत्यादि के संबंध में प्रबंधन से प्रस्तुतियां प्राप्त की हैं।

प्रावधानों तथा अन्य लागू कानूनों, विनियमों, मानकों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमारे द्वारा की गई जांच, कम्पनी के संबंध में लागू, प्रक्रियाओं की परीक्षण आधार पर जांच किए जाने तक सीमित थी।

हम आगे यह भी सूचित करना चाहते हैं कि यह न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता के संबंध में किसी प्रकार का आश्वासन है और न ही यह उस कौशल अथवा प्रभावशीलता से संबंधित है जिसके साथ प्रबंधन द्वारा अपने कार्यों का संपादन किया गया है।

कृते, पेससैटर कॉर्पोरेट साल्युशन एलएलपी

(प्रसांत कुमार सरकार)
पदनामित साझेदार
सदस्यता संख्या - 6996
सीओपी संख्या - 6534
यूडीआईएन- FO06996E000655281

दिनांक : 21.7.2023
स्थान: मुम्बई

फार्म संख्या एओसी – 2

वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित निदेशक रिपोर्ट का अनुलग्नक – IV

(कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 134 की उपधारा(3) के खंड-वाक्य (एच) के अनुसरण में)

तृतीय पक्षकार के परंतुक के अंतर्गत कतिपय आर्म-लेंथ संव्यवहारों सहित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के उप-खंड (1) में संदर्भित सम्बद्ध पक्षकारों के साथ कम्पनी द्वारा की गई संविदाओं / व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण हेतु फार्म

1	संविदाओ अथवा संव्यवहारों का विवरण जो आर्म- लेंथ आधार पर नहीं है	
(क)	सम्बद्ध पक्षकारों के नाम तथा संबंध की प्रकृति	लागू नहीं
(ख)	संविदाओं/ व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की प्रकृति	
(ग)	संविदाओं/ व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की अवधि	
(घ)	मूल्य सहित अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा संव्यवहारों के प्रमुख उपबंध, यदि कोई हो	
(ङ.)	ऐसे अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा संव्यवहारों के निष्पादन का औचित्य	
(च)	निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन दिए जाने की तिथि, यदि कोई हो	
(छ)	अग्रिम के रूप में चुकता राशि, यदि कोई हो:	
(ज)	धारा 188 के परंतुक की अपेक्षा के अनुसार किस तिथि को आम सभा में विशेष संकल्प पारित किया गया	

2	आर्म्स लैंथ आधार पर किए गए अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा संव्यवहारों का विवरण	
(क)	सम्बद्ध पक्षकारों के नाम तथा संबंध की प्रकृति	लागू नहीं
(ख)	संविदाओं/ व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की प्रकृति	
(ग)	संविदाओं/ व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की अवधि	
(घ)	मूल्य सहित अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा संव्यवारों के प्रमुख उपबंध, यदि कोई हो	
(ङ.)	निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन दिए जाने की तिथि, यदि कोई हो	
(च)	अग्रिम के रूप में चुकता राशि, यदि कोई हो	

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त
मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.09.2023

फार्म संख्या एमआर - 3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए)

{कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कम्पनी (नियुक्ति एवं प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में}

सेवा में,

सदस्य गण,
मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
ट्रांजिट कार्यालय, ई-ब्लॉक
सिटी पार्क की उत्तरी साइड,
आयकर कार्यालय के पीछे,
ए-विंग बांद्रा (पूर्व), बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स,
मुम्बई – 400051

हमने **मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीआईएन- U60100MH2008SGC181770)**, (एतद्वारा 'कम्पनी' के नाम से संबोधित), का लागू सांविधिक प्रावधानों एवं उत्तम निगमित व्यवहारों का अनुपालन किए जाने के लिए सचिवीय लेखापरीक्षण किया है। सचिवीय लेखापरीक्षा का आयोजन ऐसी विधि से किया गया है जिससे हमें अपने मत की अभिव्यक्ति के लिए कॉर्पोरेट आचरण / सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन के लिए औचित्यपरक आधार की प्राप्ति हो सके।

कम्पनी का प्रबंधन सचिवीय रिकॉर्डों के निर्माण तथा अनुरक्षण तथा लागू विधियों एवं विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली के निर्माण के लिए उत्तरदायी है।

हमारा उत्तरदायित्व सचिवीय रिकॉर्डों, मानकों तथा कम्पनी द्वारा सचिवीय अनुपालनों के संबंध में अनुसरण की जा रही प्रक्रियाओं के संबंध में अपने मत की अभिव्यक्ति करना है।

हमारा मानना है कि लेखापरीक्षा प्रमाणों एवं कम्पनी के प्रबंधन से प्राप्त सूचना से हमें अपने मत की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त एवं यथोचित आधार प्राप्त हुए हैं।

हमारे द्वारा कम्पनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों एवं दाखिल की गई विवरणियों तथा कम्पनी द्वारा अनुरक्षित किए गए अन्य रिकॉर्ड तथा साचिविक लेखापरीक्षण का निर्वाह किए जाने के दौरान कम्पनी, इसके अधिकारियो, एजेंटों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा भी हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के संबंध में की गई जांच के आधार पर:

हम एतद्वारा, यह सूचित करते हैं कि हमारे मतानुसार **31 मार्च, 2023** को समाप्त वित्तीय वर्ष की समाहित लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का पूर्णत अनुसरण किया गया है तथा कम्पनी में यहां किए गए उल्लेख के अनुसार निदेशक मंडल प्रक्रियाएं एवं अनुसरण की तंत्रव्यवस्था, रिपोर्टिंग किए जाने की शर्त के साथ, यथोचित ढंग से की गई है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों का अनुसरण किए जाने के संदर्भ में **31 मार्च, 2023** को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों एवं दाखिल की गई विवरणियों तथा कम्पनी द्वारा अनुरक्षित किए गए अन्य रिकॉर्ड की जांच की है :-

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियम; **लागू**

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियम; **विचाराधीन अवधि के लिए लागू नहीं**

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा उसके अध्याधीन निर्मित विनियम एवं उप नियम; **विचाराधीन अवधि के लिए लागू नहीं**

(iv) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम; **विचाराधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं**

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश : **विचाराधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं**

क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूत ऋण लिखतों का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता) विनियम 2008 : **लागू नहीं**

ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 : **लागू नहीं**

ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2018 : **लागू नहीं**

घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2021 : **लागू नहीं**

ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 : **लागू नहीं**

च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2021 : **लागू नहीं**

छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 2018 : **लागू नहीं**

ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 : **लागू नहीं**

झ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 : **लागू नहीं**

(vi) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के लिए निर्मित नियम तथा विनियम : लागू नहीं

(vii) कराधान कानून तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियम, नामत:

क) आयकर अधिनियम, 1961;

ख) वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017;

ग) स्रोत पर कर कटौती;

(viii) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965;

(ix) उपदान भुगतान अधिनियम, 1972

(x) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध अधिनियम, 1952

(xi) कारखाना अधिनियम, 1948;

(xii) कम्पनी के संबंध में लागू निम्नलिखित क्षेत्र विशिष्ट कानून

(क) मेट्रो रेलवे (विनिर्माण कार्य) अधिनियम, 1978

(ख) मेट्रो रेलवे (परिचालन एवं अनुरक्षण) अधिनियम, 2002

(ग) मेट्रो रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2002

(घ) मेट्रो रेलवे अधिनियम, 1890

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सैक्रेटरिज्स ऑफ इंडिया (भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान) द्वारा निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) तथा आम सभाओं (एसएस-2) के संबंध में जारी साचिविक मानकों का अनुपालन लागू खंडों के अनुसार किए जाने की भी जांच की है।

हमें ज्ञात हुई जानकारी के अनुसार हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि :

कम्पनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों तथा महिला निदेशक के विधिवत संतुलन के साथ किया गया है। विचाराधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में किए गए परिवर्तन अधिनियम के उपबंधों का अनुसरण करते हुए किए गए हैं।

प्रबंधन ने हमें यह भी सूचित किया है कि कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय, क्षेत्रीय निदेशक-पश्चिमी क्षेत्र के कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी अन्य प्राधिकारी जैसे क्षेत्र से संबंधित विनियामकों से उन्हं 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान किसी प्रकार का नोटिस अथवा पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी के आकार तथा परिचालनों के अनुरूप तथा प्रबंधन द्वारा दी गई प्रस्तुति के अनुसार कम्पनी में पर्याप्त प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं स्थापित हैं जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी तथा सुनिश्चय के लिए पर्याप्त हैं।

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कम्पनी के प्रबंधन द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :-

कार्यवृत्तों में किए गए रिकॉर्ड के अनुसार निदेशक मंडल अथवा मंडल की समितियों की बैठकों में लिए गए सभी निर्णय, जैसे भी मामलें हों, एकमत रूप से लिए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान की गई नियुक्तियां

(i) श्री अश्विनी भिडे (डीआईएन-02861008) को दिनांक 12.7.2022 से कम्पनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

(ii) श्रीमती नमिता मलहौत्रा (डीआईएन- 07916304) को दिनांक 27.4.2022 से कम्पनी महिला नामित निदेशक नियुक्त किया गया है।

(iii) श्री राकेश चौधरी (डीआईएन- 09495362) की नियुक्ति दिनांक 24.5.2022 से कम्पनी में नामित निदेशक नियुक्त किया गया है।

वित्तीय वर्ष2022-23 के दौरान सेवा समाप्ति :

(i) श्री अजयकुमार अमरनाथ भट (डीआईएन- 07110097) दिनांक 5.2.2023 से कम्पनी के निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

(ii) श्री श्याम सुन्दर दुबे (डीआईएन- 06601151) दिनांक 4.8.2022 से कम्पनी में निदेशक नहीं हैं।

(iii) श्री इकबाल सिंह चहल (डीआईएन- 08727394) नामित निदेशक ने दिनांक 25.9.2022 से निदेशक का पद त्याग दिया है।

शेयर आबंटन

(i) कम्पनी द्वारा राइट इश्यु जारी किए जाने के अनुसरण मं दिनांक 16 जून, 2022 को 100 रुपए मूल्य प्रत्येक के 2,00,00,000 इक्विटी शेयर जारी किए गए हैं।

(ii) कम्पनी द्वारा राइट इश्यु जारी किए जाने के अनुसरण मं दिनांक 22 अगस्त, 2022 को 100 रुपए मूल्य प्रत्येक के 1,98,20,000 इक्विटी शेयर जारी किए गए हैं।

यह उल्लेख किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा लागू अन्य प्रावधानों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है।

हमने, हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरणों, सौंपे गए कार्यों के संबंध में हमें प्रदान की गई अपेक्षित सूचना सहित लागू कानूनों के अंतर्गत कम्पनी द्वारा अनुपालन के लिए स्थापित प्रणालियों तथाा तंत्रव्यवस्था के संबंध में कम्पनी तथा इसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रस्तुत प्रस्तुतियों को विचार में लिया है। हमारे द्वारा परीक्षण आधार पर कम्पनी द्वारा अनुसरण की जा रही प्रक्रिया की जांच अपेक्षित प्रावधानों, जो प्रस्तुत मामले के संबंध में उचित समझी गई थी, के अनुसार अपेक्षाओं के अनुपालन के सुनिश्चय के लिए की गई थी। हम आगे यह भी सूचित करना चाहते हैं कि ये अनुपालन न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता के संबंध में किसी प्रकार का आश्वासन है और न ही यह उस कौशल अथवा प्रभावशीलता से संबंधित है जिसके साथ प्रबंधन द्वारा अपने कार्यों का संपादन किया गया है।

हम आगे यह भी सूचित करना चाहते हैं कि यह न तो किसी प्रकार की लेखापरीक्षा है और न ही यह कम्पनी के वित्तीय क्रियाकलापों / विवरणों के संबंध में किसी मत की अभिव्यक्ति है।

इसके अलावा, हमने इस रिपोर्ट में उल्लिखित कम्पनी के संबंध में लागू हो सकने वाले कानूनों के अलावा किसी अन्य कानून से संबंधित किसी मामले, ऊपर उल्लिखित कॉर्पोरेट एवं भारत संघ के अन्य कानूनों के अलावा, को कवर नहीं किया है।

(प्रसांत कुमार सरकार)
पदनामित साझेदार
सदस्यता संख्या - 6996
सीओपी संख्या - 6534
यूडीआईएन- FO06996E000655281

दिनांक : 21.7.2023
स्थान : मुम्बई कृते, पेससैटर कॉर्पोरेट साल्युशन एलएलपी

इस रिपोर्ट का पठन हमारे समतिथि के पत्र के साथ किया जाना है जो **अनुलग्नक-क** के रूप में संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

नोट : प्रस्तुत रिपोर्ट में की गई अभिव्यक्ति प्राप्त सूचना, तथ्यों एवं कम्पनी प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई इनपुट पर आधारित है।

फार्म संख्या एमआर - 3

अनुलग्नक 'क'

सेवा में,

सदस्य गण,
मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
ट्रांजिट कार्यालय, ई-ब्लॉक
सिटी पार्क की उत्तरी साइड,
आयकर कार्यालय के पीछे,
ए-विंग बांद्रा (पूर्व), बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स,
मुम्बई – 400051

इस रिपोर्ट का पठन हमारी समतिथि की रिपोर्ट के साथ किया जाना है।

हमने **31 मार्च, 2023** को समाप्त वर्ष के लिए की गई सचिवीय लेखापरीक्षा के आयोजन के लिए सचिवीय रिकॉर्डों के अनुरक्षण का दायितव कम्पनी के प्रबंधन का है। हमारा दायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, अपने मत की अभिव्यक्ति करना है।

हमने सचिवीय रिकॉर्डों के सार की सत्यपरकता के संबंध में औचित्यपरक आश्वासन की प्राप्ति के लिए उचित समझे गए लेखापरीक्षा व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है। यह सत्यापन परीक्षण आधार पर सचिवीय रिकॉर्डों में पस्तुत तथ्यों के सुनिश्चय के लिए किया गया था। हमारा ऐसा मानना है कि, हमारे द्वारा अनुसरण की गई प्रक्रियाएं तथा व्यवहार हमारे मत के निर्माण के लिए औचित्यपरक आधार हैं।

हमने कम्पनी के वित्तीय रिकॉर्डों तथा लेखा बहियों की सटीकता का सत्यापन नहीं किया है। जहां कहीं अपेक्षित हुआ है, हनने प्रबंधन से कानूनों, नियमों तथा विवरणों एवं घटनाओं के घटित होने इत्यादि के संबंध में प्रबंधन से प्रस्तुतियां प्राप्त की हैं।

प्रावधानों तथा अन्य लागू कानूनों, विनियमों, मानकों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमारे द्वारा की गई जांच, कम्पनी के संबंध में लागू, प्रक्रियाओं की परीक्षण आधार पर जांच किए जाने तक सीमित थी।

हम आगे यह भी सूचित करना चाहते हैं कि यह न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता के संबंध में किसी प्रकार का आश्वासन है और न ही यह उस कौशल अथवा प्रभावशीलता से संबंधित है जिसके साथ प्रबंधन द्वारा अपने कार्यों का संपादन किया गया है।

कृते, पेससैटर कॉर्पोरेट साल्युशन एलएलपी

(प्रसांत कुमार सरकार)
पदनामित साझेदार
सदस्यता संख्या - 6996
सीओपी संख्या - 6534
यूडीआईएन- FO06996E000655281

दिनांक : 21.7.2023
स्थान: मुम्बई

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया वित्तीय रिपोर्टिंग एवं सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों से वित्तीय विवरणों को तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने की अभिकल्पित प्रकिया है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मे वे नीतियां और प्रक्रियाएं शमिल है, (1) जिससे रिकॉर्डो के अनुरक्षण, युक्तिसंगत ब्यौरे, सटीकता तथा स्पष्टता के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान प्रदर्शित होता हो; (2) जिससे यह युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध होता हो कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकॉर्ड किया गया है और कंपनी की आय और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किया गया हैं; (3)जिससे कंपनी की परिसंपत्ति के अनाधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग अथवा निपटान के निवारण और समय पर युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध होते हों अथवा जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभावित कर सकते हों।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की अंतर्निहित परिसीमाएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की दुरभिसंधि अथवा अनुचित प्रबंधन करते हुए नियंत्रणों के अधिरोहण, चूक और जालसाजी के कारण वस्तुगत मिथ्या कथन की संभावनाएं शामिल हैं, जिनका संज्ञान नहीं भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर है कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों मे परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है अथवा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, कंपनी में प्रत्येक सामग्रीगत दृष्टिकोण से वित्तीय विवरण के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने के संबंध में जारी दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित अनिवार्य घटको पर विचार करते हुए, कंपनी की वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए स्थापित अनिवार्य मानदंडों के आधार पर 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग के सभी सामग्रीगत पहलुओं मे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो का पर्याप्त अनुरक्षण किया है।

कृते एवं की ओर से
चंदाभोय एंड जस्सूभोय
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 101647 डब्ल्यु

अम्बेश दवे
साझेदार
(सदस्यता संख्या : 049289)
यूडीआईएन : 23049289BGXCQH5870

मुम्बई : 28 जुलाई, 2023

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानकों का एक सेट है जिसका उद्देश्य कंपनी की छवि, दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करना है।. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक गैर-सूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्निहित सिद्धांतों यानी मूल्यों, नैतिकता और सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि कंपनी सभी के हितों में अच्छी तरह से प्रबंधित है, आपके निदेशक कंपनी के सदस्यों के समक्ष निम्नलिखित कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट रखते हैं:

अपने कार्यों के प्रदर्शन में, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के एसोसिएशन के लेखों (एओए), कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, सी एंड एजी जैसे प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित नियमों द्वारा निर्देशित है। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कर्मचारियों और ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित लोगों के कल्याण, उचित मुआवजे के प्रावधान, परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन आदि के संबंध में संगठन के कार्यकरण को शासित करने वाली सभी लागू संविधियों का उचित रूप से अनुपालन किया जाता है।

1. निदेशक मंडल

कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के संदर्भ में, बोर्ड की ताकत सरकारी कंपनियों पर लागू छूट के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत निर्धारित अधिकतम संख्या के साथ 3 निदेशकों से कम नहीं होगी। ये निदेशक या तो नामित निदेशक या कार्यात्मक निदेशक हो सकते हैं।

2. बोर्ड का गठन और संरचना

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है। वर्तमान में, कुल चुकता शेयर पूंजी का 100% भारत सरकार (जीओआई) और महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) के पास 50:50 के अनुपात में है। दोनों सरकारों को कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नामित करने का अधिकार है। वर्तमान में, मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल में 14 निदेशक शामिल हैं। उक्त नामित निदेशक भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनके पास काफी अनुभव है। सामान्य प्रबंधन, निर्माण, परियोजना प्रबंधन, डिजाइन, व्यापार रणनीति, वित्त आदि सहित कई विषयों में सरकार और विशेषज्ञता के कामकाज में।

3. जिम्मेदारियां

बोर्ड की प्राथमिक भूमिका मार्गदर्शन के साथ यह सुनिश्चित करना कि सरकार द्वारा कंपनी को सौंपे गए जनादेश को पूरी तरह से पूरा किया जाए और साथ ही शेयरधारकों के मूल्य को संरक्षित और बढ़ाया जाए। बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के पास स्पष्ट लक्ष्य और नीतियां हैं।. बोर्ड कंपनी की रणनीतिक दिशा की देखरेख करता है, कॉर्पोरेट प्रदर्शन, अधिकारियों की समीक्षा करता है और रणनीतिक निर्णय की निगरानी करता है, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करता है, और शेयरधारकों और सामाजिक प्रतिबद्धताओं के हितों की रक्षा करता है। बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी को इस तरह से प्रबंधित किया जाता है जो हितधारकों की आकांक्षाओं और सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करता है। बोर्ड के सदस्य यह भी सुनिश्चित करते हैं कि उनकी अन्य जिम्मेदारियां कंपनी के निदेशक के रूप में जिम्मेदारियों पर प्रभाव न डालें।

4. बोर्ड/समिति की बैठकें और प्रक्रिया

क. संस्थागत निर्णय लेने की प्रक्रिया/ बोर्ड प्रक्रियाएं।

सभी कॉर्पोरेट प्रशासन को संस्थागत बनाने और बोर्ड द्वारा सूचित और कुशल तरीके से चर्चा और निर्णय की आवश्यकता वाले मामलों के लिए अग्रिम योजना के लिए सिस्टम और प्रक्रियाएं स्थापित करने की दृष्टि से, कंपनी के पास निदेशक मंडल समितियों की बैठकों के लिए अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रियाएं हैं।

ख. बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए एजेंडा मदों का निर्धारण और चयन

1. बोर्ड के अध्यक्ष की मंजूरी प्राप्त करने के बाद, उचित सूचना देकर बैठकें बुलाई जाती हैं | विशिष्ट तात्कालिक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए संक्षिप्त सूचना पर भी बैठकें बुलाई जाती हैं। बोर्ड सर्कुलेशन द्वारा प्रस्ताव भी पारित करता है, लेकिन केवल ऐसे मामलों के लिए जो अत्यंत जरूरी हैं, और जो कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य हैं।

2. एजेंडा कागजात संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा तैयार किए जाते हैं और प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत करने से पहले अनुमोदन के लिए प्रकार्यात्मक निदेशक को प्रस्तुत किए जाते हैं। विधिवत अनुमोदित विस्तृत एजेंडा नोट्स, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक विवरण, विस्तृत पृष्ठभूमि की जानकारी सहित, कंपनी सचिव द्वारा प्रबंध निदेशक के परामर्श से निदेशकों/सदस्यों के बीच सार्थक, सूचित और केंद्रित चर्चाओं और निर्णयों की सुविधा के लिए पहले से ही प्रसारित किए जाते हैं।

3. जहां कोई दस्तावेज़ संलग्न करना वांछनीय नहीं है या यदि एजेंडा संवेदनशील प्रकृति का है, तो उसे प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से बैठक में पटल पर रखा जाता है। विशेष और असाधारण परिस्थितियों में, अतिरिक्त या पूरक आइटम, जो एजेंडे में नहीं हैं, को बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा के लिए लिया जाता है।

4. बोर्ड को प्रमुख घटनाओं/वस्तुओं और जब भी आवश्यक हो ली गई मंजूरी के बारे में भी सूचित किया जाता है। प्रबंध निदेशक बोर्ड बैठकों में कंपनी के समग्र प्रदर्शन से बोर्ड को अवगत कराते रहते हैं।

5. बोर्ड के सदस्यों के पास कंपनी की सभी जानकारी तक पूरी पहुंच है।

6. बोर्ड बैठक लागू सचिवीय मानकों के अनुरूप आयोजित की जाती है।

ग. प्रबंध निदेशक/निदेशकों द्वारा ब्रीफिंग

बोर्ड की प्रत्येक बैठक में, प्रबंध निदेशक/निदेशक बोर्ड के सदस्यों को परियोजनाओं की स्थिति और विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों/विकास सहित प्रमुख विकास के बारे में जानकारी देते हैं और बोर्ड के सदस्यों के सामने प्रस्तुतिकरण देते हैं। शीर्ष प्रबंधन के सदस्यों, सलाहकारों और विशेषज्ञों को भी बोर्ड को जानकारी देने और आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुतियाँ देने के लिए बुलाया जाता है।

घ. बोर्ड बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त की रिकॉर्डिंग

प्रत्येक बोर्ड बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त दर्ज किए जाते हैं और कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किए जाते हैं. बैठकों के कार्यवृत्त कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और लागू सचिवीय मानकों के अनुसार प्रसारित किए जाते हैं। बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त को अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किए जाने के बाद अगली बैठक में नोट करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। बोर्ड की उप-समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त भी उनकी जानकारी के लिए बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं।

ङ. अनुपालन

एजेंडा नोट तैयार करते समय विभागाध्यक्ष और कार्यात्मक निदेशक सभी लागू कानूनों, नियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हैं। कंपनी सचिव कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

बोर्ड बैठकें: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, 25 मई, 2022, 9 अगस्त, 2022, 29 सितंबर, 2022, 14 नवंबर, 2022 और 3 मार्च, 2023 को पांच बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं, कंपनी को 120 दिन के भीतर अपनी बोर्ड बैठक आयोजित करनी है।

पदनाम, निदेशक की श्रेणी, बोर्ड बैठक में भाग लेने वालों की संख्या का विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

क्रम सं .	निदेशक का नाम	वर्ग	डीआईएन	निदेशक के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक में भाग लेने वाली बोर्ड बैठक की संख्या	बोर्ड बैठक की संख्या
1	श्रीमती अश्विनी भिडे	प्रबंध निदेशक	02607016	4	4
2	श्री श्याम सुंदर दुबे	नामित निदेशक	06601151	1	1
3	श्री जयदीप	नामित निदेशक	08558063	5	5
4	श्री इकबाल सिंह चहल	नामित निदेशक	08727394	5	0
5	श्री भूषण अशोक गगरानी	नामित निदेशक	00204045	5	1
6	श्री मनोज सौनिक	नामित निदेशक	02954463	5	2
7	श्री सुबोध कुमार गुप्ता	पूर्णकालिक निदेशक	07114292	5	5
8	श्री अजयकुमार अमरनाथ भट्ट	पूर्णकालिक निदेशक	07110097	4	3
9	श्री अबोध खंडेलवाल	पूर्णकालिक निदेशक	07807394	5	5
10	श्री एस वी आर श्रीनिवास	नामित निदेशक	02860903	5	2
11	श्री मनोज जोशी	नामित निदेशक	02103601	5	5
12	श्री राकेश चौधरी	नामित निदेशक	09495362	4	3
13	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	नामित निदेशक	07916304	4	4

6. निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई सूचना

निदेशक मंडल ने वित्तीय शक्तियों के साथ कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों का प्रबंधन करने के लिए सभी नियमित मामलों पर प्रबंध निदेशक को शक्तियां प्रत्यायोजित कीं | कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में तेजी से निर्णय लेने में सक्षम बनाने और वरिष्ठ प्रबंधन टीम को जिम्मेदारी सौंपने के लिए, शक्तियों की अनुसूची (एसओपी) तैयार की गई है और उसे अनुमोदित और परिचालित किया गया है। जो मामले प्रत्यायोजित शक्तियों से परे हैं उन्हें बोर्ड के समक्ष लाया जा रहा है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- वार्षिक वित्तीय विवरण और निदेशक रिपोर्ट आदि।
- बोर्ड की सभी समितियों की बैठक का कार्यवृत्त
- सभी प्रस्ताव जिनमें डीपीआर में विचार किए गए के अलावा प्रौद्योगिकी/प्रौद्योगिकी मापदंडों में बदलाव शामिल है|
- सभी प्रस्ताव जिनमें गलियारों में बदलाव, अतिरिक्त स्टेशन आदि शामिल हैं।
- परियोजनाओं पर प्रगति रिपोर्ट.
- महत्वपूर्ण संपत्ति विकास मामले.

- ➢ कंपनी अधिनियम, 2013 से उत्पन्न दायित्व से बाहर रखी जाने वाली आवश्यक जानकारी।
- ➢ अन्य भौतिक रूप से महत्वपूर्ण जानकारी |
- ➢ बोर्ड द्वारा समय-समय पर वांछित अन्य मामले।

7. निदेशक मंडल की समितियाँ

बोर्ड ने चार उप-समितियों का गठन किया है; ये हैं:

i. लेखापरीक्षा समिति
ii. शेयर आवंटन समिति
iii. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
iv. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

इनमें से प्रत्येक बोर्ड उप-समिति समय-समय पर कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार बैठक करती है। बोर्ड उप-समिति के संबंध में विवरण नीचे दिया गया है:

i. लेखा परीक्षा समिति:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों और उसके तहत लागू नियमों के साथ-साथ सरकारी कंपनियों पर लागू छूट के संदर्भ में, केवल उन कंपनियों को एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक है जिन्हें स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता होती है।.

हालाँकि, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने एक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। लेखापरीक्षा समिति का गठन, कोरम, कार्यक्षेत्र आदि का विवरण नीचे दिया गया है:

संरचना

वित्तीय वर्ष 2022-23 में आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठक की संरचना इस प्रकार है:

क्रम सं .	नाम	पद का नाम
1	श्री श्याम सुंदर दुबे	नामित निदेशक /अध्यक्ष
2	श्री अजय कुमार ए भट्ट	निदेशक प्रणाली/
3	श्री भूषण गगरानी	नामित निदेशक
4	श्री अबोध खंडेलवाल	निदेशक, वित्त और सीएफओ/स्थायी आमंत्रित सदस्य
5	श्रीमती अश्विनी भिडे	प्रबंध निदेशक

*श्री श्याम सुंदर दुबे 04 अगस्त 2022 से नामित निदेशक के पद से हट गए।
03 मार्च 2023 को 69 वीं बोर्ड बैठक में ऑडिट समिति का पुनर्गठन किया गया.

लेखा परीक्षा का दायरा

लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों सहित लेखा परीक्षा के दायरे और बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बारे में लेखा परीक्षकों के साथ आवधिक रूप से चर्चा करेगी।

लेखा परीक्षा समिति को कंपनी अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार होगा या जैसा कि बोर्ड द्वारा उसे संदर्भित किया जा सकता है और इस उद्देश्य के लिए, कंपनी के रिकॉर्ड में निहित जानकारी तक पूर्ण पहुंच होगी और यदि आवश्यक हो तो बाहरी पेशेवर सलाह ले सकती है।

बैठक और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की बैठक 22 जुलाई 2022 को आयोजित की गई थी और इसके सदस्यों द्वारा भाग लेने वाली बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या		
			आयोजित	शीर्षकयुक्त	भाग लिया
1	श्री श्याम सुंदर दुबे	नामित निदेशक/अध्यक्ष	1	1	1
2	श्री अजय कुमार ए भट्ट	निदेशक प्रणाली/सदस्य	1	1	1
3	श्री भूषण गगरानी	नामित निदेशक / सदस्य	1	1	1
4	श्री अबोध खंडेलवाल	निदेशक, वित्त और सीएफओ/स्थायी आमंत्रित सदस्य	1	1	1
5	श्रीमती अश्विनी भिडे	प्रबंध निदेशक	1	1	1

ii. शेयर आवंटन समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार, निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की शेयर आवंटन समिति का गठन किया। समिति निदेशक मंडल की एक गैर-अनिवार्य समिति है।

शेयर आवंटन समिति के लिए कोरम में दो सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं।.

संरचना

वित्तीय वर्ष 2022-23 में आयोजित शेयर आवंटन समिति की बैठक की संरचना:

क्रम सं.	नाम	पद
1	श्री भूषण गगरानी	अध्यक्ष
2	श्री श्याम सुंदर दुबे *	सदस्य
3	प्रबंध निदेशक**	सदस्य

*श्री श्याम सुंदर दुबे 04 अगस्त 2022 से नामित निदेशक के पद से हट गए।
** कंपनी के प्रबंध निदेशक को समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।
# 03 मार्च 2023 को 69 वीं बोर्ड बैठक में शेयर आवंटन समिति का पुनर्गठन किया गया था।

बैठक और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की बैठक 22 जुलाई 2022 को आयोजित की गई थी और इसके सदस्यों द्वारा भाग लेने वाली बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या	
			शीर्षकयुक्त	भाग लिया
1	श्री भूषण गगरानी	अध्यक्ष	2	2
2	श्री श्याम सुंदर दुबे	सदस्य	2	2
3	प्रबंध निदेशक*	सदस्य	2	2

* कंपनी के प्रबंध निदेशक को समिति में सदस्य के रूप में पेश किया जाएगा।

iii. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। हालांकि, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक नहीं हुई है।

iv. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

निगम को वित्त वर्ष 2022-23 सहित पिछले 3 वित्तीय वर्ष में घाटा हुआ है, इसलिए सीएसआर के प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते हैं।

8. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन सामान्य व्यवसाय के दौरान और आर्म्स लेंथ के आधार पर किए गए थे। ये कंपनी द्वारा अपने प्रमोटरों, निदेशक या प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों या रिश्तेदारों आदि के साथ किए गए कोई लेनदेन नहीं हैं, जिनका बड़े पैमाने पर निगम के हितों के साथ विरोध संभावित था। संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन, यदि कोई हो, का खुलासा वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के नोट्स में किया जाता है।

9. वार्षिक साधारण सभा

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निगम ने वर्ष 2022-23 में अपनी वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) आयोजित की है, इसका विवरण निम्नानुसार है:

एजीएम	14 वीं वार्षिक साधारण सभा	14वीं वार्षिक साधारण सभा स्थगित
दिनांक और समय	29 सितंबर, 2022 को दोपहर 3:05 बजे	14 नवंबर, 2022 को दोपहर 2:45 बजे
तरीका	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
संकल्प	1. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लेखा परीक्षित बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते के विवरण पर विचार करना और निदेशक की रिपोर्ट लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के परिशिष्ट के साथ प्राप्त करना और उस पर प्रबंधन का उत्तर 2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पठित धारा 139(5) के प्रावधानों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना। 3. कंपनी के नामित निदेशक के रूप में श्री मनोज जोशी (डीआईएन: 02103601) की नियुक्ति 4. कंपनी के नामित निदेशक के रूप में श्रीमती नमिता मेहरोत्रा (DIN: 07916304) की नियुक्ति 5. कंपनी के नामित निदेशक के रूप में श्री राकेश चौधरी (डीआईएन: 09495362) की नियुक्ति 6. कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में श्रीमती अश्विनी भिडे, आईएएस (DIN: 02861008) की नियुक्ति को	1. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ऑडिटेड बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते के विवरण को प्राप्त करने, विचार करने और अपनाने के लिए निदेशक की रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन के उत्तर के परिशिष्ट के साथ।

10. कंपनी की वेबसाइट

कंपनी की वेबसाइट https://mmrcl.com/ है। कंपनी से संबंधित सभी प्रमुख जानकारी, जिसमें परियोजना, निविदाएं, अनुबंध, नौकरी, भर्ती प्रक्रिया और परिणाम आदि शामिल हैं, वेबसाइट पर दी गई हैं। वेबसाइट मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं, गतिविधियों और प्रगति और अन्य महत्वपूर्ण विकासों के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है और लगातार अपडेट की जाती है।

पंजीकृत कार्यालय
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
CIN: U60100MH2008SGC181770
ट्रांजिट ऑफिस ई-ब्लॉक सिटी पार्क के उत्तर की ओर
आयकर कार्यालय के पीछे
ए-विंग बांद्रा (ई) बीकेसी,
मुंबई सिटी, महाराष्ट्र 400051

कम्पनी सचिव
सुश्री ऋतु देब
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
CIN: U60100MH2008SGC181770
ट्रांजिट ऑफिस ई-ब्लॉक सिटी पार्क के उत्तर की ओर
आयकर कार्यालय के पीछे
ए-विंग बांद्रा (ई) बीकेसी,
मुंबई सिटी, महाराष्ट्र 400051

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023

The preparation of financial statements of Mumbai Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 28 July 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Mumbai Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2023 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report

Comments A on Financial Position

Current Assets

Financial Assets

(iv) Other Financial Assets (Note No.6)- ₹10,139.18 lakhs

The above does not include interest payable by Mumbai International Airport Ltd (MIAL) to Mumbai Metro Rail Corporation Limited (MMRCL) due to delayed payment of cost sharing contribution towards construction of metro stations.

Mumbai Metro Rail Corporation Limited (MMRCL) agreed to construct three underground metro stations at Chatrapati Shivaji International Airport Mumbai and in this regard a Memorandum of Understanding was signed (September 2015) with Mumbai International Airport Limited (MIAL). As per Clause 2.12 of the Memorandum of Understanding, if MIAL fails to pay the contribution as per agreed terms under the Memorandum of Understanding, it shall pay interest at the rate of 10% p.a. during the delayed period. Though MMRCL conducted meeting with MIAL regarding payment of interest due to delay in contribution, it has not raised invoice on MIAL for the same.

As per records made available to Audit, MMRCL has calculated ₹1,717 lakhs as interest receivable upto 21 November 2021 only, however, no calculation of such interest for the period from 22 November 2021 to 31 March 2023 has been provided to audit. Thus, above does not include interest receivable from Mumbai International Airport Ltd (MIAL) of atleast

₹1,717 lakhs due to delayed payment of cost sharing contribution towards construction of metro stations.

Non-accounting of interest due has resulted in understatement of 'Other Financial Assets' and overstatement of 'Capital Work in Progress' atleast by ₹1,717 lakhs

Comments B on Disclosure

Note 23: Contingent Liabilities and Commitments

Note 23.1: Contingent Liabilities

The Company received Demand Notices from Municipal Authorities for recovery of Property Tax for ₹35.87 crore for eight land parcels in its possession. Though the Company has repeatedly sought exemption from paying property tax from Municipal Authorities since August 2016, citing that the project is a public transport infrastructure and not a profitable venture, the request of the Company for exemption from payment of property tax has not been agreed to by the Municipal Authorities.

Considering that no exemption from payment of municipal tax has been received from the Municipal Authorities till date, the Company should have made provision amounting to ₹35.87 crore in its financial statements.

This has resulted in understatement of current liability and Capital work in progress by ₹35.87 crore.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd/-

(Guljari Lal)
Director General of Audit(Shipping), Mumbai

Place: Mumbai
Date: 06.10.2023

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन उत्तर
1. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ **वर्तमान संपत्ति** **वित्तीय पूंजी** **(iv) अन्य वित्तीय संपत्तियां** **(नोट संख्या 6)- 10,139.18 लाख रुपये** उपरोक्त में मेट्रो स्टेशनों के निर्माण के लिए लागत साझाकरण योगदान के विलंबित भुगतान के कारण मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) द्वारा एमएमआरसीएल को देय 1,717 लाख रुपये की ब्याज राशि शामिल नहीं है। एमएमआरसीएल ने छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मुंबई में तीन भूमिगत मेट्रो स्टेशनों के निर्माण पर सहमति व्यक्त की और एमआईएएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए (सितंबर 2015)। एमओयू के खंड 2.12 में कहा गया है कि यदि एमआईएएल एमओयू के तहत सहमत शर्तों के अनुसार योगदान का भुगतान करने में विफल रहता है, तो एमआईएएल विलंबित अवधि के दौरान 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगा। हालांकि एमएमआरसीएल ने योगदान में देरी के कारण ब्याज के भुगतान के संबंध में एमआईएएल (फरवरी-2023) के साथ एक बैठक की, लेकिन उसने इसके लिए एमआईएएल को बिल नहीं दिया है। ऑडिट को उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के अनुसार, एमएमआरसीएल ने केवल 21 नवंबर 2021 तक प्राप्त ब्याज के रूप में 1,717 लाख रुपये की गणना की है, हालांकि 22 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए ऐसे ब्याज की कोई गणना ऑडिट को प्रदान नहीं की गई है। इस प्रकार उपरोक्त में मेट्रो स्टेशनों के निर्माण के लिए लागत साझाकरण योगदान के विलंबित भुगतान के कारण मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) से प्राप्त होने वाला कम से कम 1,717 लाख रुपये का ब्याज शामिल नहीं है। देय ब्याज का हिसाब न देने के परिणामस्वरूप "अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों" को कम और "प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य" को कम से कम ₹1,717 लाख से अधिक बताया गया है।	महामारी कोविड की स्थिति और उस अवधि के दौरान हवाई यात्रा के पूरी तरह से बंद होने के बाद, एमआईएएल ने भुगतान के पुनर्निर्धारण के लिए अनुरोध किया है और अपने वित्तीय संकट के कारण एमएमआरसीएल को भुगतान करने में असमर्थता दिखाई है। ब्याज वसूली के मामले पर उनके साथ चर्चा की जाती है, लेकिन चूंकि मूल राशि अतिदेय है, इसलिए विवेक और रूढ़िवाद की अवधारणा पर विचार करते हुए ब्याज वसूली को बही-खातों में मान्यता नहीं दी गई थी। एमएमआरसीएल के दिनांक 22 नवंबर, 2021 के पत्र के माध्यम से एमआईएएल को संशोधित भुगतान अनुसूची के बारे में सूचित किया गया था। संशोधित भुगतान अनुसूची के आधार पर, 21 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए कोई ब्याज प्राप्य नहीं है। हालांकि, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के सुझाव के अनुसार, एमआईएएल से प्राप्त ब्याज का खुलासा वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरण में किया जाएगा।

टिप्पणी- बी पर प्रकटीकरण

नोट 23: आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएँ

नोट 23.1 : आकस्मिक देयताएं

कंपनी को अपने कब्जे में आठ भूमि पार्सल के लिए 35.87 करोड़ रुपये के संपत्ति कर की वसूली के लिए नगर निगम अधिकारियों से डिमांड नोटिस प्राप्त हुआ। हालांकि कंपनी ने अगस्त 2016 से नगरपालिका अधिकारियों से संपत्ति कर का भुगतान करने से बार-बार छूट मांगी है, यह हवाला देते हुए कि परियोजना एक सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचा है और एक लाभदायक उद्यम नहीं है, संपत्ति कर के भुगतान से छूट के लिए कंपनी के अनुरोध को नगरपालिका अधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

यह देखते हुए कि नगरपालिका अधिकारियों से आज तक नगरपालिका कर के भुगतान से कोई छूट प्राप्त नहीं हुई है, कंपनी को अपने वित्तीय विवरणों में 35.87 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान करना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयता और प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य में 35.87 करोड़ रुपये की कमी आई है।

एमएमआरसीएल को एमएमआरडीए से जमीन मिली है। एमएमआरडीए ने लीज पर दिए गए इन जमीनों को एमएमआरसीएल को दिखाया है और इसलिए एमसीजीएम ने एमएमआरसीएल से संपत्ति कर की मांग की है।

कंपनी एमसीजीएम के साथ छूट के लिए मामले को आगे बढ़ा रही है। चूंकि एमएमआरसीएल ने संपत्ति कर की मांग को माफ करने के लिए एमसीजीएम से अनुरोध किया है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2018-19 से लगातार आकस्मिक देयता के रूप में इसका खुलासा किया जा रहा है।

चालू वित्त वर्ष में, इस मामले के निपटान के लिए इस मामले को एमसीजीएम के उच्च प्राधिकारी के साथ फिर से उठाया जाएगा। यदि एमसीजीएम से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो संपत्ति कर का प्रावधान बही-खातों में किया जाएगा।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,

मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट

मत

1. हमने **मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** (कंपनी) के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि के विवरण (अन्य वृहत आय सहित) इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना के सार (एतद्वारा 'वित्तीय विवरणों के रूप में संदर्भित) के साथ साथ वित्तीय विवरणों के नोट शामिल हैं।

   हमारे मत और हमें प्रदान की गई जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऊपर उल्लिखित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम की धारा 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त स्थिति के संबंध में भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के क्रियाकलापों एवं वर्ष में उक्त तिथि को समाप्त लाभ एवं कुल विस्तृत आय, इक्विटी परिवर्तन एवं नकदी प्रवाह के विवरण उस सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं।

मत का आधार

2. हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा, अधिनियम की धारा 143(10) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसरण में गई है है। इन मानकों के अंतर्गत, हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत विवरण, हमारी रिपोर्ट में वित्तीय विवरण के खंड में वर्णित लेखापरीक्षकों के दायित्व में किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत निर्मित नियमों के अंतर्गत, हमारे द्वारा की गयी स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, हमारी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं के साथ ही साथ इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुरूप किया गया है, जिसके अंतर्गत हम कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं तथा इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") की आचार संहिता के उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण, हमारे मत की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त एवं यथोचित हैं।

मामले का प्रभाव

3. हम विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव से संबंधित लेखांकन उपचार के लिए लेखांकन नीति में परिवर्तन से संबंधित नोट संख्या 30 तथा 35 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। उक्त परिवर्तन इंडएस 21 के प्रावधानों के लिए व्यवस्थित किए गए हैं। हमारा मत, इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है।

वित्तीय विवरणों तथा उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

4. कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित सूचना नामत: निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट शामिल होती है परन्तु इसमें वित्तीय विवरण एवं इससे संबंधित हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं होती है। इस लेखापरीक्षा की रिपोर्ट के पश्चात अन्य सूचना उपलब्ध होना संभावित है |

   वित्तीय विवरणों से संबंधित हमारे मत में अन्य सूचना को शामिल नहीं किया गया है तथा इसके लिए हम आश्वासन रूपी किसी निष्कर्ष की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं।

इन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा दायित्व, ऊपर उल्लिखित अन्य सूचना, जब यह उपलब्ध करवाई जाए, का पठन करना है तथा ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना में किसी प्रकार का वित्तीय विवरणों तथा हमारे द्वारा लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त की गई जानकारी से असंगत अथवा अन्यथा स्वरूप में प्रतीत हो रहा, कोई मिथ्याकथन नहीं है अथवा नहीं है।

जब हम अन्य सूचना का पठन करेंगे तो ऐसे करते हुए यह विचार किया जाएगा कि क्या अन्य सूचना कोई सामग्रीगत मिथ्याकथन है, जिसके लिए हमसे ऐसे मामले की सूचना इससे संबंधित शासन के उत्तरदायी को दिए जाने तथा प्रबंधन द्वारा अन्य सूचना की प्राप्ति के पश्चात पूर्व सूचित किए गए उपायों, यदि पहले सूचित किए गए हैं, के अनुसार उपाय करने तथा संशोधित सूचना सूचित किए गए उपायों की समीक्षा करने, यदि पहले जारी किए गए हैं, तथा अपेक्षित संशोधन की सूचना दिए जाने की अपेक्षा है।

वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन के उत्तरदायित्व

5. कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 134(5) के मामलों के संबंध में कंपनी के वित्तीय विवरणों वित्तीय निष्पादन (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा कम्पनी की नकदी स्थिति की सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करने वाले इन वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत/मान्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप करने के प्रति उत्तरदायी है।

   इस उत्तरदायित्व में, कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा जालसाजियों एवं अन्य अनियमितताओं से उनके बचाव के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डो का रखरखाव करना; उचित लेखांकन नीति का चयन एवं उपयोग करना; औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत निर्णय निर्धारण करना एवं अनुमान लगाना; तथा सत्य एवं स्वच्छ प्रस्तुत करने वाले एवं प्रत्येक प्रकार सामग्रीगत मिथ्या विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त इंड एएस वित्तीय विवरणों का निर्माण करने एवं प्रस्तुत करने के सुनिश्चय के उद्देश्य से अभिकल्प करने, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो लेखांकन रिकॉर्डो की सटीकता एवं पूर्णत के लिए प्रभावी प्रक्रिया कर रहे है, का कार्यान्वयन एवं सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी शामिल है।

   यदि प्रबंधन की मंशा परिचालनों को बन्द करने अथवा ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न होने के कारण कंपनी का ऋणशोधन करने की नहीं है तो प्रबंधन कंपनी के इन वित्तीय विवरणों के निर्माण के दौरान गोइंग कंसर्न के आधार पर कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, यथा लागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के आधार के लिए गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों एवं उनका उपयोग करने के प्रति उत्तरदायी है।

   कंपनी के निदेशक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के प्रति भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

6. हमारा उद्देश्य, वित्तीय विवरणों को पूर्ण रूप से सामग्रीगत दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके, अपने मत के समावेश के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्चतर स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें की गई लेखापरीक्षा के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि स्टेंडएलोन प्रक्रिया के अंतर्गत की जाने वाले लेखापरीक्षा से सामग्रीगत दुर्विवरण, यदि कोई हों, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। सामग्रीगत दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है अथवा इसे सामग्रीगत तभी माना जा सकता है, जब इनसे अलग-अलग अथवा समस्त रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

7. एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा के अंतर्गत हमने लेखापरीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान संश्यात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं, जिनमें निम्नलिखित भी शामिल हैः-

- वित्तीय विवरणों में सामग्रीगत दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करते हुए ऐसे जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियात्मक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के स्वरूप का निर्माण करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना, जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हों। किसी जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण का संज्ञान न होने के जोखिम के परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां किसी साठ गांठ, धोखाधड़ी, साभिप्राय अकरण, मिथ्याकथन अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।

- परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए, लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3)(1) के अंतर्गत, हम इस मत की अभिव्यक्ति करने के प्रति भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी द्वारा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गई है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता है अथवा नहीं है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता तथा सम्बद्ध प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या ऐसी सामग्रीगत स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे कंपनी की गोइंग कंसर्न की क्षमता पर किसी प्रकार का संदेह होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता प्रतीत होती है तो हम से अपनी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध रिपोर्ट में प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने अथवा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा की गई है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कंपनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।

- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या वित्तीय विवरणों में लेन-देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।

वस्तुतः वित्तीय विवरणों में अलग-अलग अथवा सामुच्य स्वरूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दुर्विवरणों की वस्तुपरकता की जटिलता कुछ इस प्रकार की होती है कि इनमें वित्तीय विवरणों का औचित्यपरक ज्ञान रखने वाले उपयोक्ता द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (1) अपने लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना के निर्माण तथा अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन, एवं (2) वित्तीय विवरणों में से संज्ञान में लिए गए दुर्विवरण के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए तथ्यपरक प्रमात्रा के गुणात्मक कारकों को विचार में लेते हैं।

हमने, अन्य मामलों के साथ-साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा की समय सारणी एवं लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान की हैं।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को स्वतंत्रता से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं तथा उन्हें हमारी लेखापरीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हों, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबद्धता एवं अन्य मामलों की सम्बद्धता की जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा विवरण भी दिया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

8. केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (11) के उपबंधों के अंतर्गत जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2020 (''आदेश'') की अपेक्षाओं के अनुसार, हम **अनुलग्नक-I** में आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों का यथा लागू विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

9. कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:-

(क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जिनकी आवश्यकता हमें हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन से थी।

(ख) हमारे मतानुसार, कंपनी द्वारा विधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया गया है, जो कि हमें इन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत हुआ है।

(ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी परिवर्तन एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(घ) हमारे मतानुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण संबंधित नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

(ड.) कम्पनी के निदेशकों से 31 मार्च, 2023 की यथास्थिति के अनुसार प्राप्त, रिकॉर्ड में ली गई, लिखित प्रस्तुति के अनुसार कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के उपबंधों के अंतर्गत निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता "अनुलग्नक-II" में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में दी गई है।

(छ) यह कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है तथा तदनुसार अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना जीएसआर 463 (ई) के अनुसार लागू नहीं हैं।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं कि:-

(i) कम्पनी द्वारा लंबित न्यायिक मामलों का प्रभाव अपनी वित्तीय स्थिति पर होने से संबंधित प्रकटीकरण किया गया है – वित्तीय विवरणों का संदर्भ नोट 23.1

(ii) कंपनी को 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान दीर्घकालिक अनुबंधों से किसी प्रकार की सामग्रीगत पूर्वाभासी हानियां नहीं हुई हैं। कम्पनी के कोई डेरिवेटिव अनुबंध नहीं हैं।

(iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में वर्ष के दौरान कोई राशि अंतरित किए जाने की अपेक्षा नहीं है।

(iv) (क) प्रबंधन ने यह प्रस्तुति दी है कि उनकी जानकारी एवं विश्वास तथा लेखांकन नोटों में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार कम्पनी द्वारा विदेशी इकाईयों, ("मध्यस्थों"") सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों) को किसी निधि का अग्रिम अथवा ऋण नहीं दिया गया है अथवा निवेश (ऋण पर प्राप्त निधियों अथवा शेयर प्रीमियम अथवा अन्य स्रोतों से अथवा अन्य प्रकार की निधियों में किसी में से) इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं किया गया है कि मध्यस्थ द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, कम्पनी अथवा कम्पनी की ओर से ("अंतिम लाभग्राहियों") अन्य व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की गई है;

(ख) प्रबंधन ने यह प्रस्तुति दी है कि उनकी जानकारी एवं विश्वास तथा लेखांकन नोटों में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार कम्पनी ने विदेशी इकाई ("निधि प्रदात्ता पार्टी") सहित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों) से किसी निधि का अग्रिम अथवा ऋण की प्राप्ति इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं की है कि कम्पनी द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, निधि प्रदात्ता पार्टी

("अंतिम लाभग्राहियों") की ओर से अन्य व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की गई है ;

(ग) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं, जिनका उपयोग परिस्थितियों के अनुसार औचित्यपरक एवं यथोचित समझा गया है, से हमारी जानकारी में ऐसा कुछ प्रकाश में नहीं आया है जिसके प्रभाव से ऐसा माना जा सके कि उपर्युक्त (क) एवं (ख) के अंतर्गत की गई प्रस्तुति में किसी प्रकार का कोई मिथ्याकथन है।

(v) कम्पनी द्वारा लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है अथवा चुकता नहीं किया गया है।

(vi) कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 3(1) के परंतुक चूंकि कम्पनी के संबंध में केवल 1 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, अत: कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11(जी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत जारी निदेशों की अपेक्षा के अनुसार, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

i. हमें दी गई सूचना एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा की गई कम्पनी की लेखा बहियों के सत्यापन के अनुसार कम्पनी द्वारा टेली ईआरपी (प्राइम एडिट लॉग) का उपयोग अपनी प्रमुख लेखांकन प्रणाली के लिए किया जा रहा है तथा इसके पास एकल एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी उपयोज्यता नहीं है। इसके द्वारा संसाधन तथा अनुमोदनों के लिए संव्यवहारों को प्राप्त करने एवं रिकॉर्ड बद्ध करने के लिए विविध उपयोज्यताओं का उपयोग किया जाता है। इन उपयोज्यताओं तथा टेली ईआरपी के मध्य किसी प्रकार का इंटरफेस नहीं है।

मैनुअल इंटरफेस के उपयोग से विविध लेखांकन संव्यवहारों के संसाधन से एक उपयोज्यता से अन्य उपयोज्यता में डेटा के अंतरण के संबंध चूक के जोखिम उत्पन्न होने के निहितार्थ शामिल हैं जिससे वित्तीय विवरणों में मिथ्याकथन हो सकता है। हालांकि, कम्पनी के पास ऐसे जोखिमों को न्यून करने के लिए अनुपूरक मैनुअल बचाव नियंत्रण हैं।

ii. हमें दी गई सूचना एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा की गई कम्पनी के रिकॉर्डो की जांच के अनुसार वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान के लिए कोई ऋण देय नहीं हैं, तथा तदनुसार, पुनर्संरचना / छूट का प्रश्न नहीं उठता है। किसी ऋणदाता द्वारा ऋण/ऋणों / ब्याज आदि का राईट ऑफ नहीं किया गया है।

iii. हमें दी गई सूचना एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा की गई कम्पनी के रिकॉर्डो की जांच के अनुसार कम्पनी के पास केवल एक परियोजना (योजना) मुम्बई मेट्रो लाइन 3 (कोलाबा – बांद्रा – SEEPZ) के निर्माण संबंधित है। सभी निधि प्रदात्ता / निवेश एजेंसियों से प्राप्त निधियों का उपयोग उक्त परियोजना के लिए किया गया है तथा इनके संबंध में कोई व्युतक्रम देखने में नहीं आया है।

कृते एवं की ओर से
चंदाभोय एंड जस्सूभोय
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 101647W

अम्बेश दवे
साझेदार
(सदस्यता संख्या : 049289)
यूडीआईएन : 23049289BGXCQH5870
मुम्बई: 28 जुलाई, 2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का ''अनुलग्नक-I''

हमारी **मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के सदस्यों को संबोधित 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट" के पैराग्राफ 8 में संदर्भित अनुलग्नक

1. (क) (क) कंपनी द्वारा पूर्ण विवरण से युक्त उचित रिकॉर्ड का रखरखाव किया गया है, जिसमें सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रमाणात्मक विवरण एवं उनकी स्थिति दर्शाई गई है।

   (ख) कंपनी द्वारा अपनी अमूर्त परिसम्पत्तियों के संबंध में उचित रिकॉर्डो का अनुरक्षण किया गया है।

   (ख) हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) के भौतिक सत्यापन का नियमित कार्यक्रम है तथा इसके अंतर्गत सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की सभी परिसम्पत्तियों का चरणबद्ध स्वरूप में भौतिक सत्यापन तीन वर्ष की अवधि में किया जाता है। हमारे मतानुसार, कम्पनी के आकार एवं इसकी परिसम्पत्तियों की प्रकृति को विचार में लेते हुए भौतिक सत्यापन की यह अवधि औचित्यपरक है। हमें यह सूचित किया गया है कि इस कार्यक्रम के अनुसरण में कुछ सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का भौतिक सत्यापन वर्ष के दौरान किया गया है तथा किसी प्रकार की सामग्रीगत विसंगति ऐसे सत्यापन के दौरान प्रकाश में नहीं आई है ।

   (ग) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा रिकॉर्डो के संबंध में की गई भौतिक जांच के अनुसार, वित्तीय विवरणों में कम्पनी की सभी अचल सम्पत्तियों (उन सम्पत्तियों के अलावा जिनमें कम्पनी पट्टेदार है तथा पट्टा करार विधिवत स्वरूप में पट्टेदार के नाम से तैयार किए गए हैं) के हक विलेख का प्रकटीकरण, परिशिष्ट I में उल्लिखित के अलावा, कम्पनी से नाम से धारित के रूप में किया गया है।

   (घ) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा रिकॉर्डो के संबंध में की गई जांच के अनुसार कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (उपयोग अधिकार वाली परिसम्पत्तियों सहित) अथवा अमूर्त परिसम्पत्तियों, दोनों, का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

   (ङ) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा रिकॉर्डो के संबंध में की गई जांच के अनुसार कम्पनी के प्रति किसी बेनामी सम्पत्ति के धारण के लिए बेनामी संव्यवहार (प्रतिबंध) अधिनियम, 1988 (45 ऑफ़ 1988) तथा इसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई है अथवा लंबित नहीं है।

2. क. कम्पनी ने किसी मालसूची का धारण नहीं किया है अत: आदेश खंड 3(ii)(क) लागू नहीं है।

   ख. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई कम्पनी के रिकॉर्डो की जांच के आधार पर कम्पनी को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्ष के दौरान किसी भी समय चालू परिसम्पत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर 5.00 करोड़ रुपए से अधिक की कार्यशील पूंजी स्वीकृत नहीं की गई है।

3. (क) कंपनी द्वारा, नीचे प्रस्तुत तालिका में उल्लिखित अन्य पक्षकारों को दिए गए ऋण अथवा ऋण के रूप में दिए गए अग्रिम के अलावा, कोई निवेश नहीं किए गए है, किन्हीं कम्पनियों,फर्मों,सीमित दायित्व साझेदारियों,अन्य पक्षकारों को वर्ष के दौन ऋण, प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत, के रूप में किसी प्रकार की गारंटी अथवा प्रतिभूति अथवा ऋण अथवा अग्रिम प्रदान नहीं किए गए हैं।

वर्ष के दौरान अन्य पक्षकारों (कर्मचारियों) को ऋण / अग्रिम के रूप में ऋण के लिए प्रदान की गई राशि	78.29 लाख रुपए
तुलन पत्र तिथि के अनुसार बकाया शेष	22.49 लाख रुपए

(ख) ऊपर पैरा 3(क) में उल्लिखित ऋण तथा ऋण के रूप में अग्रिम प्रदान किए गए अग्रिम के नियम तथा शर्तें कम्पनी के हित के लिये प्रतिकूल नहीं हैं।

(ग) ऊपर पैरा 3(क) में उल्लिखित ऋण तथा ऋण के रूप में अग्रिम प्रदान किए गए अग्रिम के प्रति मूल एवं ब्याज के पुनर्भुगतान की अनुसूची निर्धारित है अथवा प्राप्तियां नियमित हैं।

(घ) ऊपर पैरा (ग) में किए गए उल्लेख के अनुसार कम्पनी द्वारा मूल एवं ब्याज की राशि का नियमित रूप से भुगतान प्राप्त किया जा रहा है तथा कोई भी राशि नब्बे दिन की अवधि से अतिदेय नहीं है।

(ङ) कम्पनी द्वारा समान पक्षकारों को विद्यमान ऋणों की अतिदेय राशि के निपटान के लिए ऋणों का नवीकरण अथवा विस्तार अथवा नए ऋण प्रदान नहीं किए गए हैं।

(च) कम्पनी ने कोई ऐसे ऋण अथवा ऋण के रूप में अग्रिम प्रदान नहीं किए हैं जो मांग पर अथवा पुनर्भुगतान की किसी अवधि को निर्दिष्ट किए बिना दिए गए हों।

4. हमारे मत और हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा धारा 185 में निर्दिष्ट कोई ऋण, गारंटियां, प्रतिभूतियां अथवा निवेश नहीं किए गए हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iv) कंपनी के संबंध में लागू नहीं है।

5. हमारे मत और हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किए गए हैं तथा तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 तथा अन्य संबंधित प्रावधान कम्पनी के संबंध में लागू नहीं हैं।

6 हमारे मत और हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी अधिनियम की धारा 148 की उप धारा (1) के अंतर्गत कम्पनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा लागत रिकॉर्ड के अनुरक्षण निर्दिष्टि नहीं की गई है।

7. (क) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के अनुसार कंपनी द्वारा सामान्यतः वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, उपकर तथा कंपनी के संबंध में लागू अन्य सामग्रीगत देयताओं सहित गैर-विवादित देयताओं का नियमित भुगतान संबंधित प्राधिकरणों को किया गया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त से संबंधित गैर-विवादित देयताओं की तिथि से छः से अधिक अवधि के लिए कोई भी भुगतान बकाया नहीं है।

(ख) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार नीचे दी गई तालिका के अनुसार 31 मार्च, 2023 की स्थिति को विवाद के कारण जमा न किए गए सम्पत्ति कर के अलावा ऊपर खंड (क) में उल्लिखित कोई भी ऐसे सामग्रीगत देय नहीं है जो कम्पनी द्वारा किसी विवाद के कारण जमा न किए गए हों:

सांविधिक व्यवस्था का नाम	देय की प्रकृति	राशि (रुपए लाख में)	राशि किस अवधि से संबंधित है	किस मंच पर विवाद लंबित है	टिप्पणी, यदि कोई हो
मुम्बई नगर निगम अधिनियम, 1888	सम्पत्ति कर	3587.42	2015 – 16 से 2022 - 23	सहायक मूल्यांकक एवं संग्राहक (संबंधित वार्ड)	मांग को समाप्त करने के लिए पत्र लिखा गया है

8. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार कम्पनी की लेखा बहियों में ऐसे कोई संव्यवहार रिकॉर्ड नहीं है जो त्याग किए गए हों अथवा जिनका प्रकटीकरण आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत वर्ष के कर निर्धारण के उद्देश्य से आय के रूप में किया गया हो।

9. (क) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमें प्रस्तुत कम्पनी के रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों की हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त किए गए उप ऋण तथा जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी (JICA) से आवासन एवं शहरी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त की गई 'पास थ्रू सहायता', वित्तीय संस्थानों / बैंकों तथा ऋणदाताओं से प्राप्त किए गए ऋण के प्रति कुछ देय नहीं है तथा तदनुसार किसी प्रकार की चूक का प्रश्न नहीं है। भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त किया गया उप ऋण ब्याज मुक्त है। उपर्युक्त के अलावा, कम्पनी ने किसी अन्य ऋणदाता से किसी प्रकार का ऋण अथवा उधार प्राप्त नहीं किया है।

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमें प्रस्तुत कम्पनी के रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों की हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार कम्पनी को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अथवा किसी अन्य ऋणदाता द्वारा स्वेच्छा से चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा कम्पनी के रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों की हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार कम्पनी द्वारा आवेदन किए गए आवधिक ऋण का उपयोग उसी उद्देश्य से किया है जिस उद्देश्य से उनकी प्राप्ति की गई है।

(घ) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा कम्पनी के रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों की हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार कम्पनी द्वारा नोट संख्या 11.5 में उल्लिखित मुम्बई मेट्रो लाइन # 3 परियोजनाओं के लिए अल्पकालिक आधार पर 3505.41 लाख रुपए के ऋण का उपयोग किया गया है।

(ङ) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा कम्पनी के रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों की हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार कम्पनी ने किसी इकाई अथवा व्यक्ति से अपनी सहायक कम्पनियों, सम्बद्ध कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों के दायित्वों की पूर्ति के लिए कोई निधियां प्राप्त नहीं की हैं।

(च) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा कम्पनी के रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों की हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपनी सहायक कम्पनियों, सम्बद्ध कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों में धारित अपनी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर किसी ऋण की उत्पति नहीं की है।

10. (क) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा कम्पनी के रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों की हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार कम्पनी द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा अग्रेतर सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से विचाराधीन वर्ष के दौरान कोई भी धन नहीं जुटाया गया। इस प्रकार, आदेश का पैराग्राफ 3(x)(क) कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

(ख) हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंधन की ओर से हमें प्राप्त सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कंपनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, शेयरों अथवा पूर्णतः अथवा आंशिक परिवर्तनयोग्य डिबेंचरों का अधिमान्य आबंटन अथवा निजी स्थापन नहीं किया है तथा तदनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 एवं धारा 62 की अपेक्षाएं तथा आदेश का खंड 3(x) (ख) कम्पनी के मामले में लागू नहीं है।

11. (क) हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंधन की ओर से हमें प्राप्त सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई जालसाजी ज्ञात या सूचित नहीं की गई है।

(ख) कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 13 में निर्धारित फार्म एडीटी-4 में कम्पनी अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (12) के अंतर्गत लेखापरीक्षकों द्वारा केन्द्र सरकार के सम्मुख कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ग) हमें दी गई सूचना एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी के सम्मुख कोई व्हीस्ल ब्लोअर शिकायत (सचेतक शिकायत) प्राप्त नहीं हुई है।

12. हमारे मतानुसार हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के दस्तावेजों की हमारी जांच के अनुसार यह कम्पनी अधिनियम की धारा 406 के अंतर्गत किए गए निर्धारण के अनुसार निधि कम्पनी नहीं है तथा तदनुसार आदेश का पैराग्राफ 3 (xii) कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

13. हमारे मतानुसार एवं हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कम्पनी अधिनियम की धारा 177 एवं 188 के अंतर्गत, जहां लागू हैं, सम्बद्ध पार्टियों के साथ कंपनी के सभी लागू लेन-देन के प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों में दिए गए एवं लागू भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार हैं।

14. (क) हमारे मतानुसार तथा हमारे द्वारा की गई कम्पनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय के स्वरूप के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित है।

(ख) हमने लेखापरीक्षा के अंतर्गत अपनी लेखापरीक्षा के संबंध में अपने मत के निर्धारण के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों को विचार में लिया है।

15. हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया, हमें प्राप्त सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कंपनी द्वारा स्वयं से संबंधित निदेशकों अथवा व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर-नकद संव्यवहार नहीं किया गया है। तदनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान तथा आदेश का पैराग्राफ 3(xv) कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

16. (क) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के खंड 45-1ए के अंतर्गत कंपनी का पंजीकरण किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने किसी गैर-बैंकिग वित्तीय अथवा हाउसिंग वित्तीय गतिविधियां वर्ष के दौरान नहीं की हैं। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(ख) कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

(ग) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार यह कम्पनी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित विनियमों के अनुसार, एक प्रमुख निवेश कम्पनी (सीआई) नहीं है।

(घ) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार यह कम्पनी का किसी समूह के भाग के रूप में कोई सीआईसी नहीं है।

17. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई कम्पनी के रिकॉर्डो की जांच के अनुसार कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान 2,092.74 लाख रुपए तथा तत्काल निकटवर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 1,178.52 लाख रुपए की नकदी हानियों का वहन किया गया है।

18. वर्ष के दौरान किसी सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

19. हमें दी गई सूचना एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरणों एवं हमारे द्वारा वित्तीय अनुपात, कालक्रम एवं वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा वित्तीय देयताओं के भुगतान, वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य सूचना, निदेशक मंडल तथा प्रबंधन की योजनाओं के संबंध में हमारे ज्ञान तथा हमारे द्वारा की गई कम्पनी के रिकॉर्डो की जांच के आधार पर, हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे हमारे इस मत का निर्माण हो सके कि ऐसी कोई सामग्रीगत अनिश्चितता व्याप्त है जिससे यह कम्पनी तुलन पत्र तिथि के अनुसार अपने दायित्वों, तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि जब कभी ये देय हों, की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। हम, तथापि, यह उल्लेख करते हैं कि यह कम्पनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति किसी प्रकार का आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग, लेखापरीक्षा की तिथि तक प्राप्त तथ्यों पर आधारित हैं तथा हम ऐसी कोई गारंटी अथवा आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि में उत्पन्न सभी देयताओं, जब कभी वे देय हों, का निवर्हन कर दिया जाएगा।

20. (क) हमें प्रदान की गई सूचना एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई रिकॉर्डो की जांच के अनुसार कम्पनी के पास जारी परियोजनाओं के अलावा ऐसी अन्य परियोजना नहीं है। कम्पनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी निधि में 6 माह के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसरण में अंतरित की जानी हेतु राशि नहीं है।

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई कम्पनी के रिकॉर्डो की जांच के अनुसार कम्पनी के पास कम्पनी अधिनियम की धारा 135 की उप धारा (5) के अंतर्गत जारी परियोजनाओं से संबंधित कोई अव्ययित राशि शेष नहीं है तथा तदनुसार कम्पनी से से उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में किसी विशेष खाते में कोई राशि अंतरित किए जाने की अपेक्षा नहीं है।

21. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई कम्पनी के रिकॉर्डो की जांच के अनुसार कम्पनी से समेकित विवरणों का निर्माण अपेक्षित नहीं है। तदनुसार आदेश का खंड 3(xxi) कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

कृते एवं की ओर से
चंदाभोय एंड जस्सूभोय
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 101647 W

अम्बेश दवे
साझेदार
(सदस्यता संख्या : 049289)
यूडीआईएन : 23049289BGXCQH5870

मुम्बई : 28 जुलाई, 2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक II"

हमारी **मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के सदस्यों को संबोधित 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट" के पैराग्राफ 9(च) में संदर्भित अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 के उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट

हमने **मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** (''कम्पनी'') के संबंध में 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, वर्ष में समाप्त उक्त तिथि के वित्तीय विवरणों के संयोजन में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रति प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की लेखापरीक्षा के दिशनिर्देश टिप्पणी के अनुसार इसमें उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदयित्वों में सम्बद्ध कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, जालसाजी और चूकों को संज्ञान में लेने, लेखांकन रिकॉर्डो की सटीकता एवं पूर्णता के साथ साथ कंपनी आधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई अपेक्षाओं के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर निर्माण करने सहित अपने व्यवसाय का सुव्यवस्थित एवं कुशल रूप में संचलन करने के सुनिश्चय के लिए प्रचालनात्मक प्रभाव्यता से युक्त, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता का निर्माण करने, कार्यान्वियन करने एवं अनुरक्षण करने के दायित्व शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में अपना मत व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के दिशनिर्देश टिप्पणी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों तथा दिशनिर्देश टिप्पणी में हमसे नैतिक अपेक्षाओं का अनुसरण करते हुए, इस युक्तिसंगत आश्वासन की प्राप्ति के उद्देश्य से यह ज्ञात करने के लिए लेखापरीक्षा की जानी अनिवार्य की गई है कि क्या वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं तथा इनका अनुरक्षण किया जा रहा है तथा क्या प्रत्येक वस्तुगत विषयों के लिए ऐसे नियंत्रण कारगर रूप से प्रचालन कर रहे हैं।

लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की सटीकता एवं उनकी प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन एवं लेखापरीक्षा, सामग्रीगत दोष के रूप में विद्यमान जोखिम के मूल्यांकन तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाना शामिल है। वित्तीय विवरणो के सामग्रीगत, मिथ्या कथन, जालसाजी या त्रुटि के कारण, के मूल्यांकन सहित प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षकों के विवेक पर निर्भर है।

हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा मत की प्रस्तुति के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया वित्तीय रिपोर्टिंग एवं सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों से वित्तीय विवरणों को तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने की अभिकल्पित प्रकिया है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मे वे नीतियां और प्रक्रियाएं शमिल है, (1) जिससे रिकॉर्डो के अनुरक्षण, युक्तिसंगत ब्यौरे, सटीकता तथा स्पष्टता के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान प्रदर्शित होता हो; (2) जिससे यह युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध होता हो कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकॉर्ड किया गया है और कंपनी की आय और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किया गया हैं; (3)जिससे कंपनी की परिसंपत्ति के अनाधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग अथवा निपटान के निवारण और समय पर युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध होते हों अथवा जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभावित कर सकते हों।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की अंतर्निहित परिसीमाएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की दुरभिसंधि अथवा अनुचित प्रबंधन करते हुए नियंत्रणों के अधिरोहण, चूक और जालसाजी के कारण वस्तुगत मिथ्या कथन की संभावनाएं शामिल हैं, जिनका संज्ञान नहीं भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर है कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों मे परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है अथवा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, कंपनी में प्रत्येक सामग्रीगत दृष्टिकोण से वित्तीय विवरण के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने के संबंध में जारी दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित अनिवार्य घटको पर विचार करते हुए, कंपनी की वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए स्थापित अनिवार्य मानदंडों के आधार पर 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग के सभी सामग्रीगत पहलुओं मे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो का पर्याप्त अनुरक्षण किया है।

कृते एवं की ओर से
चंदाभोय एंड जस्सूभोय
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 101647 W

अम्बेश दवे
साझेदार
(सदस्यता संख्या : 049289)
यूडीआईएन : 23049289BGXCQH5870

मुम्बई : 28 जुलाई, 2023

"परिशिष्ट I"

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के संबंध में **मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के सदस्यों को संबोधित हमारी समतिथि की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक I के पैराग्राफ 1(ग) में संदर्भित

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (रुपए)	किसके नाम धारित है	क्या प्रमोटर, निदेशक अथवा उनके रिश्तेदार अथवा कर्मचारी हैं	धारण की अवधि - जहां उपयुक्त हो रेंज का उल्लेख करें (कब से धारित है)	कंपनी के नाम पर न होने का कारण (यदि कोई विवाद हो तो भी उल्लेख करें)
1	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	24,78,900	महाराष्ट्र सरकार	हां। महाराष्ट्र सरकार	22-अगस्त-14	अंतरण प्रक्रियाधीन
2	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	854	महाराष्ट्र सरकार	हां। महाराष्ट्र सरकार	05-अक्टूबर-15	अंतरण प्रक्रियाधीन
3	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	505	महाराष्ट्र सरकार	हां। महाराष्ट्र सरकार	10-दिसम्बर-15	अंतरण प्रक्रियाधीन
4	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	64,77,714	पुलिस आयुक्त, मुंबई महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से एमआईडीसी	हां। महाराष्ट्र सरकार	20-अप्रैल-16	अंतरण प्रक्रियाधीन
5	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	196	महाराष्ट्र सरकार	हां। महाराष्ट्र सरकार	25-मई-16	अंतरण प्रक्रियाधीन
6	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	370	होमगॉर्ड एवं निदेशक नागरिक सुरक्षा	हां। महाराष्ट्र सरकार	14-जुलाई-16	अंतरण प्रक्रियाधीन
7	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	195	SEEPZ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के माध्यम से MIDC	हां। महाराष्ट्र सरकार	28-जुलाई-16	अंतरण प्रक्रियाधीन
8	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	1,93,038	वृहत मुंबई नगर निगम	हां। महाराष्ट्र सरकार	02-सितम्बर-16	अंतरण प्रक्रियाधीन
9	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	30,000	महाराष्ट्र सरकार	हां। महाराष्ट्र सरकार	03-सितम्बर-16	अंतरण प्रक्रियाधीन
10	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	718	वृहत मुंबई नगर निगम	हां। महाराष्ट्र सरकार	23-सितम्बर-16	अंतरण प्रक्रियाधीन

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (रुपए)	किसके नाम धारित है	क्या प्रमोटर, निदेशक अथवा उनके रिश्तेदार अथवा कर्मचारी हैं	धारण की अवधि - जहां उपयुक्त हो रेंज का उल्लेख करें (कब से धारित है)	कंपनी के नाम पर न होने का कारण (यदि कोई विवाद हो तो भी उल्लेख करें)
11	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	5,030	वृहत मुंबई नगर निगम	हां। महाराष्ट्र सरकार	07-दिसम्बर-16	अंतरण प्रक्रियाधीन
12	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	61	वृहत मुंबई नगर निगम	हां। महाराष्ट्र सरकार	08-दिसम्बर-16	अंतरण प्रक्रियाधीन
13	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	430	वृहत मुंबई नगर निगम	हां। महाराष्ट्र सरकार	16-दिसम्बर-16	अंतरण प्रक्रियाधीन
14	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	2,572	वृहत मुंबई नगर निगम	हां। महाराष्ट्र सरकार	24-दिसम्बर-16	अंतरण प्रक्रियाधीन
15	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	2,302	वृहत मुंबई नगर निगम	हां। महाराष्ट्र सरकार	24-दिसम्बर-16	अंतरण प्रक्रियाधीन
16	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	151	वृहत मुंबई नगर निगम	हां। महाराष्ट्र सरकार	02-जनवरी-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
17	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	60	वृहत मुंबई नगर निगम	हां। महाराष्ट्र सरकार	02-जनवरी-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
18	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	382	वृहत मुंबई नगर निगम	हां। महाराष्ट्र सरकार	02-जनवरी-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
19	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	53	वृहत मुंबई नगर निगम	हां। महाराष्ट्र सरकार	02-जनवरी-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
20	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	66,210	वृहत मुंबई नगर निगम	हां। महाराष्ट्र सरकार	18-जनवरी-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
21	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	4,64,825	महाराष्ट्र सरकार	हां। महाराष्ट्र सरकार	18-जनवरी-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
22	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	8,853	वृहत मुंबई नगर निगम	हां। महाराष्ट्र सरकार	17-फ़रवरी-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
23	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	246	महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम	हां। महाराष्ट्र सरकार	23-फ़रवरी-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
24	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	4,108	महाराष्ट्र सरकार	हां। महाराष्ट्र सरकार	04-मई-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
25	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	1,001	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	हां। भारत सरकार	16-मई-17	अंतरण प्रक्रियाधीन

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (रुपए)	किसके नाम धारित है	क्या प्रमोटर, निदेशक अथवा उनके रिश्तेदार अथवा कर्मचारी हैं	धारण की अवधि - जहां उपयुक्त हो रेंज का उल्लेख करें (कब से धारित है)	कंपनी के नाम पर न होने का कारण (यदि कोई विवाद हो तो भी उल्लेख करें)
26	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	214	वृहत मुंबई नगर निगम	हां। महाराष्ट्र सरकार	18-मई-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
27	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	27,375	नायर अस्पताल, एमसीजीएम	हां। महाराष्ट्र सरकार	20-मई-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
28	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	214	वृहत मुंबई नगर निगम	हां। महाराष्ट्र सरकार	22-जून-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
29	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	161	लोक निर्माण विभाग	हां। महाराष्ट्र सरकार	20-जुलाई-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
30	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	969	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम	हां। महाराष्ट्र सरकार	28-अगस्त-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
31	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	880	वृहत मुंबई नगर निगम	हां। महाराष्ट्र सरकार	04-सितम्बर-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
32	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	29,042	वृहत मुंबई नगर निगम	हां। महाराष्ट्र सरकार	19-सितंबर-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
33	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	33,914	वृहत मुंबई नगर निगम	हां। महाराष्ट्र सरकार	19-सितंबर-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
34	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	7,200	महाराष्ट्र सरकार	हां। महाराष्ट्र सरकार	22-सितंबर-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
35	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	2,21,325	मेसर्स सहर गार्डन होटल प्राइवेट लिमिटेड	नहीं	03-नवंबर-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
36	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	2,305	महाराष्ट्र सरकार	हां। महाराष्ट्र सरकार	02-दिसम्बर-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
37	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	885	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम	हां। महाराष्ट्र सरकार	07-दिसम्बर-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
38	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	405	लोक निर्माण विभाग	हां। महाराष्ट्र सरकार	13-दिसम्बर-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
39	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	626	वृहत मुंबई नगर निगम	हां। महाराष्ट्र सरकार	03-अप्रैल-18	अंतरण प्रक्रियाधीन

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (रुपए)	किसके नाम धारित है	क्या प्रमोटर, निदेशक अथवा उनके रिश्तेदार अथवा कर्मचारी हैं	धारण की अवधि - जहां उपयुक्त हो रेंज का उल्लेख करें (कब से धारित है)	कंपनी के नाम पर न होने का कारण (यदि कोई विवाद हो तो भी उल्लेख करें)
40	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	2,100	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम	हां। महाराष्ट्र सरकार	21-मई-18	अंतरण प्रक्रियाधीन
41	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	809	महाराष्ट्र सरकार	हां। महाराष्ट्र सरकार	22-मई-18	अंतरण प्रक्रियाधीन
42	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	373	महाराष्ट्र सरकार	हां। महाराष्ट्र सरकार	22-मई-18	अंतरण प्रक्रियाधीन
43	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	1,636	महाराष्ट्र सरकार	हां। महाराष्ट्र सरकार	29-अगस्त-18	अंतरण प्रक्रियाधीन
44	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	183	मुंबई आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण	हां। महाराष्ट्र सरकार	16-अक्टूबर-18	अंतरण प्रक्रियाधीन
45	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	66	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	हां। भारत सरकार	31-जनवरी-19	अंतरण प्रक्रियाधीन
46	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	11,54,17,641	वृहत मुंबई नगर निगम	हां। महाराष्ट्र सरकार	31-जुलाई-19	अंतरण प्रक्रियाधीन
47	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	12,79,352	आयशाबाई ए खान	नहीं	03-फ़रवरी-21	अंतरण प्रक्रियाधीन
48	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	1,19,72,042	परेरा और अन्य (मरोल)	नहीं	31-मार्च-21	अंतरण प्रक्रियाधीन
49	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	72,22,500	राष्ट्रीय बीमा	नहीं	31-मार्च-21	अंतरण प्रक्रियाधीन
50	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	57,78,000	रवीन्द्र हवेली	नहीं	02-अगस्त-21	अंतरण प्रक्रियाधीन
51	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	29,22,480	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं	11-जनवरी-23	अंतरण प्रक्रियाधीन
	योग	**15,46,61,471**				

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(रुपए लाख में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2022 की स्थिति (पुन:उल्लिखित)	1 अप्रैल, 2021 की स्थिति (पुन:उल्लिखित)
क. परिसंपत्तियाँ				
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ				
क) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	2(क)	46,912.70	47,420.76	47,440.51
ख) पूंजी कार्य प्रगति पर	3(क)	22,93,669.54	19,63,725.15	16,02,595.78
ग) उपयोग अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ	4	5,065.46	4,561.17	4,148.33
घ) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	2(ख)	88.77	73.36	147.83
ङ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3(ख)	934.57	667.42	357.23
च) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) ऋण	5	4.58	8.34	-
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	6	410.61	285.02	1,134.59
छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	21(क)	632.14	374.55	279.76
ज) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	21(ङ)	530.59	1,226.51	1,553.28
झ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	7	61,433.84	76,713.22	1,03,518.95
योग गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		24,09,682.80	20,95,055.50	17,61,176.26
चालू परिसंपत्तियाँ				
क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) नकदी एवं नकदी समतुल्य	8(क)	4,301.49	33,205.33	28,065.50
(ii) उपर्युक्त (i) के अलावा बैंक शेष	8(ख)	324.32	2,801.09	3,131.99
(iii) ऋण	5	3.75	4.11	-
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	6	10,139.18	15,921.27	22,832.69
ख) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	7	33,624.37	32,207.19	31,474.29
योग चालू परिसंपत्तियाँ		48,393.11	84,138.99	85,504.47
योग परिसंपत्तियाँ		24,58,075.91	21,79,194.49	18,46,680.73
ख. इक्विटी एवं देयताएं				
इक्विटी				
क) इक्विटी शेयर पूंजी	9	4,80,540.00	4,40,720.00	3,81,520.00
ख) अन्य इक्विटी	10	(12,631.62)	(9,794.52)	(8,098.42)
योग इक्विटी		4,67,908.38	4,30,925.48	3,73,421.58
देयताएं				
गैर-चालू देयताएं				
क) वित्तीय देयताएं				
(i) ऋण	11	15,13,213.49	13,42,813.85	11,30,564.01
(ii) पट्टा देयताएं	4	3,111.59	2,511.27	1,248.21
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	12	381.69	348.69	35.84
ख) अन्य गैर-चालू देयताएं	13	3,04,009.54	2,75,122.02	2,13,439.52
ग) प्रावधान	14	508.00	486.38	309.51
योग गैर-चालू देयताएं		18,21,224.31	16,21,282.21	13,45,597.09
चालू देयताएं				
क) वित्तीय देयताएं				
(i) ऋण	11	24,888.06	-	-
(ii) पट्टा देयताएं	4	1,325.42	1,463.79	2,549.87
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	12	1,36,718.80	1,19,028.59	1,18,091.51
ख) अन्य चालू देयताएं	13	5,510.06	6,076.71	6,688.26
ग) प्रावधान	14	500.88	417.71	332.42
योग चालू देयताएं		1,68,943.22	1,26,986.80	1,27,662.06
योग देयताएं		19,90,167.53	17,48,269.01	14,73,259.15
योग इक्विटी एवं देयताएं		24,58,075.91	21,79,194.49	18,46,680.73
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1			

संलग्न नोट 1-38 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एवं की ओर से चंदाभोय एंड जस्सूभोय
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या101647W

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन : U60100MH2008SGC181770

अम्बेश ए. दवे
साझेदार
सदस्यता संख्या -049289

ऋतु देब
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. F6754

अबोध खंडेलवाल
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन:07807394

अश्विनी भिडे
प्रबंध निदेशक
अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन:02861008

स्थान : मुम्बई
दिनांक: 28 जुलाई, 2023

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण

(रुपए लाख में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2022 की थिति (पुन: उल्लिखित)
आय			
परिचालनों से राजस्व		-	-
अन्य आय	15	385.60	1,149.37
योग आय		385.60	1,149.37
व्यय			
कर्मचारी हितलाभ व्यय	16	1,144.37	1,249.27
वित्त लागतें	17	26.38	32.75
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	2 एवं 4 (ङ)	970.24	1,020.73
अन्य व्यय	18	1,307.59	1,045.87
योग व्यय		3,448.58	,348.62
वर्ष के दौरान कर पूर्व (हानि)		(3,062.98)	(2,199.25)
कर व्यय			
चालू कर 21(ख)	-		-
पूर्व वर्ष 21(ख)	-		(431.79)
आस्थगित कर	21(क)	(249.35)	(88.70)
योग कर व्यय		(249.35)	(520.49)
वर्ष के दौरान (हानि)		(2,813.63)	(1,678.76)
अन्य व्यापक आय			
मदें जिनका पुन: वर्गीकरण लाभ एवं हानि में नहीं किया जाएगा			
पुनर्मापन की गई परिभाषित हितलाभ योजनाएं		(31.71)	(23.43)
उपर्युक्त से संबंधित आयकर	21(ग)	8.24	6.09
अन्य व्यापक आय/(हानि)		(23.47)	(17.34)
वर्ष के दौरान योग व्यापक (हानि)		(2,837.10)	(1,696.10)
प्रति शेयर आय – अंकित मूल्य 100 रुपए प्रति शेयर	20		
मूल (रुपए में)		(0.60)	(0.42)
डाय्ल्युटिड (रुपए में)		(0.60)	(0.42)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**1**		

संलग्न नोट 1-38 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एवं की ओर से चंदाभोय एंड जस्सूभोय
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या101647W

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन : U60100MH2008SGC181770

अम्बेश ए. दवे
साझेदार
सदस्यता संख्या -049289

ऋतु देब
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. F6754

अबोध खंडेलवाल
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन:07807394

अश्विनी भिडे
प्रबंध निदेशक
अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन:02861008

स्थान : मुम्बई
दिनांक: 28 जुलाई, 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2022 की स्थिति
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व (हानि)	(3,062.98)	(2,199.25)
निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	970.24	1,020.73
वित्त लागत	26.38	32.75
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री से (लाभ)/हानि	1.01	0.59
ब्याज आय	(329.01)	(558.86)
विदेशी मुद्रा (लाभ)/हानि	229.56	(270.56)
परिभाषित हितलाभ योजना का पुनर्मापन	(31.71)	(23.43)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व परिचालन लाभ/(हानि)	(2,196.51)	(1,998.03)
निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों में घटत/(बढ़त)	297.84	(254.03)
गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों में घटत/(बढ़त)	(1,271.10)	10.93
अन्य वित्तीय देयताओं में घटत/(बढ़त)	235.99	(808.38)
गैर वित्तीय देयताओं में घटत/(बढ़त)	(565.73)	(639.98)
प्रावधानों में घटत/(बढ़त)	42.25	77.54
परिचालनों से नकदी की उत्पति/(उपयोग)	(3,457.26)	(3,611.95)
आयकर (चुकता)/धनवापसी	695.92	758.56
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी (बहिर्प्रवाह) (क)	(2,761.34)	(2,853.39)
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
सम्पत्ति,संयंत्र एवं उपकरण का क्रय तथा पूंजी कार्य प्रगति पर	(3,00,748.47)	(3,31,901.73)
सम्पत्ति,संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री से लाभ	1.26	1.83
अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियों तथा विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियों का क्रय/ समायोजन/ बिक्री	(322.69)	(228.91)
सावधि जमा की परिपक्वता/ (में निवेश)	2,466.77	1,066.15
ऋण में घटत / (बढ़त)	4.12	(12.45)
अर्जित ब्याज	649.68	1,663.36
उप पट्टे (ब्याज सहित) में निवेश से लाभ	-	270.15
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी (बहिर्प्रवाह) (ख)	(2,97,949.33)	(3,29,141.60)
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
इक्विटी शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्ति	39,820.00	59,200.00
ऋणों से प्राप्ति	2,17,535.81	2,71,609.00
मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एम.आई.ए.एल.) से अंशदान	12,739.00	8,737.50
पट्टा देयता का भुगतान (ब्याज सहित)	(1,793.39)	(2,411.68)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्प्रवाह/ (बहिर्प्रवाह) (ग)	2,68,301.42	3,37,134.82
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख+ग)	(32,409.25)	5,139.83
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	33,205.33	28,065.50
वित्तीय वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य (संदर्भ नीचे प्रस्तुत नोट-(ख)	796.08	33,205.33

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण

नोट:

(क). उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण का निर्माण यथासंशोधित कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2015 इंड एएस-7 – नकदी प्रवाह विवरण में निर्धारित 'अप्रत्यक्ष विधि'' के अंतर्गत किया गया है।

(ख). नकदी एवं नकदी समतुल्य में प्रयुक्त :

(रुपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च, 2023 की स्थिति**	**31 मार्च, 2022 की स्थिति**
बैंकों में शेष	211.49	55.33
बैंकों में सावधि जमा, जिनकी मूल परिपक्वता तीन माह अथवा कम है	4,090.00	33,150.00
बैंक ओवरड्राफ्ट	(3,505.41)	-
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	796.08	33,205.33

(ग). इंड एएस 7 के अनुसरण में ऋण परिवर्तन विवरण :

विवरण	**1 अप्रैल, 2022 की स्थिति**	**नकदी प्रवाह**	**गैर-नकदी प्रभार**	**31 मार्च, 2023 की स्थिति**
ऋण	13,42,813.85	2,21,200.47	(25,912.77)	15,38,101.55
योग ऋण	13,42,813.85	2,21,200.47	(25,912.77)	15,38,101.55

विवरण	**1 अप्रैल, 2021 की स्थिति**	**नकदी प्रवाह**	**गैर-नकदी प्रभार**	**31 मार्च, 2022 की स्थिति**
ऋण	11,30,564.01	2,71,609.00	(59,359.16)	13,42,813.85
योग ऋण	11,30,564.01	2,71,609.00	(59,359.16)	13,42,813.85

विवरण	**1 अप्रैल, 2020 की स्थिति**	**नकदी प्रवाह**	**गैर-नकदी प्रभार**	**31 मार्च, 2021 की स्थिति**
ऋण	9,92,890.88	2,07,500.00	(69,826.87)	11,30,564.01
योग ऋण	9,92,890.88	2,07,500.00	(69,826.87)	11,30,564.01

(घ). जहां लागू है वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुन:समूहन / पुन:वर्गीकरण किया गया है।

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एवं की ओर से चंदाभोय एंड जस्सूभोय
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या101647W

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन : U60100MH2008SGC181770

अम्बेश ए. दवे
साझेदार
सदस्यता संख्या -049289

ऋतु देब
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. F6754

अबोध खंडेलवाल
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन:07807394

अश्विनी भिडे
प्रबंध निदेशक
अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन:02861008

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 28 जुलाई, 2023

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार इक्विटी परिवर्तन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपए लाख में)

विवरण	राशि
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार शेष	3,81,520.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	59,200.00
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार शेष	4,40,720.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	39,820.00
31 मार्च, 2023 को शेष	4,80,540.00

ख. अन्य इक्विटी

(रुपए लाख में)

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष – धारित आय (कुल इक्विटी)
1 अप्रैल, 2021 को शेष (पुन:उल्लिखित)	(8,098.42)
वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)	(1,678.76)
अन्य व्यापक आय (कर निवल)	(17.34)
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	(1,696.10)
1 अप्रैल, 2022 को शेष (पुन:उल्लिखित)	(9,794.52)
वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)	(2,813.63)
अन्य व्यापक आय (कर निवल)	(23.47)
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	(2,837.10)
31 मार्च, 2023 को शेष	(12,631.62)

नोट : धारित आय में शेष समय के दौरान संचित लाभ / (हानि) की प्रस्तुति करते हैं।

संलग्न नोट 1-38 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एवं की ओर से चंदाभोय एंड जस्सूभोय
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या101647W

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन : U60100MH2008SGC181770

अम्बेश ए. दवे
साझेदार
सदस्यता संख्या -049289

ऋतु देब
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. F6754

अबोध खंडेलवाल
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन:07807394

अश्विनी भिडे
प्रबंध निदेशक
अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन:02861008

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 28 जुलाई, 2023

MMRC

वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

कॉर्पोरेट सूचना

मुम्बई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड ("एमएमआरसीएल" अथवा "कम्पनी"), सीआईएन : U60100MH2008SGC181770 का निगमन भारत में लागू कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत हुआ है। यह कम्पनी भारत सरकार ('GOI') तथा महाराष्ट्र सरकार ('GOM') के मध्य 50:50 अनुपात की संयुक्त उद्यम कम्पनी है। कम्पनी का उद्देश्य क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों तथा मुम्बई उपनगरीय रेल प्रणाली से कनेक्ट न हुए क्षेत्रों के लिए रेल आधारित सार्वजनिक रैपिड ट्रांजिट सुविधा उपलब्ध करवाना तथा 500 मीटर से 1 किलोमीटर के दायरे में मेट्रो प्रणाली तक पहुंच स्थापित करना है।

कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय मुम्बई, भारत में स्थित है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत हैं तथा इन्हें जारी किए जाने के लिए दिनांक 28 जुलाई, 2023 को अनुमोदन दिया गया है।

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.1 वित्तीय विवरणों के निर्माण का आधार

इन वित्तीय विवरणों का निर्माण समय समय पर संशोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक(नियमावली, 2015 के नियम 3 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के अनुसरण में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय)द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों ('भारतीय लेखांकन मानक'), अधिनियम के अन्य संबंधित प्रावधानों तथा भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार किया गया है। इसके अलावा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मार्गदर्शी नोट / घोषणाओं को भी, जहां लागू है, विचार में लिया गया है तथा कम्पनी ने उनका निरंतर अनुपालन किया है। कम्पनी द्वारा प्रस्तुति अवधियों के लिए संगत लेखांकन नीतियों का उपयोग किया गया है।

1.2 मापन का आधार

वित्तीय विवरण कुछ वित्तीय उपकरणों और परिसंपत्तियों को छोड़कर लेखांकन के प्रोद्भवन और चालू चिंता के आधार पर ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत तैयार किए गए हैं, जिन्हें भारतीय लेखा मानक के अनुसार उचित मूल्य पर मापा जाता है।

1.3 अनुमानों एवं प्रबंधन के निर्णयों का उपयोग

वित्तीय विवरणों का निर्माण भारतीय लेखांकन मानक के सिद्धांतों के अनुरूप करने के लिए प्रबंधन को अनुमानों, निर्णयों तथा धारणाओं का उपयोग करना पड़ता है। ऐसे अनुमान, निर्धारण तथा पूर्वानुमान लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग तथा परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरणों की तिथि को प्रकटीकरण की गई आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं तथा अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई राजस्व एवं व्यय की राशियों की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। प्रबंधन का ऐसा मानना है कि इन वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए लगाए गए अनुमान विवेकी एवं औचित्यपरक हैं। तथापि, इन अनुमानों की अनिश्चितता से ऐसे परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं जिनके लिए भावी अवधियों में प्रभावित परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं की वहन राशियों में सामग्रीगत परिवर्तन अपेक्षित हो सकता है।

अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय विवरण की तिथि के आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन की स्वीकृति उस अवधि में और भविष्य में प्रभावित होने वाली किसी अवधि के लिए दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं ।

1.4 चालू / गैर-चालू वर्गीकरण

भारतीय लेखांकन मानक 1 'वित्तीय विवरणों का निर्माण'' के अनुसार कम्पनी से की गई अपेक्षा के अनुसार चालू / गैर-चालू वर्गीकरण पर आधारित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की प्रस्तुत तुलन पत्र में दी गई है।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का वर्गीकरण गैर-चालू परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के रूप में किया गया है।

कम्पनी का सार्वजनिक अवसरंचना परियोजनाओं के निर्माण से संबंधित प्रचालनों से संबंधित परिचालन क्रम परियोजनाओं के आकार, विकास की प्रकृति, परियोजनाओं की जटिलताओं तथा संबंधित अनुमोदनों, जो सामान्य बारह माह की अवधि पर आधारित होते हैं, के अनुसार परियोजनाओं के संबंध में भिन्न हो सकता है। पूर्ण की गई तथा परिचालनात्मक व्यवसाय के सभी परिचालन क्रम बारह माह की अवधि पर आधारित होते हैं। संबंधित परिचालन क्रम के आधार पर किया गया वर्गीकरण चालू तथा गैर-चालू परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के रूप में है।

1.5 कार्यात्मक एवं प्रस्तुति की मुद्रा

यदि कहीं अन्यथा उल्लेख नहीं है तो वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रुपए (₹) में की गई है जो कम्पनी द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली मुद्रा है। सभी राशियों को निकटतम लाख रुपए में राउंड ऑफ किया गया है।

1.6 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

स्वीकृति तथा प्रारंभिक मापन

- संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (पीपीई) की प्रस्तुति अधिग्रहण/निर्माण की लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन तथा क्षमता हानि, यदि कोई हो, को घटाकर की गई है। लागत में खरीद मूल्य तथा परिसंपत्ति को उसके वर्तमान स्थान एवं उसके आशित उपयोग के लिए उसे कार्यशील स्थिति में लाने की संबंधित / निर्धारित लागत शामिल है। लागत में प्रत्यक्ष लागत एवं अन्य संबंधित आकस्मिक व्यय भी शामिल हैं। परिसंपत्तियों के परीक्षण के दौरान अर्जित राजस्व, यदि कोई हो, का समायोजन परिसंपत्तियों की लागत के प्रति किया जाता है। लागत में संयंत्र तथा उपकरण के भाग को बदलने की लागत भी शामिल है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण/विकास से संबंधित ऋण लागत, जिसे इसके आशित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है, को भी उस सीमा तक शामिल किया जाता है, जब तक कि ऐसी परिसंपत्तियाँ आशित उपयोग के लिए तैयार न हो जाएं।

- संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण जो तुलन पत्र तिथि तक आशित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, की प्रस्तुत 'पूंजी कार्य प्रगति पर' के रूप में की जाती है।

- जमा कार्य/अनुबंधों का पूंजीयन निष्पादन एजेंसियों से प्राप्त लेखा विवरण के आधार पर पूरा होने पर तथा इसकी प्राप्ति न होने पर निष्पादित कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। लागत में उस तिथि तक योग्य स्थिर परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित ऋण ब्याज तथा किसी व्यवसाय छूट अथवा रियायतों का निवल एवं अन्य आनुषंगिक और साथ ही मद को डिस्मेंटल किए जाने, हटाए जाने एवं उस स्थल पर पुन:स्थापित किए जाने, जहां यह स्थापित है, के आनुषंगिक व्यय, यदि कोई हों, भी शामिल हैं।

- आशित उपयोग के लिए परिसंपत्तियाँ तैयार होने के ऐसे मामले में, जिसमें ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान अभी तक नहीं हुआ है, पूंजीयन की प्रक्रिया अंतिम निपटान किए जाने के वर्ष में आवश्यक समायोजन किए जाने की शर्त के साथ अस्थाई आधार पर की जाती है।

अनुवर्ती मापन (मूल्यह्रास एवं उपयोज्यता काल)

- निम्नलिखित मामलों के अलावा, जिनमें उपयोज्यता काल का निर्धारण तकनीकी तथा / अथवा प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है, मूल्यह्रास की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग के अंतर्गत निर्धारित अनुमानित उपयोज्यता कालमें उनके संबंध में निर्धारत लागत, उनके निवल अवशिष्ट मूल्यों को घटाकर, के निर्धारण के लिए सीधी रेखा आधार पर की जाती है।

परिसम्पत्ति का नाम	विचारित उपयोज्यता काल	विचारित मद की प्रकृति
भवन	5 वर्ष	ट्रांजित कार्यालय भवन एवं सौर संयंत्र
कम्प्यूटर एवं पेरीफेरल्स	3 वर्ष	सर्वर तथा नेटवर्क उपकरण
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	5 वर्ष	कार्य स्टेशन, सोफा
कार्यालय उपकरण	3 वर्ष	यूपीएस,मोबाइल कैमरा आदि

- अपशिष्ट मूल्यों, उपयोज्यता काल तथा सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मूल्यह्रास की विधि की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उपयुक्त पाए जाने पर उनका उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किया जाता है।

- पट्टाधारित भूमि में किए गए सुधारों का अवधि एवं उपयोग के अन्य उपबंधों के आधार पर परिशोधन किया जाता है।

- 5,000/- रुपए से कम अथवा समान लागत की अलग अलग परिसम्पत्तियों का पूर्ण मूल्यह्रास / परिशोधन क्रय के वर्ष में किया जाता है।

- मूल्यह्रास की गणना परिसंपत्ति के आशित उपयोग के लिए तैयार होने की तिथि से आनुपातिक आधार पर की जाती है।

- विभिन्न उपयोज्यता काल वाले महत्वपूर्ण घटकों का लेखांकन अलग अलग किया जाता तदनुसार मूल्यह्रास किया जाता है।

स्वीकृति समाप्ति

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण को उपयोग से हटाए जाने अथवा निपटान से प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

भूमि -

विभिन्न सरकारी निकायों तथा विभागों सहित भूस्वामियों द्वारा सौंपे गए भूखंड, जिसके लिए कंपनी ने कब्जा प्राप्त कर लिया है, की स्वीकृति कंपनी द्वारा भूमि का कब्जा लेने अथवा भुगतान करने, जो भी पहले हो, के समय की जाती है।

संवर्धित प्रतिपूर्ति, यदि कोई हो, को तब प्रभारित किया जाता है जब भुगतान देय होता है।

पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन की लागत भूमि के मूल्य में जोड़ी जाती है।

कब्जे में धारित पट्टा धारित भूमि, बिक्री प्रतिफल घटा संरचना के अधिग्रहण की लागत तथा ऐसी संरचनाओं को ध्वस्त किए जाने की लागत सहित, भूमि से संबंधित दायित्व के अस्थाई / अनुवर्ती प्रभाव के भुगतान भूमि अथवा पट्टाधारित भूमि की लागत माने जाते हैं।

अस्थायी आधार पर प्राप्त की गई के प्रति दायित्व से संबंधित अस्थाई / अनुवर्ती भुगतान का परिशोधन भूमि का कब्जा प्राप्त होने की अवधि में किया जाता है।

सरकारी भूमि :-

विभिन्न राज्य सरकारों के निकायों/विभागों से किसी लागत के बिना नि:शुल्क प्राप्त भूखंडों का कम्पनी को प्राप्त नियंत्रण / स्वामित्व की स्वीकृति नाममात्र मूल्य पर की जाती है।

निजी पार्टियों से प्राप्त भूमि सहित अन्य भूमि:-

परियोजना के निष्पादन हेतु आवश्यक संरेखन के लिए संज्ञान में लिए गए भूखंड तथा अन्य एजेंसियों / निजी पार्टियों प्राप्त भूखंडों का लेखांकन अधिग्रहण लागत पर किया जाता है।

1.7 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

- अमूर्त परिसंपत्तियों का अलग अलग प्रारंभिक मापन लागत पर किया किया जाता है। इसके पश्चात, अमूर्त परिसम्पत्तियों का वहन लागत घटा किसी संचयी परिशोधन तथा संचीय क्षमता हानि, यदि कोई हो, पर किया जाता है।
- लागत में अधिग्रहण मूल्य, विकास लागत तथा सम्बद्ध / निर्धारण योग्य अन्य आकस्मिक लागत जो परिसम्पत्तियों को उसके आशित उपयोग उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए व्यय की गई है, शामिल है।
- अस्थाई उपयोग के लिए सरकार/अन्य एजेंसियों से नि:शुल्क प्राप्त भूमि का लेखांकन अमूर्त परिसम्पत्ति – अनुमति के रूप में किया जाता है। इसके अधिकारों की स्वीकृत नाममात्र मूल्य पर की जाती है।
- अनुवर्ती व्यय का पूंजीयन केवल तभी किया जाता है जब विश्वसनीयता प्रापत हो कि व्यय से संबंधित भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होंगे।
- विकासाधीन परिसम्पत्तियों पर व्ययित लागत का प्रकटीकरण विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियों के अंतर्गत किया जाता है तथा उपयोग के लिए तैयार होने तक इनका मूल्यह्रास नहीं किया जाता है।

परिशोधन

निश्चित उपयोग वाली सभी अमूर्त परिसम्पत्तियों का परिशोधन उनके अनुमानित उपयोज्यता काल सीधी रेखा आधार पर किया जाता है। साफ्टवेयर, जो संबंधित हार्डवेयर का एकीकृत भाग नहीं है, सहित अमूर्त परिसम्पत्तियों का परिशोधन विधिक अधिकार की अवधि अथवा पांच वर्ष की अवधि, जो भी कम हो, में सीधी रेखा आधार पर किया जाता है।

अवशिष्ट मूल्य, उपयोज्यता काल एवं अमूर्त परिसम्पत्तियों के परिशोधन की विधि की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में जाती है तथा इनका समायोजन पूर्वव्यापी प्रभाव, यदि उचित समझा जाता है, से किया जाता है।

1.8 पूंजी कार्य - प्रगति पर

पूंजी कार्य प्रगति पर की प्रस्तुति लागत घाटा अक्षमता हानि, यदि कोई हो, पर की गई है। लागत में कंपनी की परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान किए गए निर्माण से संबंधित सभी प्रत्यक्ष एवं संबंधित अप्रत्यक्ष व्यय (अर्हक पीपीई के निर्माण अथवा अधिग्रहण के लिए ऋण पर प्राप्त निधियों से संबंधित वित्तीयन लागत सहित) शामिल हैं, जिसका वहन कम्पनी की परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि में किया गया था। ऐसे व्यय को परिभाषित परियोजना चरण पूरा होने तक पूंजी कार्य प्रगति पर माना जाता है तथा उसके पश्चात इसका अंतरण / निर्धारित पीपीई में किया जाता है। पूंजीयन से पूर्व ऐसी पूंजी परियोजना से अर्जित राजस्व, यदि कोई हो, का समायोजन पूंजी कार्य प्रगति पर के मूल्य में किया जाता है। निर्णित हर्जाने का लेखांकन अंतिम बिल के निपटान के लिए किया जाता है। मूल्य भिन्नता सहित दावों का लेखांकन स्वीकृति के आधार पर किया जाता है। प्रशासनिक एवं सामान्य ऊपरी खर्चों को परियोजना के तकनीकी भाग से संबद्ध किया जाता है तथा इनका पूंजीयन पूंजी कार्य प्रगति पर के भाग के रूप में किया जाता है।

जेआईसीए से ब्याज युक्त ऋण के प्रति पास थ्रू असिस्टेंस (पीटीए) पर अर्जित ब्याज तथा परियोजना के संबंध में ठेकेदारों आदि को दिए गए अग्रिम पर ब्याज का समायोजन अन्य कार्य प्रगति पर के अंतर्गत निर्माण के दौरान (आईडीसी) प्राप्त ब्याज के रूप में किया जाता है।

निर्माण के दौरान ब्याज का निर्धारण

वर्ष के दौरान प्रारंभ की गई अर्हक परिसंपत्तियों से संबंधित निर्माण अवधि के दौरान ब्याज (आईडीसी) का निर्धारण उस अनुपात में किया जाता है जो कमीशनिंग के माह के अंत में प्रारंभ की गई परिसंपत्तियों का मूल्य कार्य प्रारंभ किए जाने के माह के अंत में अर्हक पूंजी कार्य प्रगति पर के लिए होता है।

1.9 मालसूचियां एवं पुर्जे

एक वर्ष से अधिक के उपयोज्यता काल तथा 10 लाख रुपए अथवा अधिक मूल्य वाले पुर्जों का प्रत्येक मामले में पूंजीयन संबंधित शीर्ष में अलग अलग किया जाता है।

मालसूचियों सहित लूज उपकरणों का मूल्यन लागत से कम मूल्य, भारित औसत आधार पर निर्धारित, तथा निवल प्राप्य मूल्य के अनुसार किया जाता है।

1.10 गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों की अक्षमता हानि

प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को आंतरिक/बाह्य कारकों के आधार पर किसी परिशोधन के संकेत ज्ञात करने के गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है। इस तरह के मूल्यांकन के माध्यम से जब किसी परिसम्पत्ति की वहन राशि वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाती है तो क्षमता हानि की स्वीकृति की जाती है। परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि शुद्ध बिक्री मूल्य या उपयोग मूल्य, जो भी अधिक हो, है। उपयोग मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को पूंजी की भारित औसत लागत का उपयोग करके वर्तमान मूल्य से छूट दी जाती है।

पूर्व स्वीकृत अक्षमता हानि को परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर आगे प्रदान किया जाता है अथवा इस प्रकार रिवर्स किया जाता है कि इनकी वहन राशि में वह बढ़ोतरी न हो जिसका निर्धारण तब किया गया होता जब पूर्व स्वीकृत अक्षमता हानि के रूप स्वीकृत न की गई होती। साख में हुई अक्षमता हानि का रिर्वसल नहीं किया जाता है।

1.11 विदेशी मुद्रा

प्रारम्भिक स्वीकृति

विदेशी मुद्रा संव्यवहार कार्यात्मक मुद्रा (भारतीय रुपए) और विदेशी मुद्रा राशि के बीच विनिमय दर को लागू करके कार्यात्मक मुद्रा (भारतीय रुपया) में रिकॉर्ड तिथी किए जाते हैं।

परिवर्तन

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित वर्ष के अंत में बकाया सभी मौद्रिक वस्तुओं को रिपोर्टिंग तिथि की विनिमय दर पर भारतीय रुपये में परिवर्तित कर दिया जाता है। गैर-मौद्रिक मदें, जिनका मापन विदेशी मुद्रा में अंकित ऐतिहासिक लागत की वस्तुओं में किया जाता है, संव्यवहार की तिथि की विनिमय दर का उपयोग करके रिपोर्ट की जाती हैं तथा गैर-मौद्रिक मदें, जो उचित मूल्य या विदेशी मुद्रा में अंकित अन्य समान मूल्यांकन पर होती हैं। मुद्रा की रिपोर्ट उन विनिमय दरों का उपयोग करके की जाती है जो मूल्य निर्धारित होने के समय मौजूद थीं।

विनिमय भिन्नता

ऐसे रूपांतरण और लेनदेन के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

1.12 राजस्व स्वीकृति

राजस्व

कंपनी अभी निर्माण-चरण/विकास-चरण में है तथा इसके परिचालन अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की 'परिचालन से राजस्व' से संबंधित लेखांकन नीतियों का निर्माण अभी नहीं हुआ है।

राजस्व भारतीय लेखांकन मानक 115 (ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व) के अनुसार ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंध से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति तब की जाती है जब माल अथवा सेवाओं का अंतरण ग्राहक को उस प्रतिफल के रूप में दर्शाई गई राशि पर किया जाता है जिसकी कम्पनी द्वारा माल अथवा सेवाओं का विनिमय किए जाने पर प्राप्त किए जाने की प्रत्याशा करती है। जब संग्रहण के प्रति किसी प्रकार की अनिश्चितता होती है तो ऐसी अनिश्चितता समाप्त होने तक के लिए राजस्व स्वीकृति स्थगित की जाती है।

निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के प्रति राजस्व का मापन निष्पादन दायित्व से सम्बद्ध संव्यवहार मूल्य (परिवर्तनीय प्रतिफल का निवल) पर किया जाता है। विभिन्न प्रकार की डिस्काउंट एवं अनुबंध के अंतर्गत कम्पनी द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के अनुसार बिक्री किए गए माल तथा प्रदान की गई सेवाओं का परिवर्तनीय प्रतिफल निवल संव्यवहार मूल्य है।

इस परिवर्तनीय प्रतिफल के अनुमान बहिर्प्रवाह के संभावित मूल्य के आधार पर आंके जाते हैं। राजस्व (परिवर्तनीय प्रतिफलों का निवल) की स्वीकृति केवल उस विस्तार तक के लिए की जाती है जिसकी राशि की प्राप्ति के प्रति यह पूर्ण संभावना हो कि वह उसकी स्वीकृति से सम्बद्ध अनिश्चितता का समाधान होने पर किसी प्रकार के रिर्वसल के अध्याधीन नहीं होगी।

निश्चित मूल्य अनुबंध के तहत राजस्व की स्वीकृति प्रतिशत पूर्णता विधि के उपयोग से कुल लागत तथा आनुपातिक मार्जिन का योग करके की जाती है। पूर्णता का प्रतिशत कुल अनुमानित अनुबंध लागत पर अब तक हुई लागत के अनुपात के रूप में निर्धारित किया जाता है। राजस्व को ग्राहकों को सेवाओं के नियंत्रण के हस्तांतरण पर उस राशि में स्वीकृति दी जाती है जो उस राशि को दर्शाती है जो हम उन सेवाओं के बदले में प्राप्त करने की प्रत्याशा करते हैं, उन मामलों के अलावा जो उपलब्धि के रूप् में परिभाषित हैं।

अन्य गैर-परिचालन आय

निर्माण कार्यों के संबंध में ठेकेदारों से प्राप्त किराए से होने वाली आय की स्वीकृति प्रोद्भवन आधार पर की जाती है तथा इसका समायोजन कार्य प्रगति पर के प्रति किया जाता है।

अन्य गैर-परिचालन आय की स्वीकृति प्रोद्भवन आधार पर की जाती है, चाहे वे उत्पन्न तो हुए हों परन्तु देय न हों।

ब्याज आय

कंपनी के इक्विटी योगदान से उपलब्ध धनराशि से सावधि जमा पर ब्याज आय को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

यदि वसूली के प्रति किसी प्रकार की अनिश्चितता नहीं है तो ठेकेदारों से प्राप्त ब्याज को प्रोद्भवन आधार पर लाभ एवं हानि विवरण/पूंजी कार्य प्रगति पर में स्वीकृति दी जाती है।

1.13 ऋण लागतें-

ऋण लागतें वे लागतें हैं जो किसी ऐसी अर्हक(योग्य) परिसम्पत्ति के अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से संबंधित होती हैं वे उस अवधि के दौरान पूंजीकृत की जाती हैं जिस अवधि में परिसंपत्ति इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होती है।

अर्हक परिसम्पत्ति वह परिम्पति है जिसे आशित उद्देश्य से उपयोग के लिए तैयार करने काफी समय लगता है। विशिष्ट ऋणों के अस्थायी निवेश पर अर्जित निवेश आय, जिनका व्यय योग्य परिसंपत्तियों के संबंध में लंबित है, की कटौती पूंजीयन के पात्र ऋण लागतों में से की जाती है। अन्य ऋण लागतों को उसी अवधि में व्यय किया जाता है जिस अवधि में वे उत्पन्न होती हैं।

1.14 कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात हितलाभ

परिभाषित योगदान योजनाएँ

कर्मचारी भविष्य निधि एवं पेंशन निधि में अंशदान के रूप में सेवानिवृत्ति लाभों को लाभ एवं हानि विवरण/पूंजी कार्य प्रगति पर में प्रभारित किया जाता है।

परिभाषित हितलाभ योजनाएं

उपदान परिभाषित हितलाभ योजना की प्रकृति के दायरे में है।

उपदान के प्रावधान की गणना रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है तथा इसे लाभ एवं हानि विवरण / पूंजी कार्य प्रगति पर विवरण में प्रभारित किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन की गणना अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति के उपयोग से की जाती है। कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ उपदान ट्रस्ट फंड स्थापित किया है।

बीमांकिक लाभ और हानि, परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव, शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशि के अलावा, पुनर्मापन के लिए योजना परिसंपत्तियों पर प्राप्त लाभ तुरंत तुलन पत्र में, घटित होने की अवधि में अन्य व्यापक आय के माध्यम से धारित आय को संबंधित नामे अथवा जमा के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

अन्य लाभ - अर्जित छुट्टी

छुट्टी नकदीकरण की स्वीकृति लाभ हानि विवरण/पूंजी कार्य प्रगति पर में व्यय के रूप में की तब कीजाती है जब वे अर्जित होती हैं। कंपनी द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके, तुलन पत्र की तिथि के अनुसार किए गए बीमांकिक मूल्यांकन सहित, देनदारी का निर्धारण किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को रोजगार पश्चात हितलाभ

भारत सरकार / महाराष्ट्र सरकार / अन्य सरकारी विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के संबंध में, नियोक्ता भविष्य निधि अंशदान, विदेशी सेवा अंशदान तथा अन्य सांविधिक देय प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार मूल संगठनों को भुगतान किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में देय ऐसे लाभों का प्रावधान वित्तीय विवरणों में अनुमान लगाए गए हैं तथा इनकी स्वीकृति की गई है।

1.15 आय कर

चालू आयकर

चालू आयकर का मापन रिपोर्टिंग तिथि को लागू कर दरों तथा रिपोर्टिंग तिथि को लागू कर कानूनों के उपयोग कराधान प्राधिकरण को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के अनुसार जाता है।

लाभ और हानि के विवरण के अलावा स्वीकृत प्राप्त मदों से संबंधित चालू आयकर की स्वीकृति अन्य व्यापक आय (ओसीआई) अथवा इक्विटी में की जाती है। चालू कर मदों को अन्य व्यापक में अथवा सीधे इक्विटी में अंतर्निहित सह-संबंध के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

जब स्वीकृत की गई राशियों को सेट-ऑफ करने का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त होता है तथा जब कम्पनी की मंशा निवल आधार पर निपटान करने की अथवा परिसम्पत्तियों की बिक्री तथा निपटान एकसाथ करने की होती है तो कंपनी द्वारा चालू कर परिसंपत्तियों तथा चालू कर देयताओं को ऑफ-सेट किया जाता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर का व्यवस्थापन रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों तथा देयताओं के कर आधार एवं उनकी वहन राशि के मध्य अस्थाई भिन्नताओं पर देयता विधि के उपयोग से किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों के लिए स्वीकृति उस सीमा तक के लिए दी जाती है जिसमें यह विश्वसनीयता व्याप्त होती है कि इससे कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिनके उपयोग से कटौती योग्य अस्थायी भिन्नता तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिट एवं अप्रयुक्त कर घाटे का अग्रेषण हो सकेगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है तथा इसे इस सीमा तक न्यून किया जाता है कि इसमें यह संभावना शेष न रहे कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी अथवा उसके भाग के उपयोग से पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध हो सकेगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को तब ऑफ सेट किया जाता है जब उनकी सम्बद्धता समान कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से होती है तथा संबंधित इकाई की मंशा चालू कर परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का निपटान निवल आधार पर करने की होती है।

लाभ एवं हानि के विवरण से बाह्य स्वीकृति प्राप्त मदों से संबंधित आस्थगित कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण से बाह्य की जाती है। आस्थगित कर की ऐसी मदों की स्वीकृति अंतनिर्हित संव्यवहारों में अन्य व्यापक आय में अथवा सीधे इक्विटी में की जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का मापन उन वर्षों के लिए प्रयुक्त कर दरों, जो आगामी उन वर्षों में करयोग्य आय के संबंध में उपयोग किए जाने की संभावना है जिनमें अस्थाई भिन्नता हो सकती हैं अथवा निपटान किया जा सकता है, पर किया जाता है।

1.16 पट्टे

पट्टेदार के रूप में कंपनी:

कंपनी द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित अभिमुखता के उपयोग से 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी भारतीय लेखांकन मानक 116-पट्टे को अंगीकार किया गया है, तदनुसार, पिछली अवधि से संबंधित सूचना की पुन:प्रस्तुति की गई है। इस मानक की उपयोज्यता से प्रारंभिक उपयोज्यता की तिथि को हुए संचयी प्रभाव की स्वीकृति पूंजी कार्य प्रगति पर में की गई है। कंपनी के पट्टा परिसंपतियों के वर्ग में मुख्यत: भूमि एवं भवनों से संबंधित पट्टे हैं। संयुक्त पट्टा समझौतों के अंतर्गत भूमि तथा भवन का मूल्यांकन अलग अलग किया जाता है। किसी अनुबंध के प्रारंभ में कंपनी द्वारा यह आकलन किए जाते हैं कि अनुबंध के प्रारंभ में पट्टा है अथवा नहीं है। किसी अनुबंध में, अथवा उसमें, पट्टा होने के संबंध में यदि अनुबंध के अंतर्गत किसी समयावधि में प्रतिफल के भुगतान से किसी निर्धारित परिसम्पत्ति के उपयोग के नियंत्रण का अधिकार प्राप्त होता है। यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या अनुबंध में किसी निर्धारित अंतनिर्हित परिसम्पत्ति के उपयोग के नियंत्रण का अधिकार है अथवा नहीं है, कम्पनी द्वारा निम्नलिखित मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या :

i) अनुबंध में निर्धारित अंतर्निहित परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है,

ii) कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त हुए हैं, तथा

iii) कंपनी को अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

पट्टे के प्रारंभ की तिथि को कम्पनी द्वारा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पत्ति ("आरओयू") एवं सम्बंधित पट्टा देनदारियों तथा उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं के संबंध में, जिनमें यह पट्टेदार है, स्वीकृति दी जाती है जो कि ऐसे पट्टे के संबंध में नहीं दी जाती है जिनका काल बारह माह अथवा कम (अल्पकालिक पट्टे) है तथा परिसम्पत्तियों का पट्टा मूल्य कम है, जिसमें पट्टे किराए का मूल्य कुल अवधि के लिए 1 करोड़ रुपए तक है।

अल्पावधि तथा कम मूल्य की अंतर्निहित परिसंपत्तियों के पट्टों के लिए, पट्टे की अवधि के दौरान, कंपनी पट्टे के भुगतान की सीधी रेखा आधार पर स्वीकृति परिचालन व्यय के रूप में करती है। पट्टा अवधि के कुल काल के दौरान प्रत्येक पट्टा अनुबंध के अंतर्गत देय पट्टा किराए का मूल्य 1 करोड़ रुपये से अधिक को समग्र माना जाता है तथा तदनुसार मानक की अपेक्षाएं उपयोग में लाई जाती हैं।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पत्तियों की प्रारंभिक स्वीकृत लागत, जिसमें पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि का समायोजन किए गए अथवा पट्टा प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व किए गए पट्टा भुगतानों जमा प्रोत्साहन को घटाकर किसी किसी प्रकार की प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत के अनुसार की जाती है।

उपयोग अधिकार वाली परिसंपत्तियों का अनुवर्ती मापन लागत घटा संचित मूल्यह्रास / परिशाोधन एवं क्षमता हानियों, यदि कोई हो, के अनुसार किया जाता है।

उपयोग अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास पट्टा प्रारंभ होने की तिथि से सीधी रेखा आधार पर पट्टे के न्यूनतम काल एवं अंतनिर्हित परिसम्पत्ति के उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पत्तियों तथा पट्टा देयता का समायोजन किसी भी पट्टा संशोधन अथवा नियत पट्टा भुगतानों के संशोधित सार तत्व की प्रस्तुति के लिए भी किया जाता है।

पट्टा दायित्व का मापन प्रारंभ में भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है। पट्टा भुगतानों को पट्टे में निहित ब्याज दर के उपयोग अथवा, यदि यह तत्काल निर्धारण योग्य नहीं है, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके, छूट दी जाती है। पट्टे देयता का अनुवर्ती पुनर्मापन बाद में पट्टे की देनदारी पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को बढ़ाकर और किए गए पट्टे के भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को कम करके पुनर्मापन किया जाता है।

पट्टा काल परिवर्तन अथवा सूचक में परिवर्तन अथवा पट्टा भुगतानों के लिए प्रयुक्त दर के निर्धारण की घटनाओं जैसी स्थिति के कारण पट्टा देयता का पुनर्मापन किया जाता है। पुनर्मापन के लिए सामान्यत: पट्टा परिसम्पत्तियों में भी समायोजन किए जाते हैं।

पूर्ण प्रतिफल का भुगतान, संव्यवहार मूल्य के रूप् में, करके पट्टे पर प्राप्त परिसम्पत्तियों की स्वीकृति उपयोग अधिकार परिसम्पत्ति शीर्ष के अंतर्गत शून्य परिणामी देयता के साथ संव्यवहार मूल्य पर की जाती है।

पट्टादाता के रूप में कंपनी:

ऐसे पट्टे जिनमें कंपनी परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करती है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टे से किराये की आय (निर्माण उद्देश्य के अलावा), यदि कोई हो, को संबंधित पट्टे की अवधि पर सीधी रेखा के आधार पर स्वीकृति दी जाती है, जो कि ऐसे मामले में नहीं दी जाती है जब वृद्धिशील पट्टा मुद्रास्फीति प्रभाव को दर्शाता है पट्टा व्यय का लेखांकन अवधि के वास्तविक किराए के आधार पर किया जाता है।

पट्टों का वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकरण तब किया जाता है जब स्वामित्व के सभी जोखिम एवं प्रतिफल कंपनी से पट्टेदार को अंतरित जाते हैं। वित्त पट्टों के अंतर्गत पट्टेदारों से प्राप्य राशि को पट्टों में कंपनी के निवल निवेश पर प्राप्य के रूप में दर्ज किया जाता है। वित्त पट्टे की आय को लेखांकन अवधियों के लिए प्रभारित किया जाता है जिससे कि पट्टे के संबंध में बकाया निवल निवेश पर प्रतिफल की निरंतर आवधिक दर प्रतिबिंबित हो सके।

1.17 प्रति शेयर आय (ईपीएस)

प्रति शेयर मूल आय का आकलन इक्विटी शेयरधारकों से संबंधित वर्ष के निवल लाभ/(हानि) (वरीयता लाभांश एवं संबंधित करों की कटौती के पश्चात) को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शयेरों की भारी औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

प्रति शेयर डायल्युटिड आय की गणना के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों से सम्बद्ध वर्ष के निवल लाभ / (हानि) तथा वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या का समायोजन डायल्युटिव की संभावना वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए किया जाता है।

1.18 नकदी एवं नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में नकदी तथा नकद समतुल्यों में बैंकों में जमा नकदी तथा उपलब्ध नकदी, मांग जमा एवं अल्पकालिक जमा शामिल हैं मूल्य में परिवर्तन गैर-महत्वपूर्ण जोखिम के अधीन हैं।

भारतीय लेखांकन मानक 7 में संशोधन के अनुसार इकाईयों से अपने वित्तीय क्रियाकलापों, जिनमें नकदी प्रवाहों तथा गैर-नकदी प्रवाहों (जैसे विदेशी मुद्रा लाभ अथवा हानि), से उत्पन्न अपनी वित्तीय देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रकटीकरण किए जाने की अपेक्षा है। कम्पनी द्वारा नकदी प्रवाह विवरण में चालू तथा तुलनात्मक अवधि, दोनों से संबंधित सूचना प्रस्तुत कर दी गई है।

1.19 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

- किसी प्रावधान की स्वीकृति तब की जाती है जब:
  - किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) हो;
  - ऐसी संभावना हो कि संसाधनों के बहिर्प्रवाह से होने वाले संबंधित आर्थिक लाभ की आवश्यक दायित्व के निटपान के लिए अपेक्षित होगी; तथा
  - दायित्व की राशि के अनुमान विश्वसनीय रूप में लगाए जा सकते हैं।
- जब धन का समय मूल्य सामग्रीगत होता है तो चालू पूर्व कर यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है तो, जब यथोचित हो, दायित्व से संबंधित जोखिमों को प्रतिबिंबित करने वाली चालू कर पूर्व दर के उपयोग से प्रावधानों को न्यून किया जाता है। न्यून किए जाने के पश्चात समय के अंतराल के कारण प्रावधान में होने वाली वृद्धि की स्वीकृति वित्त लागत के रूप में की जाती है।
- संदेहास्पद ऋण/अग्रिम के लिए प्रावधान तब किया जाता है जब बकाया की प्राप्ति के संबंध में, अवधि पर विचार किए बिना, अनिश्चतता होती है तथा जब ऐसी अनिश्चितता स्थापित हो जाती है तो बट्टा करना पड़ता है।
- किसी आकस्मिक देयता के लिए प्रकटीकरण तब किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व अथवा किसी वर्तमान दायित्व के लिए संसाधनों के बहिर्प्रवाह, जो नहीं भी हो सकती है, की अपेक्षा हो सकती है। आकस्मिक दायित्व की उत्पति ऐसे परम आवश्यक मामलों के लिए भी होती है जब कोई ऐसी देयता होती है, जिसका मापन विश्वसनीयता के साथ न किए जा सकने के कारण, निर्धारण नहीं किया जा सकता है।
- जब कोई कोई संभावित दायित्व अथवा कोई वर्तमान दायित्व होता है जिसमें संसाधनों बहिर्प्रवाह की संभावना अत्यंत कम होती है तो प्रावधान अथवा प्रकटीकरण नहीं किए जाते हैं।
- आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण प्रबंधन / स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा किए जाने वाले निर्णय के आधार पर किया जाता है। आकस्मिक परिसम्पत्तियों की स्वीकृति की जाती है परन्तु उनके प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों में किए जाते हैं।
- प्रावधानों तथा आकस्मिक देयताओं की पुनरीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा वर्तमान अनुमान / निर्णयों की प्रस्तुति के लिए उनमें समायोजन किए जाते हैं।

1.20 अनुदान सहायता

परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए पूंजी व्यय के प्रति सरकारी प्राधिकरणों से प्राप्त अनुदान को प्रारंभ में 'आस्थगित आय' के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इनकी आय के रूप में अनुवर्ती स्वीकृत प्रत्येक वर्ष संबंधित परिसम्पत्तियों के मूल्यह्रास के आनुपातिक आधार पर की जाती है।

जब कभी कंपनी को सरकारी प्राधिकरणों से गैर-मौद्रिक अनुदान प्राप्त होता है, तो परिसंपत्ति एवं अनुदान की प्रस्तुति नाममात्र मूल्यों पर की जाती है तथा अंतर्निहित परिसंपत्ति के प्रत्याशित उपयोज्यता काल एवं परिसम्पत्ति की खपत से होने वाले लाभ को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

सरकारी प्राधिकरणों से बाजार से कम मूल्य की ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज मुक्त ऋण (उप ऋण) की स्वीकृति प्रचालित ब्याज दरों के आधार पर प्रतिफल एवं उचित मूल्य के मध्य की भिन्न के अनुसार मापन की गई सरकारी अनुदान सहायता के रूप में की जाती है।

1.21 घटक रिपोर्टिंग

कंपनी के पास केवल एक रिपोर्ट योग्य परिचालन घटक है, जो मुंबई में मेट्रो रेल प्रणाली के विकास से संबंधित है। तदनुसार, वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियां कम्पनी एकल व्यवसाय घटक से संबंधित हैं।

1.22 वित्तीय लिखत

वित्तीय लिखत एक ऐसा अनुबंध है जो किसी एक इकाई की वित्तीय परिसम्पत्ति तथा किसी अन्य इकाई की किसी वित्तीय देयता अथवा वित्तीय लिखत की उत्पति होती है।

प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) वह दर है जो वित्तीय लिखित के प्रत्याशित काल में अथवा न्यून अवधि में, जो भी यथोचित हो, अनुमानित भावी नकद प्राप्तियों अथवा भुगतानों को वित्तीय परिसम्पत्ति अथवा देयता की निवल वहन राशि से सटीक छूट प्राप्त होती है।

1.23 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

प्रारंभिक मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब कम्पनी किसी लिखित के संविदागत प्रावधानों का पक्षकार बनती है। वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रारंभिक मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। वित्तीय परिसम्पत्तियों (लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य की वित्तीय परिसम्पत्तियों के अलावा) से प्रत्यक्ष संबंधित अथवा जारी संव्यवहार लागतों को वित्तीय परिसम्पत्ति की प्रारंभिक स्वीकृति के उचित मूल्य के मापन में जोड़ दिया जाता है अथवा उसमें से घटा दिया जाता है।

अनुवर्ती मापन

वित्तीय परिसम्पत्तियों का अनुवर्ती वर्गीकरण तथा उनका मापन निम्नानुसार किया जाता है :
- प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति के उपायोग से परिशोधन लागत पर
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई) पर
- लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर

(i) परिशोधन लागत पर वित्तीय संपत्ति

प्रारंभिक मापन के पश्चात ऐसी परिसम्पत्तियों का अनुवर्ती मापन प्रभावी ब्याज दर विधि (ईआईआर) के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। ईआई परिशोधन को लाभ एवं हानि विवरण की अन्य आय में शामिल किया जाता है। क्षमता हानि से उत्पन्न हानियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

(ii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पत्तियों (एफवीओसीआई)

उचित मूल्य मूवमेंट की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। ऋण लिखत, अन्य व्यापक आय में पूर्व स्वीकृत संचयी लाभ अथवा हानि की स्वीकृति समाप्ति के पश्चात उसे इक्विटी में से लाभ एवं हानि में पुन:वर्गीकृत किया जाता है।

(iii) लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफवीटीपीएल)

कोई ऐसी परिसम्पत्ति, जो परिशोधन के रूप में अथवा एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मापदंडों की पूर्ति नही करती है, का वर्गीकरण एफवीटीपीएल के रूप में किया जाता है। लाभ अथवा हानियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

स्वीकृति समाप्ति

वित्तीय परिसम्पत्तियों की स्वीकृति समाप्ति तब की जाती है जब वित्तीय परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह की प्राप्ति के संविदागत अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा वित्तीय परिसम्पत्तियों का अंतरण किया जाता है तथा ऐसे अंतरण के अंतर्गत स्वीकृति समाप्ति की अपेक्षा होती है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब वित्तीय परिसम्पत्ति से उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाह के अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा वित्तीय परिसम्पत्ति तथा उसके सभी संबंधित जोखिम एवं प्रतिफल अंतरित किए जाते हैं।

1.24 वित्तीय देयताएं

प्रारम्भिक स्वीकृति

वित्तीय देयता की प्रारंभिक स्वीकृति उचित मूल्य पर की जाती है तथा, ऋणों एवं उधार तथा देय के मामलों में, संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष संबंधित निवल पर की जाती है।

अनुवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन प्रभावी ब्याज दर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है जो कि व्यापार के लिए धारित अथवा एफवीटीपीएल के लिए निर्दिष्ट वित्तीय देयताओं के लिए नहीं किया जाता है जिनका वहन बाद में लाभ अथवा हानियों के साथ लाभ एवं हानि विवरण में किया जाता है। सभी डेरीवेटिव वित्तीय लिखतों का लेखांकन एफवीटीपीएल पर किया जाता है।

ब्याज युक्त ऋण तथा उधार का अनुवर्ती मापन प्रभावी ब्याज (ईआईआर) विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। लाभ तथा हानियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में तब की जाती है जब देयताओं की स्वीकृति प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया से समाप्त हो जाती है।

परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण तथा शुल्क अथवा लागत पर किसी छूट अथवा प्रीमियम को विचार में लेकर की जाती है जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ एवं हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

स्वीकृति समाप्ति

तुलन पत्र में किसी देयता की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब देयता से संबंधित दायित्व समाप्त हो जाते हैं, उनका निवर्हन कर लिया जाता है, रद्द हो जाते हैं अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब किसी विद्यमान वित्तीय देयता का प्रतिस्थापन समान ऋणदाता किसी अन्य, विद्यमान देयताओं से भिन्न शर्तों वाली देयता से किया जाता है अथवा विद्यमान देयता की शर्तों में महत्वपूर्ण संशोधन किए जाते हैं तो ऐसे विनिमय अथवा सुधार को मूल देयता की अस्वीकृति तथा नई देयता की स्वीकृति माना जाता है। संबंधित वहन राशियों की भिन्नता की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

वित्तीय लिखतों की ऑफसेटिंग

यदि स्वीकृत राशियों को ऑफसेट करने के संबंध में कोई विद्यमान प्रवर्तनीय विधिक अधिकार प्राप्त होता है तथा निवल आधार पर निपटान करने की मंशा होती है तो वित्तीय परिसंपत्तियों से प्राप्ति करने एवं साथ ही साथ देयताओं का निपटान करने के लिए वित्तीय देयताओं को ऑफसेट किया जाता है तथा निवल राशि को तुलन पत्र में प्रभारित किया जाता है।

1.25 उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति का विक्रय करने से प्राप्त होता है अथवा मापन की तिथि को बाजार प्रतिभागियों के मध्य संव्यवहार के सामान्य क्रम में किसी देयता को चुकता करने के लिए अंतरित किया जाता है। उचित मूल्य मापन का आधार उन धारणाओं पर आधारित होता है जो परिसम्पत्ति की बिक्री अथवा देयता के अंतरण के लिए किए जाने वाले संव्यवहार के लिए निम्नलिखित में से उपयोग में लाए जाते हैं:-

- ➢ परिसंपत्ति अथवा देयता के लिए के लिए मुख्य बाजार में, अथवा
- ➢ यदि मुख्य बाजार नहीं है तो परिसम्पत्ति एवं देयता के सर्वाधिक लाभप्रद बाजार में

परिसंपत्ति या देनदारी का उचित मूल्य उन धारणाओं का उपयोग करके किया जाता है जो बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति या देनदारी का मूल्य निर्धारण करते समय उपयोग करेंगे, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं।

किसी गैर-वित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य मापन बाजार भागीदार की संपत्ति को उसके उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग से अथवा इसे किसी अन्य बाजार भागीदार को बेचकर आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की क्षमता को ध्यान में रखता है जो परिसंपत्ति को उसके उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग करता है।

कंपनी द्वारा उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग किया जाता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं और जिनके लिए उचित मूल्य मापन के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग को अधिकतम करते हुए:

स्तर 1: समान प्रकार की परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों से उद्धृत मूल्य (गैर समायोजित)

स्तर 2: स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्तियों अथवा देयता के लिए प्रत्यक्ष (यथा मूल्य के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष (अर्थात मूल्यों से प्राप्त) रूप में विचार योग्य हैं।

स्तर 3: परिसंपत्ति अथवा देयता से संबंधित इनपुट जो प्रत्यक्ष बाजार डेटा (अगोचर इनपुट) इनपुट पर आधारित नहीं हैं। उचित मूल्य निर्धारण पर आधारित मूल्यांकन माडल के उपयोग से पूर्ण अथवा आंशिक उचित मूल्यों के संबंध में निर्धारित किए जाते हैं जो न ही अवलोकन योग्य चालू बाजार में समान लिखतों के संव्यवहारों के मूल्यों से समर्थित होते हैं तथा न ही वे उपलब्ध बाजार डेटा से समर्थित होते हैं।

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई परिसंपत्तियों तथा देयताओं के लिए, कंपनी द्वारा यह निर्धारण किए जाते हैं कि क्या वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है) स्तरों के मध्य तारतम्यता के स्तर पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंतरण घटित हुए हैं अथवा नहीं हुए हैं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए, कंपनी ने परिसंपत्ति अथवा देयता की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों एवं देयताओं की ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार श्रेणियां निर्धारित की हैं।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 2 : सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियाँ :

(क) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण:

विवरण	पूर्ण स्वामित्व भूमि	भवन	कम्प्यूटर एवं संबंधित सामग्री	फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	वाहन	कार्यालय उपकरण	योग
सकल ब्लॉक							
1 अप्रैल, 2020 की स्थिति	45898.31	2303.24	295.51	234.53	60.25	254.63	49046.47
आवर्धन	87.68	-	24.06	0.60	-	8.99	121.33
समायोजन	(29.65)	-	-	-	-	-	(29.65)
विलोपन/ निपटान	-	-	6.68	28.17	-	7.69	42.54
31 मार्च, 2021 की स्थिति	**45,956.34**	**2,303.24**	**312.89**	**206.96**	**60.25**	**255.93**	**49,095.61**
आवर्धन	389.70	-	93.36	1.68	-	45.53	530.27
विलोपन/ निपटान	-	-	12.09	-	-	2.90	14.99
31 मार्च, 2022 की स्थिति	**46,346.04**	**2,303.24**	**394.16**	**208.64**	**60.25**	**298.56**	**49,610.89**
आवर्धन	29.22	-	18.54	-	-	6.95	54.71
पुन:वर्गीकरण		1.11	(0.15)	-	-	(0.96)	-
विलोपन/ निपटान	-	-	17.15	0.53	-	5.16	22.84
31 मार्च 2023 को शेष	**46,375.26**	**2,304.35**	**395.40**	**208.11**	**60.25**	**299.39**	**49,642.76**
संचित मूल्यह्रास							
1 अप्रैल, 2020 को शेष	**-**	**692.99**	**249.63**	**51.23**	**39.00**	**110.29**	**1,143.14**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	-	437.62	23.06	23.58	5.24	46.35	535.85
विलोपन/ निपटान	-	-	5.66	10.93	-	7.30	23.89
31 मार्च 2021 को शेष	**-**	**1,130.61**	**267.03**	**63.88**	**44.24**	**149.34**	**1,655.10**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	-	436.20	34.12	23.59	5.22	48.48	547.61
विलोपन/ निपटान	-	-	10.28	-	-	2.30	12.58
31 मार्च 2022 को शेष	**-**	**1,566.81**	**290.87**	**87.47**	**49.46**	**195.52**	**2,190.13**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	**-**	**438.67**	**41.28**	**23.79**	**5.11**	**51.65**	560.50
पुन:वर्गीकरण		**0.75**	**(0.07)**	**-**	**-**	**(0.68)**	-
विलोपन/ निपटान	**-**	**-**	**15.60**	**0.29**	**-**	**4.68**	20.57
31 मार्च 2023 को शेष	**-**	**2,006.23**	**316.48**	**110.97**	**54.57**	**241.81**	**2,730.06**
31.03.2021 को निवल ब्लॉक	**45,956.34**	**1,172.63**	**45.86**	**143.08**	**16.01**	**106.59**	**47,440.51**
31.03.2022 को निवल ब्लॉक	**46,346.04**	**736.43**	**103.29**	**121.17**	**10.79**	**103.04**	**47,420.76**
31.03.2023 को निवल ब्लॉक	**46,375.26**	**298.12**	**78.92**	**97.14**	**5.68**	**57.58**	**46,912.70**

नोट -1: कम्पनी ने बेनामी संव्यवहार (प्रतिबंध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) के अंतर्गत किसी बेनामी संपति का धारण नहीं किया है।

नोट-2: कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

नोट 3: पूर्ण स्वामित्व भूमि में 36,859.38 लाख रुपए (बही मूल्य) मूल्य की गिरगांव तथा कालबादेवी, मुम्बई में स्थित भूमि शामिल है। निगम ने बैंक ऑफ इंडिया से उक्त भूमि एवं उसके बिक्रीयोग्य क्षेत्र के प्रथम चार्ज की प्रतिभूति पर ऋण प्राप्त किए हैं।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 4 : निम्नलिखित के अलावा कम्पनी के स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों के हक विलेख कम्पनी के नाम हैं:

तुलन पत्र में संबंधित लाइन मद	परिसम्पत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (रुपए) *	हक विलेख किसके नाम धारित	क्या हक विलेख धारक प्रोमोटर, निदेशक अथवा प्रोमोटर, निदेशक का संबंधी अथवा प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है।	सम्पत्ति किस तिथि से धारित है	कम्पनी के नाम से धारित न किए जाने का कारण
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	24,78,900	महाराष्ट्र सरकार	हां, महाराष्ट्र सरकार	22.08.14	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	854	महाराष्ट्र सरकार	हां, महाराष्ट्र सरकार	05.10.15	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	505	महाराष्ट्र सरकार	हां, महाराष्ट्र सरकार	10.12.15	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	64,77,714	पुलिस आयुक्त, मुम्बई महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से एमआईडीसी	हां, महाराष्ट्र सरकार	20.04.16	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	196	महाराष्ट्र सरकार	हां, महाराष्ट्र सरकार	25.05.16	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	370	होमगार्ड एवं निदेशक सिविल डिफेंस	हां, महाराष्ट्र सरकार	14.07.16	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	195	सिप्ज विशेष आर्थिक जोन प्राधिकरण के माध्यम से एमआईडीसी	हां, महाराष्ट्र सरकार	28.07.16	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	1,93,038	बृहन्मुंबई महानगरपालिका	हां, महाराष्ट्र सरकार	02.09.16	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	30,000	महाराष्ट्र सरकार	हां, महाराष्ट्र सरकार	03.09.16	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	718	महाराष्ट्र सरकार	हां, महाराष्ट्र सरकार	23.09.16	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	5,030	बृहन्मुंबई महानगरपालिका	हां, महाराष्ट्र सरकार	07.12.16	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	61	बृहन्मुंबई महानगरपालिका	हां, महाराष्ट्र सरकार	08.12.16	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	430	बृहन्मुंबई महानगरपालिका	हां, महाराष्ट्र सरकार	16.12.16	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	2,572	बृहन्मुंबई महानगरपालिका	हां, महाराष्ट्र सरकार	24.12.16	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	2,302	बृहन्मुंबई महानगरपालिका	हां, महाराष्ट्र सरकार	24.12.16	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	151	बृहन्मुंबई महानगरपालिका	हां, महाराष्ट्र सरकार	02.01.17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	60	बृहन्मुंबई महानगरपालिका	हां, महाराष्ट्र सरकार	02.01.17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	382	बृहन्मुंबई महानगरपालिका	हां, महाराष्ट्र सरकार	02.01.17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	53	बृहन्मुंबई महानगरपालिका	हां, महाराष्ट्र सरकार	02.01.17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	66,210	बृहन्मुंबई महानगरपालिका	हां, महाराष्ट्र सरकार	18.01.17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	4,64,825	महाराष्ट्र सरकार	हां, महाराष्ट्र सरकार	18.01.17	अंतरण प्रक्रियाधीन

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	8,853	बृहन्मुंबई महानगरपालिका	हां, महाराष्ट्र सरकार	17.02.17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	246	महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम	हां, महाराष्ट्र सरकार	23.02.17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	4,108	महाराष्ट्र सरकार	हां, महाराष्ट्र सरकार	04.05.17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	1,001	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	हां, भारत सरकार	16.05.17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	214	बृहन्मुंबई महानगरपालिका	हां, महाराष्ट्र सरकार	18.05.17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	27,375	नायर अस्पताल, एमसीजीएम	हां, महाराष्ट्र सरकार	20.05.17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	214	बृहन्मुंबई महानगरपालिका	हां, महाराष्ट्र सरकार	22.06.17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	161	लोक निर्माण विभाग	हां, महाराष्ट्र सरकार	20.07.17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	969	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम	हां, महाराष्ट्र सरकार	28.08.17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	880	बृहन्मुंबई महानगरपालिका	हां, महाराष्ट्र सरकार	04.09.17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	29,042	बृहन्मुंबई महानगरपालिका	हां, महाराष्ट्र सरकार	19.09.17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	33,914	बृहन्मुंबई महानगरपालिका	हां, महाराष्ट्र सरकार	19.09.17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	7,200	महाराष्ट्र सरकार	हां, महाराष्ट्र सरकार	22.09.17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	2,21,325	मैसर्स सहार गार्डन होटल प्रा.लि.	नहीं	03.11.17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	2,305	महाराष्ट्र सरकार	हां, महाराष्ट्र सरकार	02.12.17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	885	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम	हां, महाराष्ट्र सरकार	07.12.17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	405	लोक निर्माण विभाग	हां, महाराष्ट्र सरकार	13.12.17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	626	बृहन्मुंबई महानगरपालिका	हां, महाराष्ट्र सरकार	03.04.18	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	2,100	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम	हां, महाराष्ट्र सरकार	21.05.18	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	809	महाराष्ट्र सरकार	हां, महाराष्ट्र सरकार	22.05.18	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	373	महाराष्ट्र सरकार	हां, महाराष्ट्र सरकार	22.05.18	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	1,636	महाराष्ट्र सरकार	हां, महाराष्ट्र सरकार	29.08.18	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	183	मुम्बई आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण	हां, महाराष्ट्र सरकार	16.10.18	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	66	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	हां, भारत सरकार	31.01.19	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	11,54,17,641	बृहन्मुंबई महानगरपालिका	हां, महाराष्ट्र सरकार	31.07.19	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	12,79,352	आइशाबाई ए खान	नहीं	03.02.21	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	1,19,72,042	परैरा एवं अन्य (मैरोल)	नहीं	31.03.21	अंतरण प्रक्रियाधीन

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	72,22,500	राष्ट्रीय बीमा	नहीं	31.03.21	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	57,78,000	रविन्द्रा मेंशन	नहीं	02.08.21	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व भूमि	भूमि	29,22,480	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं	11.01.23	अंतरण प्रक्रियाधीन
योग		**15,46,61,471**				

* चूंकि कुछ आंकड़े नाममात्र की राशि के हैं अत: पूर्ण आंकड़ों की प्रस्तुति की गई है।

नोट: महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिनांक 22.3.2023 की जीआर के माध्यम से फोर्ट डिवीजन, ए वार्ड, मुम्बई में 16,482 वर्गमीटर माप की सीटीएस संख्या 1987 तथा 1988 युक्त विधान भवन मेट्रो स्टेशन पर स्थित भूमि का अंतरण एमएमआरसी को सम्पत्ति विकास के लिए किए जाने का अनुमोदन दिया गया है। उक्त भूमि का कुल मूल्यांकन 42698.63 लाख रुपए है जिसे राज्य सरकार की ओर से परियोजना के वित्त पोषण के लिए अंशदान माना गया है। उक्त भूमि के हक विलेख के अंतरण के पश्चात आवश्यक लेखांकन उपचार किए जाएंगे।

(ख) अमूर्त परिसम्पत्तियां:

(रुपए लाख में)

विवरण	साफ्वेयर / लाइसेंस शुल्क एवं अन्य लागतें	प्रतिपूर्ति सहित अनुमति	नाममात्र राशि पर अनुमति	योग
सकल ब्लॉक				
1 अप्रैल, 2020 को शेष	328.62	-	5.45	334.07
आवर्धन	-	-	-	-
विलोपन/ निपटान	4.46	-	0.01	4.47
31 मार्च 2021 को शेष	324.16	-	5.44	329.60
आवर्धन	17.85	-	0.17	18.02
विलोपन /निपटान	-	-	0.04	0.04
31 मार्च 2022 को शेष	342.01	-	5.57	347.58
आवर्धन	98.96	-	-	98.96
विलोपन /निपटान	49.02	-	-	49.02
31 मार्च 2023 को शेष	391.95	-	5.57	397.52
संचित मूल्यह्रास				
1 अप्रैल, 2020 को शेष	100.95	-	-	100.95
वर्ष में परिशोधन	81.25	-	-	81.25
समायोजन	(0.43)	-	-	(0.43)
विलोपन /निपटान	-	-	-	-
31 मार्च 2021 को शेष	181.77	-	-	181.77
वर्ष में परिशोधन	92.45	-	-	92.45
विलोपन /निपटान	-	-	-	-
31 मार्च 2022 को शेष	274.22	-	-	274.22
वर्ष में परिशोधन	71.88	-	-	71.88
विलोपन /निपटान	37.35	-	-	37.35
31 मार्च 2023 को शेष	308.75	-	-	308.75
31.3.2021 को सकल ब्लॉक	142.39	-	5.44	147.83
31.3.2022 को सकल ब्लॉक	67.79	-	5.57	73.36
31.3.2023 को सकल ब्लॉक	83.20	-	5.57	88.77

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 3(क): पूंजी कार्य प्रगति पर

(रुपए लाख में)

विवरण	परियोजना – मेट्रो 3		योग
	मेट्रो निर्माण व्यय	निर्धारण के लिए लंबित अन्य आकस्मिक व्यय	
31 मार्च, 2021 को शेष (पुन:उल्लिखित)	14,27,888.62	1,74,707.16	16,02,595.78
1 अप्रैल 2021 की स्थिति	14,27,888.62	1,74,707.16	16,02,595.78
आवर्धन *	3,16,802.13	45,923.42	3,62,725.55
निर्माण, स्थानांतरण तथा समायोजन	-	(21.18)	(21.18)
योगदान #	(1,575.00)	-	(1,575.00)
31 मार्च, 2022 को शेष (पुन:उल्लिखित)	17,43,115.75	2,20,609.40	19,63,725.15
1 अप्रैल 2022 की स्थिति	17,43,115.75	2,20,609.40	19,63,725.15
आवर्धन *	2,83,601.35	52,756.74	3,36,358.09
निर्माण, स्थानांतरण तथा समायोजन	-	(47.70)	(47.70)
योगदान #	(6,366.00)	-	(6,366.00)
31 मार्च, 2023 को शेष	20,20,351.10	2,73,318.44	22,93,669.54

* इसमें वर्ष के दौरान ऋण लागतों के पूंजीयन की 22,466.08 लाख रुपए (31.03.2022 को 16,621.11 लाख रुपए ; 01.04.2021 को 14,451.29 लाख रुपए) की राशि शामिल है [अस्थाई निवेश एवं अग्रिमों के स्थगन पर निवल ब्याज की 326.57 लाख रुपए की राशि (31.03.2022 को 1,110.90 लाख रुपए ; 01.04.2021 को 1,717.27 लाख रुपए) तथा 437.34 लाख रुपए की राशि (31.03.2022 को 564.10 लाख रुपए ; 01.04.2021 को 135.06 लाख रुपए) क्रमश: शामिल है]
# योगदान निर्माण की लागत / तृतीय पक्षकारों के साथ पुनर्संरेखण की वसूलियों से संबंधित है।

कालक्रम- पूंजी कार्य प्रगति पर

(रुपए लाख में)

पूंजी कार्य प्रगति पर	निम्नलिखित अवधियों के लिए पूंजी कार्य प्रगति पर की राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च, 2023 को					
परियोजनाओं की प्रगति – मुम्बई मेट्रो लाइन 3	3,29,944.39	3,61,129.37	3,57,108.25	12,45,487.53	22,93,669.54
31 मार्च, 2022 को					
परियोजनाओं की प्रगति – मुम्बई मेट्रो लाइन 3	3,61,129.37	3,57,108.25	5,25,196.07	7,20,291.46	19,63,725.15
01 अप्रैल, 2021 को					
परियोजनाओं की प्रगति – मुम्बई मेट्रो लाइन 3	3,57,108.25	5,25,196.07	4,08,163.38	3,12,128.08	16,02,595.78

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

उस परियोजना की पूंजी कार्य प्रगति पर पूर्णता अनुसूची जिसकी कार्य पूर्णता लागत बढ़ गई है अथवा विलंबित है

(रुपए लाख में)

पूंजी कार्य प्रगति पर	पूर्णता की अवधि			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
31 मार्च, 2023 की स्थिति				
परियोजनाओं की प्रगति – मुम्बई मेट्रो लाइन 3	8,04,940.43	14,88,729.11	-	-
31 मार्च, 2022 की स्थिति				
परियोजनाओं की प्रगति – मुम्बई मेट्रो लाइन 3	-	-	19,63,725.15	-
01 अप्रैल, 2021 की स्थिति				
परियोजनाओं की प्रगति – मुम्बई मेट्रो लाइन 3	-	-	16,02,595.78	-

नोट-1: कम्पनी द्वारा वित्तीय विवरणों में उल्लिखित / प्रकटीकरण की गई 454 करोड़ रुपए की राशि का मूल्यांकन सितम्बर 2020 में तब किया गया था जब सरकार विद्यमान आरे डिपो का स्थानांतरण पहाड़ी गोरेगांव में करने के बारे में विचार कर रही थी। यदि डिपो का स्थानांतरण पहाड़ी गोरेगांव में कर दिया गया होता तो ऐसी स्थिति में यह राशि अनर्थक हो जाती। यहां ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा डिपो का स्थानांतरण पहाड़ी गोरेगांव में किए जाने का निर्णय समाप्त कर दिया गया था तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2022 के पत्र के माध्यम से आरे कॉलोनी कार स्थल पर कार्य पुन: प्रारंभ करने के निदेश जारी किए किए गए थे। अब डिपो का निर्माण इसके मूल स्थल अथवा आरे कॉलोनी में किया जा रहा है जिसके लिए किसी प्रकार का कोई अनर्थक व्यय नहीं होगा।

दिनांक 18 सितम्बर, 2020 तक आरे में मेट्रो लाइन-3 के डिपो के कार शैड के निर्माण के लिए 454 करोड़ रुपए की राशि (लगभग) का व्यय किया गया है। रूपये 454 करोड़ की सम्पूर्ण राशि डेपो के निर्माण पर खर्च नहीं हुई है। यह राशि अंडरग्राउंड टन्नल्स तथा रैम्प लिडिंग एवं डिपो तक पहुंच से संबंधित निर्माण कार्य पैकेज 7 के कार्यों से संबंधित हैं।

नोट-2: मुम्बई लाइन का दक्षिण विस्तार (कफ परेड से नेवी नगर) के संबंध में उक्त संरेखण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है।

नोट 3(ख): विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2022 की स्थिति	1 अप्रैल, 2021 की स्थिति
वर्ष के प्रारंभ में शेष	667.42	357.23	369.33
आर्वधन / (विलोपन)	267.15	310.19	(12.10)
वर्ष के अंत में शेष	934.57	667.42	357.23

कालक्रम अनुसूची – विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

(रुपए लाख में)

पूंजी कार्य प्रगति पर	निम्नलिखित अवधि की सीडब्लूआईपी राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च, 2023 की स्थिति					
ईआरपी प्रणाली	-	-	-	353.85	353.85
समान परिसम्पत्ति प्रबंधन प्रणाली	267.15	313.57	-	-	580.72
योग	267.15	313.57	-	353.85	934.57

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

कालक्रम अनुसूची – विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

(रुपए लाख में)

पूंजी कार्य प्रगति पर	निम्नलिखित अवधि की सीडब्लूआईपी राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च, 2022 की स्थिति					
ईआरपी प्रणाली	-	-	71.96	281.89	353.85
समान परिसम्पत्ति प्रबंधन प्रणाली	313.57	-	-	-	313.57
योग	313.57	-	71.96	281.89	667.42

1 अप्रैल, 2021 की स्थिति

ईआरपी प्रणाली	-	75.34	40.91	240.98	357.23
समान परिसम्पत्ति प्रबंधन प्रणाली	-	-	-	-	-
योग	-	75.34	40.91	240.98	357.23

विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियों की उस परियोजना की पूंजी कार्य प्रगति पर पूर्णता अनुसूची जिसकी कार्य पूर्णता लागत बढ़ गई है अथवा विलंबित है

पूंजी कार्य प्रगति पर	कार्य पूर्णता अवधि			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
31 मार्च, 2023 की स्थिति				(रुपए लाख में)
ईआरपी प्रणाली	353.85	-	-	-
31 मार्च, 2022 की स्थिति				(रुपए लाख में)
ईआरपी प्रणाली	353.85	-	-	-
1 अप्रैल, 2021 की स्थिति				(रुपए लाख में)
ईआरपी प्रणाली	357.23	-	-	-

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 4 : उपयोग अधिकार परिसम्पत्तियाँ / पट्टा देयताएं

(क) उपयोग अधिकार परिसम्पत्तियों की वहन राशि में परिवर्तन:

(रुपए लाख में)

विवरण	परिसम्पत्ति का वर्ग		
	भूमि	भवन	योग
1 अप्रैल, 2020 को शेष	**2,433.31**	**4,304.04**	6,737.35
वर्ष के दौरान आवर्धन	-	265.74	265.74
विलोपन	-	(39.95)	(39.95)
घटाएं : मूल्यह्रास / परिशोधन व्यय	(836.36)	(1,978.45)	(2,814.81)
31 मार्च, 2021 को शेष	**1,596.95**	**2,551.38**	**4,148.33**
1 अप्रैल, 2021 को शेष	1,596.95	2,551.38	4,148.33
वर्ष के दौरान आवर्धन	-	2,544.72	2,544.72
विलोपन	(43.70)	-	(43.70)
घटाएं : मूल्यह्रास / परिशोधन व्यय	(539.10)	(1,549.08)	(2,088.18)
31 मार्च, 2022 को शेष	**1,014.15**	**3,547.02**	**4,561.17**
1 अप्रैल, 2022 को शेष	**1,014.15**	**3,547.02**	**4,561.17**
वर्ष के दौरान आवर्धन	-	2,007.85	2,007.85
विलोपन	-	-	-
घटाएं : मूल्यह्रास / परिशोधन व्यय	(36.42)	(1,467.14)	(1,503.56)
31 मार्च, 2023 को शेष	**977.73**	**4,087.73**	**5,065.46**

नोट : पट्टे पर ऐसी कोई अचल सम्पत्तियां नहीं हैं जिनके पट्टा विलेख कम्पनी के नाम से धारित न हों।

(ख) पट्टा देयताओं की मूवमेंट

(रुपए लाख में)

विवरण	परिसम्पत्ति का वर्ग		
	भूमि	भवन	योग
1 अप्रैल, 2020 को शेष	1,834.35	4,563.14	6,397.49
वर्ष के दौरान आवर्धन	-	264.01	264.01
विलोपन	-	(39.95)	(39.95)
जोड़े: वर्ष के दौरान व्यय की गई वित्त लागत	100.27	254.41	354.68
घटाएं : पट्टा देयताओं का भुगतान	(964.37)	(2,213.78)	(3,178.15)
31 मार्च, 2021 को शेष	**970.25**	**2,827.83**	**3,798.08**
1 अप्रैल, 2021 को शेष	970.25	2,827.83	3,798.08
वर्ष के दौरान आवर्धन	-	2,476.06	2,476.06
विलोपन	(43.70)	-	(43.70)
जोड़े: वर्ष के दौरान व्यय की गई वित्त लागत	13.83	142.47	156.30
घटाएं : पट्टा देयताओं का भुगतान	(567.32)	(1,844.36)	(2,411.68)
31 मार्च, 2022 को शेष	**373.06**	**3,602.00**	**3,975.06**
1 अप्रैल, 2022 को शेष	373.06	3,602.00	3,975.06
वर्ष के दौरान आवर्धन	-	1,983.04	1,983.04
विलोपन	-	-	-
जोड़े: वर्ष के दौरान व्यय की गई वित्त लागत	4.86	267.44	272.30
घटाएं : पट्टा देयताओं का भुगतान	(137.29)	(1,656.10)	(1,793.39)
31 मार्च, 2023 को शेष	**240.63**	**4,196.38**	**4,437.01**

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

(ग) 31 मार्च,2023 की स्थिति के अनुसार चालू एवं गैर-चालू पट्टा देयताओं का ब्यौरा (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2022 की स्थिति	1 अप्रैल, 2021 की स्थिति
गैर चालू पट्टा देयताएं	3,111.59	2,511.27	1248.21
चालू पट्टा देयताएं	1,325.42	1,463.79	2549.87
योग	**4,437.01**	**3,975.06**	**3,798.08**

(घ) पट्टा देयताओं की संविदागत परिपक्वता से संबंधित विवरण (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2022 की स्थिति	1 अप्रैल, 2021 की स्थिति
छूट			
एक वर्ष से कम	1,325.42	1,463.79	2549.87
दो वर्ष से कम	3,053.73	2,452.17	1187.97
पांच वर्ष से अधिक	57.86	59.10	60.24
	4,437.01	**3,975.06**	**3,798.08**
गैर छूट			
एक वर्ष से कम	1,588.54	1,669.72	2697.91
दो वर्ष से कम	3,366.10	2,793.22	1292.12
पांच वर्ष से अधिक	114.39	120.11	125.83
योग	**5,069.03**	**4,583.05**	**4,115.86**

(ङ) लाभ तथा हानि में स्वीकृत राशि (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2021 के लिए
उपयोग अधिकार परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास	375.20	380.67	380.67
पट्टा देयताओं पर ब्याज	26.38	32.75	57.17
न्यून मूल्य/अल्पाविधि पट्टों से संबंधित व्यय (कर्मचारी हितलाभ व्यय एवं अन्य व्ययों में विभाजित)	72.74	94.65	84.31

(च) पूंजी कार्य प्रगति पर में स्वीकृत राशि (रुपए लाख में)

	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2022 की स्थिति	1 अप्रैल, 2021 की स्थिति
उपयोग अधिकार परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास	1,128.37	1,707.51	2,434.14
पट्टा देयताओं पर ब्याज	245.92	123.55	297.51
पट्टे में निवल निवेश पर ब्याज आय	-	8.12	31.62
न्यून मूल्य/अल्पाविधि पट्टों से संबंधित व्यय	2,950.24	2,295.09	1,577.79

(छ) पट्टे में निवल निवेश (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2022 की स्थिति	1 अप्रैल, 2021 की स्थिति
प्रारंभ शेष	-	262.03	564.42
आवर्धन, मानक की प्रारंभिक उपयोज्यता के अनुसरण में	-	-	-
जोड़ें: पट्टे में निवल निवेश से वित्त आय	-	8.12	31.61
घटाएं : पट्टा आय की प्राप्ति	-	(270.15)	(334.00)
अंत शेष	-	-	**262.03**

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 5 : ऋण

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति		31 मार्च, 2022 की स्थिति		1 अप्रैल, 2021 की स्थिति	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
अप्रतिभूत, अच्छा समझा गया कर्मचारियों को ऋण	3.75	4.58	4.11	8.34	-	-
योग	3.75	4.58	4.11	8.34	-	-

(i) कम्पनी द्वारा विदेशी इकाईयों (मध्यस्थों) सहित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों) को इस व्यवस्था (लिखित अथवा अन्य स्वरूप में रिकॉर्ड की गई) के अंतर्गत अग्रिम अथवा ऋण अथवा निवेश निधियां (ऋण निधियां अथवा शेयर प्रीमियम अथवा अन्य स्रोतों से अथवा अन्य प्रकार की निधियां) प्रदान नहीं की हैं कि मध्यस्थक द्वारा:

(क) कम्पनी (अंतिम लाभग्राहियों) द्वारा अथवा की ओर से, किसी भी स्वरूप में निर्धारित किए गए व्यक्तियों अथवा इकाईयों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में ऋण अथवा निवेश नहीं किया गया है अथवा

(ख) अंतिम लाभग्राहियों द्वारा अथवा की ओर से किसी प्रकार की गारंटी, प्रतिभूति अथवा समान प्रकार प्रदान नहीं की गई है

(ii) कम्पनी द्वारा प्रमोटरों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों तथा संबंधित पक्षकारों को ऐसे ऋण अथवा ऋण के स्वरूप में अग्रिम प्रदान नहीं किए हैं जिनका पुनर्भुगतान मांग पर अथवा पुनर्भुगतान की किन्हीं शर्तों अथवा भुगतान की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना किया जाना हो।

नोट 6 : अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति		31 मार्च, 2022 की स्थिति		1 अप्रैल, 2021 की स्थिति	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
अप्रतिभूत, अच्छा समझा गया						
12 माह से अधिक परिपक्कता वाले जमा *	-	82.50	-	72.50	-	807.74
सावधि जमा पर ब्याज उपचय	8.32	11.56	16.25	6.84	23.15	2.96
विक्रेताओं तथा अन्यों ** से प्राप्य	9,059.18	-	14,735.81	-	21,725.62	-
पट्टा प्राप्य	-	-	-	-	262.03	-
प्रतिभूति जमा	1,071.10	316.55	1,166.36	205.68	821.89	323.89
कर्मचारियों से वसूलीय	0.58	-	2.85	-	-	-
योग	10,139.18	410.61	15,921.27	285.02	22,832.69	1,134.59

* यह बैंक गारंटी (बीजी) तथा साख पत्र (एलसी) के ग्रहणाधिकार के प्रति बैंकों में जमा से संबंधित है।

** मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) के साथ मेट्रो लाइन 3 यथा टर्मिनल1, टर्मिनल2 तथा सहार स्टेशन के 3 अंडरग्राउंड स्टेशनों की लागत के प्रति 77,700 लाख रुपए के अंशदान के लिए समझौता ज्ञापन किया गया है। इनमें से 62,866 लाख रुपए (पिछले वर्ष 56,500 लाख रुपए) का लेखांकन 31 मार्च, 2023 तक किया जा चुका है जिसमें से 58,489.32 लाख रुपए की प्राप्ति 31.3.2023 तक तथा बाद में 4,376.68 लाख रुपए की प्राप्ति अप्रैल 2023 में हुई है। शेष 14,834 लाख रुपए की राशि (77,700 लाख रुपए – 62,866 लाख रुपए) का प्रभारण MIAL को कार्य की प्रगति के अनुसार चरणबद्ध स्वरूप में किया जाएगा।

महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर एमएमआरसीएल द्वारा दहिसर एवं कंडरपाड़ा में कोविड रोगियो के उपचार तथा संगरोध सुविधा के लिए समर्पित कोविड अस्थाई अस्पताल की स्थापना की गई थी जिसके लिए कम्पनी द्वारा 3,776.52 लाख रुपए (जीसटी सहित) का व्यय किया गया था तथा इसका कर बीजक बृहन्मुंबई महानगरपालिका (एमसीजीएम) के पक्ष में जारी की गई है। यह राशि, बृहन्मुंबई महानगरपालिका से प्राप्त सहमति के अनुसार, प्रभारों के प्रति रियायत / छूट के रूप में वसूलीयोग्य है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 7 : अन्य गैर चालू / चालू परिसम्पत्तियां

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति		31 मार्च, 2022 की स्थिति		1 अप्रैल, 2021 की स्थिति	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूत,अच्छा समझा गया						
पूंजी अग्रिम						
सिविल ठेकेदारों को कार्य प्रारंभ के लिए अग्रिम	-	-	-	1,697.29	-	13,464.60
संयंत्र एवं उपकरण के लिए अग्रिम	-	-	-	983.40	-	12,668.33
सिस्टम ठेकेदारों को अग्रिम	-	52,783.08	-	63,544.09	-	68,702.94
ट्रैक (सिविल ठेकेदार) को अग्रिम	-	3,661.87	-	5,115.88	-	5,406.33
पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन ठेकेदारों को अग्रिम	-	3,456.08	-	3,490.28	-	657.66
अन्य						
आपत्ति के साथ भुगतान (जीएसटी)	26,700.11	-	26,700.11	-	26,700.11	-
अप्रतिभूत, अच्छा समझा गया						
सिविल ठेकेदारों को सामग्री के लिए अग्रिम	-	252.48	-	641.21	-	1,493.57
अन्य अग्रिम						
अप्रतिभूत, अच्छा समझा गया						
आपत्ति के साथ भुगतान – रायल्टी	4,639.70	-	4,495.05	-	3,749.79	-
सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष (संदर्भ नोट-7.1 तथा 7.2)	1,692.70	-	471.32	-	617.25	-
पूर्व चुकता व्यय	64.56	1,280.33	76.99	1,241.07	63.20	1,125.52
अनुबंध परिसम्पत्तियां (संदर्भ नोट-19)	513.72	-	439.23	-	327.53	-
कर्मचारियों को अग्रिम	13.58	-	24.49	-	16.41	-
योग	33,624.37	61,433.84	32,207.19	76,713.22	31,474.29	1,03,518.95

नोट 7.1: जब कभी आईटीसी की मैचिंग के साथ आउटपुट कर देयता का संबंध होता है तो कम्पनी द्वारा केवल आउटपुट कर देयता के अनुसार ही इनपुट कर क्रेडिट का उपयोग किया जा रहा है। इसमें उन विक्रेताओं के कर बीजकों पर आईटीसी दावे भी शामिल है जिसके लिए कम्पनी ने दंड / निर्णित हर्जाने आदि के संबंध में कुछ कर बीजक तैयार किए थे।

नोट 7.2 : निगम ने 173.87 लाख रुपए के अधिक जमा डब्ल्यूसीटी के प्रति धनवापसी का आवेदन प्रस्तुत किया है। संबंधित विभाग से धनवापसी की प्राप्ति के लिए प्रबंधन निरंतर अनुसरण कर रहा है।

8(क). नकदी एवं नकदी समतुल्य

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2022 की स्थिति	1 अप्रैल, 2021 की स्थिति
बैंक में जमा			
चालू खाते में (संदर्भ नोट 8.1)	211.49	55.33	365.50
3 माह से कम की सामान्य परिपक्वता के साथ जमा खाते	4,090.00	33,150.00	27,700.00
	4,301.49	33,205.33	28,065.50

टिप्पणी: वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा क्रिप्टो करेंसी अथवा वर्चुअल करेंसी में निवेश नहीं किए गए हैं।

8.1 : चालू खाते के शेष में आईसीआईसीआई के साथ एस्क्रो खाते में 125.47 लाख रुपए की राशि का शेष (31.3.2022 को 7.16 लाख रुपए ; 1.4.2021 को 187.60 लाख रुपए) शामिल है।

8(ख). अन्य बैंक शेष

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2022 की स्थिति	1 अप्रैल, 2021 की स्थिति
3-12 माह की परिपक्वता वाले जमा (संदर्भ नोट 8.2)	324.32	2,801.09	3,131.99
योग	324.32	2,801.09	3,131.99

8.2 : 3-12 माह की परिपक्वता वाले जमा में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) परियोजना के लिए निर्धारित टेनेमेंट्स के अनुरक्षण आदि के लिए स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) से प्राप्त 323.28 लाख रुपए (31.3.2022 को 332.96 लाख रुपए; 1.4.2021 को 453.97 लाख रुपए) की निर्धारित राशि प्राप्त हुई है।

(ii) बैंक गारंटियों के प्रति 1.04 लाख रुपए (31.3.2022 को रुपए 1.00 लाख रुपए; 1.4.2021 को 11.46 लाख रुपए) की राशि के सावधि जमा एवं साख पत्र का ग्रहणाधिकार है।

(iii) पीडब्ल्यूडी सबवे परियोजना के लिए निर्धारित सावधि जमा शून्य (31.3.2022 को 2,318.23 लाख रुपए; 1.4.2021 को 2,666.58 लाख रुपए) है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 9 : इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2022 की स्थिति	1 अप्रैल, 2021 की स्थिति
100 रुपए मूल्य प्रत्येक के प्राधिकृत 50,00,00,000 इक्विटी शेयर	5,00,000.00	5,00,000.00	5,00,000.00
	5,00,000.00	5,00,000.00	5,00,000.00
जारी, अंशदायित एवं पूर्ण चुकता 100 रुपए मूल्य प्रत्येक के 48,05,40,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2022: 100 रुपए मूल्य प्रत्येक के 44,07,20,000इक्विटी शेयर) (1 अप्रैल, 2021 को: 100 रुपए मूल्य प्रत्येक के 38,15,20,000 इक्विटी शेयर)	4,80,540.00	4,40,720.00	3,81,520.00
योग	4,80,540.00	4,40,720.00	3,81,520.00

(क) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ तथा अंत में शेयरों की संख्या तथा बकाया राशियों के समाधानः

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति		31 मार्च, 2022 की स्थिति		1 अप्रैल, 2021 की स्थिति	
	संख्या	रुपए लाख में	संख्या	रुपए लाख में	संख्या	रुपए लाख में
वर्ष के प्रारंभ में	44,07,20,000	4,40,720.00	38,15,20,000	3,81,520.00	32,15,20,000	3,21,520.00
जोड़ेः वर्ष के दौरान जारी	3,98,20,000	39,820.00	5,92,00,000	59,200.00	6,00,00,000	60,000.00
वर्ष के अंत में बकाया	48,05,40,000	4,80,540.00	44,07,20,000	4,40,720.00	38,15,20,000	3,81,520.00

(ख) इक्विटी शेयरों से सम्बद्ध उपबंध /अधिकार

कम्पनी के पास केवल एक ही वर्ग के 100 रुपए प्रत्येक के समान मूल्य वाले शेयर हैं। प्रत्येक इक्विटी शेयर का धारक प्रति शेयर एक वोट देने का पात्र है। कम्पनी का ऋणशोधन होने की स्थिति में इक्विटी शेयरों के धारक, प्रत्येक वरीयता राशियों के वितरण के पश्चात, कम्पनी की शेष परिसम्पत्तियों की प्राप्ति के पात्र होंगे। वितरण प्रत्येक शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में किया जाएगा।

ग) 5% से अधिक इक्विटी शेयरों का धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण :

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2023 की स्थिति		31 मार्च, 2022 की स्थिति		1 अप्रैल, 2021 की स्थिति	
	% शेयर धारण	शेयरों की संख्या	% शेयर धारण	शेयरों की संख्या	% शेयर धारण	शेयरों की संख्या
भारत के राष्ट्रपति	50.00%	24,02,70,000	50.00%	22,03,60,000	50.00%	19,07,60,000
महाराष्ट्र के राज्यपाल	50.00%	24,02,70,000	50.00%	22,03,60,000	50.00%	19,07,60,000
योग	100.00%	48,05,40,000	100.00%	44,07,20,000	100.00%	38,15,20,000

प्रमोटरों का शेयरधारिता के बारे में प्रकटीकरण

प्रमोटर का नाम	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार इक्विटी शेयर धारित शेयरों की संख्या	% धारिता	अवधि के दौरान % परिवर्तन
भारत के राष्ट्रपति	24,02,70,000	50.00%	-
महाराष्ट्र के राज्यपाल	24,02,70,000	50.00%	-
प्रमोटर का नाम	**31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार इक्विटी शेयर धारित शेयरों की संख्या**	**% धारिता**	**अवधि के दौरान % परिवर्तन**
भारत के राष्ट्रपति	22,03,60,000	50.00%	-
महाराष्ट्र के राज्यपाल	22,03,60,000	50.00%	-
प्रमोटर का नाम	**1 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार इक्विटी शेयर धारित शेयरों की संख्या**	**% धारिता**	**अवधि के दौरान % परिवर्तन**
भारत के राष्ट्रपति	19,07,60,000	50.00%	-
महाराष्ट्र के राज्यपाल	19,07,60,000	50.00%	-

नोट 10 : अन्य इक्विटी

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2022 की स्थिति (पुनः उल्लिखित)
धारित आय		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(9,794.52)	(8,098.42)
वर्ष के दौरान कुल व्यापक (हानि)	(2,837.10)	(1,696.10)
योग	(12,631.62)	(9,794.52)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 11 : ऋण

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति		31 मार्च, 2022 की स्थिति		1 अप्रैल, 2021 की स्थिति	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
आवधिक ऋण						
-प्रतिभूत						
बैंक ऑफ इंडिया से ऋण (संदर्भ नोट 11.1)	-	3,000.00	-	-	-	-
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से ऋण (संदर्भ नोट 11.2)	-	1,59,977.05	-	-	-	-
- अप्रतिभूत						
भारत सरकार से ऋण (गौण ऋण)(संदर्भ नोट 11.3)	-	13,573.88	-	11,843.12	-	9,728.52
महाराष्ट्र सरकार से ऋण(गौण ऋण)(संदर्भ नोट 11.3)	-	35,590.07	-	30,657.60	-	21,651.36
पीटीए के माध्यम से जेआईसीए ऋण (संदर्भ नोट 11.4)	21,382.65	13,01,072.49	-	13,00,313.13	-	10,99,184.13
मांग पर ऋण का पुनर्भुगतान						
-अप्रतिभूत						
बैंक ओवरड्राफ्ट (संदर्भ नोट 11.5)	3,505.41	-	-	-	-	-
ऋण	24,888.06	15,13,213.49	-	13,42,813.85	-	11,30,564.01

11.1:- निगम को बैंक आफ इंडिया से 20,000 लाख रुपए के ऋण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह ऋण गिरगांव तथा कालबादेवी, मुम्बई में स्थित एक भूखंड के प्रथम चार्ज तथा उससे संबंधित विक्रीयोग्य क्षेत्र के साथ प्रतिभूत है। यह ऋण परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के लिए उक्त भूमि पर निर्माण करने के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।

इस ऋण की वहन ब्याज दर 3M एमसीएलआर है तथा इसका भुगतान जून, 2026 से प्रारंभ 7 तिमाही किश्तों में किया जाना है, कुल स्वीकृत २०,००० लाख रूपए के ऋण मे से 31 मार्च 2023 तक 3000 लाख रुपए का उपयोग किया गया है।

11.2 : निगम के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा 2,20,000 लाख रुपए के ऋण की स्वीकृति की गई है जिसमें से 1,59,977.05 लाख रुपए का वितरण 31 मार्च, 2023 तक किया गया है। इस ऋण के लिए पीएफसी द्वारा ब्याज दर अधिसूचित की गई है तथा इसका पुनर्भुगतान वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने (डीसीसीओ) की अनुसूचित तिथि से 12 माह के पश्चात 24 किश्तों में किया जाना है। यह ऋण महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त आश्वासन पत्र के साथ प्रतिभूत है।

11.3 : केन्द्र तथा राज्य सरकार, दोनों, द्वारा कम्पनी को ब्याज मुक्त उप ऋण प्रदान किए गए हैं जिनका पुनर्भुगतान जेआईसीए (पीटीए के माध्यम से) प्राप्त प्रारंभिक ऋण के पुनर्भुगतान के पश्चात देय है। चूँकि सरकार से प्राप्त ये ऋण (उप ऋण) ब्याज मुक्त हैं, इसलिए इंड एएस 109 की अपेक्षा के अनुसार उचित मूल्य पर रिपोर्ट किया गया है। इंड एएस 109 के तहत वित्तीय परिसम्पत्तियों अथवा वित्तीय देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, ब्याज मुक्त ऋण का मापन उचित मूल्य पर किया गया है तथा ऋण राशि से उत्पन्न भिन्नता तथा इनके मूल्य राशि का उपचार "आस्थगित सरकारी अनुदान/आस्थगित आय" के अनुसार किया गया है और रिकॉर्ड किया गया है। इंड एएस 20 की अपेक्षा के अनुसार इन ऋणों को अनुदान माना गया है।

11.4: जापान इंटरनेशनल कोओपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा जापानी येन 210.93 बिलियन के ऋण, भारत सरकार के माध्यम से कम्पनी के लिए पास थ्रू सहायता (पीटीए) के स्वरूप में तीन भागों में दिए जाने, की प्रतिबद्धता की गई है। जेआईसीए ऋण का पुनर्भुगतान 10 वर्ष की रियायत अवधि की समाप्ति के पश्चात 20 वर्षों में किया जाना है। इस ऋण की राशि भारत सरकार की वितरण प्रक्रिया के शासी उपबंधों के अनुसार भारतीय रुपए की समतुल्य राशि में होगी।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार जेआईसीए ऋण की स्वीकृति का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	स्वीकृत राशि (रुपए लाख में)
प्रथम भाग (आईडी -पी 233)	5,00,000.00
द्वितीय भाग (आईडी-पी268)	5,81,300.00
तृतीय भाग (आईडी-पी281)	2,77,200.00

निर्माण कार्य तथा वस्तु एवं सेवाओं की प्राप्ति के लिए वितरण ऋण की मूल राशि पर लागू ब्याज दर 1.15% (भाग 3 के लिए),1.5% (भाग 2 के लिए) तथा 1.4% (भाग 1 के लिए) तथा सामान्य परामर्श सेवाओं के लिए वितरित ऋण की राशि की मूल राशि 0.01% की दर से ब्याज देय है। इसके अलावा, भारत सरकार से पीटीए के माध्यम से प्राप्य कुल राशि 13,22,455.14 रुपए (लाख) 31 मार्च, 2023 तक (31.03.2022 को 13,00,313.13 रुपए (लाख)); 01.04.2021 को 10,99,184.13 (लाख) रुपए है।

जीआईसीए पर 31 मार्च, 2023 तक उपार्जित ब्याज एवं अग्रीकृत शुल्क की राशि 69,197.43 लाख रुपए है। आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 9 जून, 2023 के पत्र के माध्यम से पीओए सचिवालय को सीएएस नागपुर, भारतीय रिजर्व बैंक को आगे आवश्यक सूचना भेजकर 74,395 लाख रुपए की राशि की वसूली महाराष्ट्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के एमएमआरसी के बजट में से करने, एमएमआरसी द्वारा जेआईसीए को देय ब्याज एवं अग्रीकृत राशि के प्रति, के लिए निदेश जारी किए गए हैं। एमएमआरसीएल के अनुसार ब्याज एवं अग्रीकृत शुल्क की राशि अर्थात 69,197.43 लाख रुपए तथा आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार 73,057 लाख रुपए (यथा कुल 74395 लाख रुपए की राशि में से 31 मार्च, 2023 तक की राशि) में भिन्नता का कारण जेआईसीए द्वारा सीएएए को दिए गए ऋण तथा आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एमएमआरसीएल को वितरित की गई राशि का सीएएए (वित्त मंत्रालय का विदेश विभाग) द्वारा किए गए आकलन की भिन्नता के कारण से है। एमएमआरसी द्वारा आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय से निधियों की प्राप्ति की तिथि से ब्याज देयता का लेखांकन किया गया है तथा भिन्नता से संबंधित मामला आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय एवं सीएएए के साथ समाधान के समय प्रस्तुत किया जाएगा।

11.5: निगम की एचडीएफसी बैंक के साथ 5,000 लाख रुपए की स्वीकृत अप्रतिभूत ऋण सुविधा व्यवस्थित है जिसमें से 31 मार्च, 2023 तक 3,505.41 लाख रुपए का उपयोग किया जा चुका है।

11.6: कम्पनी ने विदेशी इकाईयों (निधि प्रदात्ता पार्टी) सहित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों) को इस व्यवस्था (लिखित अथवा अन्य स्वरूप में रिकॉर्ड की गई) के अंतर्गत अग्रिम अथवा ऋण अथवा निवेश निधियां (ऋण निधियां अथवा शेयर प्रीमियम अथवा अन्य स्त्रोतों से अथवा अन्य प्रकार की निधियां) प्राप्त नहीं की हैं तथा कम्पनी द्वारा:
(क) निधि प्रदात्ता पार्टी (अंतिम लाभग्राहियों) द्वारा अथवा की ओर से, किसी भी स्वरूप में निर्धारित किए गए व्यक्तियों अथवा इकाईयों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में ऋण अथवा निवेश नहीं किया जाएगा अथवा
(ख) अंतिम लाभग्राहियों द्वारा अथवा की ओर से किसी प्रकार की गारंटी, प्रतिभूति अथवा समान प्रकार प्रदान नहीं की जाएगी।

11.7: दीर्घकालिक ऋण के अंतर्गत प्रकटीकरण किए गए विशिष्ट उद्देश्यों के आवधिक ऋणों एवं उधार के संबंध में कम्पनी ने निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य से किया है जिस उद्देश्य से उनकी प्राप्ति की गई थी।

11.8: कम्पनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जानबूझकर चूककर्ता के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जानबूझकर चूककर्ता नहीं है।

11.9: कम्पनी चालू परिसम्पत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण अथवा उधार प्राप्त नहीं किया है।

11.10: निगम को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय स्टेट बैंक से अल्पकालिक ऋण एवं कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में क्रमश: 1,00,000 लाख रुपए एवं 5000 लाख रुपए रुपए की स्वीकृति प्राप्त है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 12 : अन्य वित्तीय देयताएं

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति		31 मार्च, 2022 की स्थिति		1 अप्रैल, 2021 की स्थिति	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
क) पूंजी ऋणदाता						
सिविल ठेकेदारों को देय	27,595.34	-	42,322.34	-	49,384.69	-
सिस्टम ठेकेदारों को देय	15,498.08	-	6,439.78	-	5,594.26	-
सामान्य परामर्शदाताओं को देय	4,613.90	-	4,346.76	-	7,834.36	-
ट्रैक के लिए देय (सिविल ठेकेदार)	1,429.69	-	1,041.05	-	984.35	-
परामर्शदाताओं, ठेकेदारों/विक्रेताओं तथा अन्यों को देय	3,662.92	-	4,013.49	-	2,878.88	-
धारित धन	-					
- सिविल अनुबंधों पर	481.24	-	424.67	-	7,695.27	-
- सिस्टम अनुबंधों पर	3,846.35	-	1,931.43	-	1,326.94	-
- ट्रैक अनुबंधों पर	3,180.67	-	1,080.43	-	109.25	-
- अन्य अनुबंधों पर	3,620.87	-	2,459.98	-	2,350.70	-
संबंधित पक्षकार को देय	2,164.87	-	2,196.01	-	1,884.52	-
ख) देय ईएमडी	173.32	13.25	1,316.62	-		
ग) प्रतिभूति जमा (संदर्भ नोट 12.1)	366.31	381.69	373.68	348.69	477.31	35.84
घ) ब्याज उपार्जित परन्तु देय जेआईसीए पीटीए पर देय नहीं	512.93	-	512.40	-	447.51	-
ङ) भारत सरकार-जेआईसीए को ऋण पर देय ब्याज एवं अग्रीकृत शुल्क	68,684.50	-	51,656.93	-	35,709.70	-
च) ब्याज उपचय पर पीएफसी ऋण पर देय नहीं	587.47	-	-	-	-	-
छ) ब्याज उपचय पर बैंक आफ इंडिया ऋण पर देय नहीं	0.66	-	-	-	-	-
ज) व्यय एवं अन्य देय	224.49	-	182.82	-	70.53	-
झ) लेखापरीक्षकों को देय	12.88	-	8.89	-	7.77	-
ण) संबंधित कर्मचारियों को देय	62.31	-	24.68	-	18.85	-
योग	1,36,718.80	381.69	1,19,028.59	348.69	1,18,091.51	35.84

12.1 : इसमें स्लम पुनर्वास प्राधिकरण से प्राप्त 266.80 लाख रुपए (31.3.2022 को 288.01 लाख रुपए, 1.4. 2021 को 375.57 लाख रुपए) के प्रतिभूत जमा की राशि शामिल है।

12.2 : लाइन 3 मेट्रो परियोजना पर कार्यरत कामगारों के कल्याण उपायों के लिए कम्पनी का श्रम कल्याण ट्रस्ट है। वर्ष के दौरान, ट्रस्ट को कोई राशि (31.3.2022 को 55.68 लाख रुपए; 1.4.2021 को 86.19 लाख रुपए) अंतरित नहीं की गई है।

12.3 : संविदागत दायित्वों के अंतर्गत देय राशि , कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की अपेक्षाओं के अनुसार, व्यापार देय नहीं है। तदनुसार, व्यापार देय की कालक्रम अनुसूची की अपेक्षाएं इन संविदागत दायित्वों के संबंध में उपयोग में नहीं लाई गई हैं।

अन्य13 : अन्य चालू / गैर चालू देयताएं

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति		31 मार्च, 2022 की स्थिति		1 अप्रैल, 2021 की स्थिति	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
सांविधिक एवं अन्य कटौतियां	3,233.68	-	3,812.46	-	4,452.44	-
आस्थगित सरकारी अनुदान (संदर्भ नोट 11.3)	-	3,03,897.04	-	2,74,974.87	-	2,13,425.41
अनुबंध देयता (संदर्भ नोट 19)	2,232.14	-	2,232.14	-	2,232.14	-
आस्थगित प्रतिभूति जमा	31.19	112.50	32.11	147.15	3.68	14.11
अन्य देयताएं	13.05	-	-	-	-	-
योग	5,510.06	3,04,009.54	6,076.71	2,75,122.02	6,688.26	2,13,439.52

नोट 14: प्रावधान

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति		31 मार्च, 2022 की स्थिति		1 अप्रैल, 2021 की स्थिति	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान						
उपदान	158.53	14.71	122.40	-	97.52	-
अनुपस्थिति प्रतिपूर्ति	230.49	493.29	152.13	486.38	120.32	309.51
पेंशन	111.86	-	143.18	-	114.58	-
योग	500.88	508.00	417.71	486.38	332.42	309.51

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 15 : अन्य आय

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के लिए	31 मार्च, 2022 के लिए
ब्याज आय		
- सावधि जमा से	319.13	548.85
- आयकर धनवापसी	8.99	239.11
- कर्मचारी ऋण से	0.77	0.60
- परिशोधन लागत पर मापन किए गए उपकरणों से	9.11	9.41
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव – लाभ	-	270.56
विविध आय	47.60	80.84
योग	385.60	1,149.37

नोट 16 : कर्मचारी हितलाभ व्यय

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के लिए	31 मार्च, 2022 के लिए (पुन:उल्लिखित)
वेतन एवं मजदूरी	3,897.87	3,877.48
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	234.03	217.74
कर्मचारी कल्याण व्यय	62.23	87.84
योग कर्मचारी हितलाभ व्यय	4,194.13	4,183.06
घटाएं : (पूंजी कार्य प्रगति) में स्थानांतरण	(3,049.76)	(2,933.79)
योग	1,144.37	1,249.27

नोट 17 : वित्त लागत

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के लिए	31 मार्च, 2022 के लिए
ब्याज व्यय	23,256.37	18,328.86
अन्य वित्त लागतें / (रियायत)	-	-
योग वित्त लागत	23,256.37	18,328.86
घटाएं: अस्थाई निवेश से ब्याज आय	(326.57)	(1,110.90)
घटाएं : अग्रिम स्थगन पर ब्याज	(437.34)	(564.10)
घटाएं : पूंजी कार्य प्रगति में स्थानांतरण (संदर्भ नोट 3(क))	(22,466.08)	(16,621.11)
योग	26.38	32.75

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 18 : अन्य व्यय

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के लिए	31 मार्च, 2022 के लिए
विज्ञापन व्यय	13.75	5.01
बैंक प्रभार	9.90	10.93
शुल्क एवं अंशदान	0.96	0.25
बीमा व्यय	1.29	0.81
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक (संदर्भ नोट 18.1)	11.16	10.03
विधिक एवं व्यावसायिक शुल्क	172.35	118.68
कार्यालय एवं प्रशासनिक व्यय	90.43	139.46
मरम्मत एवं अनुरक्षण – भवन	16.42	0.86
मरम्मत एवं अनुरक्षण – अन्य	217.73	180.52
उप अनुबंध प्रभार	272.13	283.79
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	54.24	59.94
दरें एवं कर	40.01	59.23
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव – हानि	229.56	-
पट्टा व्यय	0.41	5.63
परिसम्पत्तियों की बिक्री से हानि	1.01	0.59
दूरसंचार व्यय	13.39	12.86
यात्रा एवं परिवहन व्यय	121.61	108.86
बिजली एवं जल प्रभार	34.69	43.15
विविध व्यय	6.55	5.27
योग	1,307.59	1,045.87

18.1 : लेखापरीक्षकों को भुगतान

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के लिए	31 मार्च, 2022 के लिए
सांविधिक लेखापरीक्षक शुल्क	8.26	6.30
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.75	0.75
व्ययों का पुनर्भुगतान	0.53	0.44
अन्य(जीएसटी)	1.62	2.54
योग	11.16	10.03

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 19 : भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस-115) के अंतर्गत 'ग्राहकों से प्राप्त राजस्व' के अंतर्गत प्रकटीकरण

कम्पनी ने' डिपोजिट कार्य' उपबंध के आधार पर विधान भवन पर सबवे के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी (महाराष्ट्र सरकार) के साथ अनुबंध किया है। पीडब्ल्यू के लिए अनुबंध की लागत करों के अलावा तथा आकस्मिकता सहित 9,980 लाख रुपए है। इसके अलावा, कम्पनी ने राजस्व प्रभारित करने के लिए अनुबंध के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपलब्धियां अभी प्रापत नहीं की हैं।

अनुबंध शेष

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के लिए	31 मार्च, 2022 के लिए	1 अप्रैल, 2021 के लिए
अनुबंध परिसम्पत्तियाँ	513.72	439.23	327.53
अनुबंध देयताएं	2,232.14	2,232.14	2232.14

(i). अनुबंध देयता से सबवे के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी (महाराष्ट्र सरकार) से प्राप्त अग्रिम की राशि अभिप्रेत है। अग्रिम की राशि की प्राप्ति का समायोजन ग्राहक को बीजक जारी किए जाने के समय निर्माण अवधि में किया जाएगा। इसके अलावा, अनुबंध देयता में और किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं है क्योंकि वर्ष के दौरान पीडब्ल्यू (महाराष्ट्र सरकार) से अनुबंध देयता के प्रति कोई और राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(ii) अनुबंध परिसम्पत्तियों में मूवमेंट से वर्ष के दौरान अनुबंध के संबंध में किए गए कार्य अभिप्रेत हैं।

प्रबंधन को निम्नानुसार भविष्य में राजस्व की स्वीकृत की प्रत्याशा है:-

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के लिए	31 मार्च, 2022 के लिए	1 अप्रैल, 2021 के लिए
एक वर्ष अथवा कम	3,713.72	513.72	439.23
एक वर्ष से अधिक से तीन वर्ष तक	6,266.28	9,466.28	9,540.77
योग	9,980.00	9,980.00	9,980.00

नोट 20 : प्रति शेयर आय

(रुपए लाख में)

विवरण	यूनिट	31 मार्च, 2023 के लिए	31 मार्च, 2022 के लिए
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरधारकों से सम्बद्ध कर पूर्व लाभ	रुपए लाख में	(2,813.63)	(1,678.76)
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	संख्या (लाख में)	4,686.11	4,017.29
इक्विटी शेयरों का सामान्य मूल्य	रुपए	100.00	100.00
प्रति शेयर मूल एवं डाय्ल्युटिड आय	रुपए	(0.60)	(0.42)

नोट 21 : चालू एवं आस्थगित कर

क) आस्थगित कर शेष में मूवमेंट

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के लिए	वर्ष के दौरान मूवमेंट		31 मार्च, 2022 के लिए
		लाभ एवं हानि में स्वीकृत	अन्य व्यापक आय में स्वीकृत	
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां				
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	235.42	81.67	-	317.09
कर्मचारी हितलाभ	235.06	19.01	8.24	262.31
पट्टा देयता	(152.39)	148.67	-	(3.72)
अप्रयुक्त कर क्रेडिट	56.46	-	-	56.46
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	374.55	249.35	8.24	632.14

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

आस्थगित कर का आकलन निम्न के लिये नहीं किया गया है:

(रुपए लाख में)

विवरण (वित्तीय वर्ष)	राशि	समाप्ति
2014-15-व्यापार हानि	414.78	31 मार्च 23
2017-18- व्यापार हानि	16.42	31 मार्च 26
2018-19- व्यापार हानि	579.23	31 मार्च 27
2019-20- व्यापार हानि	1,821.52	31 मार्च 28
2020-21- व्यापार हानि	882.99	31 मार्च 29
2021-22- व्यापार हानि	1,616.14	31 मार्च 30
अनावशोषित मूल्यह्रास	1,511.53	

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति	वर्ष के दौरान मूवमेंट		31 मार्च, 2022 की स्थिति
		लाभ एवं हानि में स्वीकृत	अन्य व्यापक आय में स्वीकृत	
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां				
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	147.46	87.96	-	235.42
कर्मचारी हितलाभ	166.90	62.07	6.09	235.06
पट्टा देयता	(91.06)	(61.33)	-	(152.39)
अप्रयुक्त कर क्रेडिट	56.46	-	-	56.46
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	279.76	88.70	6.09	374.55

आस्थगित कर का आकलन निम्न के लिए नहीं किया गया है:

(रुपए लाख में)

विवरण (वित्तीय वर्ष)	राशि	समाप्ति
2013-14- व्यापार हानि	42.15	31 मार्च 22
2014-15-व्यापार हानि	414.78	31 मार्च 23
2017-18- व्यापार हानि	16.42	31 मार्च 26
2018-19- व्यापार हानि	579.23	31 मार्च 27
2019-20- व्यापार हानि	1,821.52	31 मार्च 28
2020-21- व्यापार हानि	882.99	31 मार्च 29
अनावशोषित मूल्यह्रास	1,206.40	

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 की स्थिति	वर्ष के दौरान मूवमेंट		31 मार्च, 2021 की स्थिति
		लाभ एवं हानि में स्वीकृत	अन्य व्यापक आय में स्वीकृत	
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां				
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	80.06	67.40	-	147.46
कर्मचारी हितलाभ	194.88	(32.42)	4.44	166.90
पट्टा देयता	15.38	(106.44)	-	(91.06)
अप्रयुक्त कर क्रेडिट	56.46	-	-	56.46
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	346.78	(71.46)	4.44	279.76

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

आस्थगित कर का आकलन निम्न के लिए नहीं किया गया है:

(रुपए लाख में)

विवरण (वित्तीय वर्ष)	राशि	समाप्ति
2012-13- व्यापार हानि	10.74	31 मार्च 21
2013-14- व्यापार हानि	42.15	31 मार्च 22
2014-15-व्यापार हानि	414.78	31 मार्च 23
2017-18- व्यापार हानि	16.42	31 मार्च 26
2018-19- व्यापार हानि	579.23	31 मार्च 27
2019-20- व्यापार हानि	1,821.52	31 मार्च 28
अनावशोषित मूल्यह्रास	883.14	-

ख) आयकर व्यय

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के लिए	31 मार्च, 2022 के लिए
चालू कर		
चालू वर्ष के संबंध में	-	-
पिछले वर्ष के संबंध में	-	(431.79)
	-	(431.79)
आस्थगित कर		
अस्थाई भिन्नताओं पर कर की उत्पति एवं रिवर्सल	(249.35)	(88.70)
	(249.35)	(88.70)
वर्ष के दौरान कर व्यय	(249.35)	(520.49)

ग) लाभ एवं हानि में स्वीकृत कर

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के लिए	31 मार्च, 2022 के लिए
मदें जिनका वर्गीकरण लाभ तथा हानि में नहीं होगा		
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन	8.24	6.09
वर्ष के दौरान कर व्यय	8.24	6.09

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

घ) प्रभावी कर दर का पुनः समाधान

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के लिए	31 मार्च, 2022 के लिए (पुनः उल्लिखित)
कर पूर्व लाभ	(3062.98)	(2199.25)
कर पूर्व आधार दर	25.00%	25.00%
अधिभार	0.00%	0.00%
उपकर	1.00%	1.00%
सांविधिक आयकर दर	26.00%	26.00%
संभावित आयकर प्रभाव		
निम्नलिखित का कर प्रभावः		
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियाँ	2.67%	4.00%
कर्मचारी हितलाभ	0.62%	2.82%
पट्टा देयता	4.85%	-2.79%
पूर्वावधि कर समायोजन	0.00%	19.63%
योग आयकर व्यय	8.14%	23.66%

ङ) चालू कर सम्पत्तियां (निवल)

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2022 की स्थिति	1 अप्रैल, 2021 की स्थिति
प्रारंभ शेष	1,226.51	1,553.28	2285.28
जोड़ें: चुकता अग्रिम टीडीएस (वर्ष के दौरान निवल प्रावधान)	(695.92)	(326.77)	(732.00)
अंत शेष	530.59	1,226.51	1,553.28

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 22 : संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

क) संबंधित पक्षकार का नाम तथा संबंध की प्रकृति

संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध का विवरण
संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध का विवरण
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	
श्री मनोज जोशी (30.12.2021 से)	अध्यक्ष / नामित निदेशक
श्री एस.एस. दुबे (30.07. 2022 से)	नामित निदेशक
श्री जयदीप	नामित निदेशक
श्री मनोज सौनिक	नामित निदेशक
श्री आई.एस.चहल	नामित निदेशक
श्री भूषण गगरानी	नामित निदेशक
श्रीमती अश्विनी भिडे (12.07.2022 से)	प्रबंध निदेशक अतिरिक्त प्रभार/ नामित निदेशक
श्री एस.वी.आर. श्रीनिवास (03.06.2021 से)	नामित निदेशक
श्री एस.वी.आर. श्रीनिवास (16.03.2022 से 11.07.2022 तक)	प्रबंध निदेशक/ नामित निदेशक
श्री सुबोध कुमार गुप्ता	निदेशक (परियोजना)
श्री अजय कुमार भट्ट (05.02.2023 तक)	निदेशक (प्रणाली)
श्री अबोध खंडेलवाल	निदेशक (वित्त) तथा मुख्य वित्त अधिकारी
सुश्री ऋतु देब	कम्पनी सचिव
इकाई जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा निकटतम परिवार के सदस्यों का महत्वपूर्ण प्रभाव है	
मुम्बई मेट्रोपोलिटन रिजन डेवलपमेंट अथारिटी (एमएमआरडीए)	मेट्रोपोलिटन आयुक्त एमएमआरडीए
एमएमआरसीएल कर्मचारी कल्याण निधि समिति (अध्यक्ष)	श्री अबोध खंडेलवाल (निदेशक वित्त), एमएमआरसीएल)
एमएमआरसीएल श्रम कल्याण निधि ट्रस्ट (अध्यक्ष)	श्री रवि रंजन कुमार (मुख्य परियोजना प्रबंधक 2) एमएमआरसीएल
एमएमआरसीएल कर्मचारी समूह उपदान योजना ट्रस्ट (अध्यक्ष)	श्री रविन्द्र पाठक (महाप्रबंधक-वित्त) एमएमआरसीएल

ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक प्रतिपूर्ति

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के लिए	31 मार्च, 2022 के लिए
पारिश्रमिक*	229.67	238.92

*पारिश्रमिक हितलाभों के संबंध में भुगतान आधार पर विचार किया गया है

ग) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा उनके निकटतम परिवार के सदस्यों के साथ संव्यवहार

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के लिए	31 मार्च, 2022 के लिए
क्रय तथा व्यय		
प्रतिपूर्ति (MMRDA)	82.35	311.47
श्रम कल्याण निधि ट्रस्ट (MMRCL) में कोष अंशदान	-	55.68
कर्मचारी समूह उपदान ट्रस्ट (MMRCL) में कोष अंशदान	70.20	103.96
कर्मचारी कल्याण निधि (MMRCL) में सामान्य अंशदान	19.86	15.73
कर्मचारी समूह उपदान योजना ट्रस्ट (MMRCL) में सामान्य अंशदान	-	0.12

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

घ) वर्ष में अंत में बकाया शेष

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के लिए	31 मार्च, 2022 के लिए	1 अप्रैल, 2021 के लिए
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के साथ			
प्राप्य	-	-	-
देय	-	-	-
रोजगार पश्चात प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हितलाभ			
रोजगार पश्चात हितलाभ	136.90	111.65	75.65
इकाई जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा निकटतम परिवार के सदस्यों का महत्वपूर्ण प्रभाव है			
एममआरसीएल कर्मचारी कल्याण निधि	2.21	16.07	8.52
एमएमआरसीएल श्रम कल्याण निधि ट्रस्ट (एमएमआरसीएल)	141.87	141.87	86.19
एमएमआरसीएल कर्मचारी समूह उपदान योजना ट्रस्ट (एमएमआरसीएल)	385.54	287.06	230.27
देय (एमएमआरडीए)	2,166.12	2,196.01	1,884.52

नोट 23 : आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं

नोट 23.1 : आकस्मिक देयताएं

राशि सहित देयता / न्यायिक मामले की प्रकृति – स्पष्टीकरण (जहां तक उपलब्ध हों)

ठेकेदारों द्वारा उद्धृत अनुबंध मूल्य सभी करों से युक्त था। बाद में जीएसटी के प्रांरभ के पश्चात उत्पाद शुल्क, चूंगी, सेवा कर, मूल्य संवर्धित कर (VAT) आदि जैसे सभी अप्रत्यक्ष कर शामिल कर दिए गए थे। तदनुसार, कम्पनी के कर कानूनों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप अनुबंध मूल्य के प्रभाव के आकलन के लिए कम्पनी द्वारा ठेकेदारों से जीएसटी से पूर्व एवं पश्चात अनुबंध मूल्य पर हुए प्रभाव का ब्यौरा जिससे कि कंपनी द्वारा देय अथवा वसूली योग्य कर राशि ज्ञात की जा सके, जो कि अभी प्रक्रियाधीन है। 31 मार्च 2023 तक, कंपनी ने 26,700.11 लाख रुपए (31.03.2022 में 26,700.11 लाख रुपए; 01.04.2021 में 26700.11 लाख रुपए) का भुगतान विरोध सहित तदर्थ आधार पर किया है तथा कम्पनी के मामले में निर्णय होने की स्थिति में जिसकी वसूली ब्याज सहित हो सकेगी। एक ठेकेदार ने जीएसटी मामले पर विवाद उठाया है तथा मामला विवाद न्यायनिर्णय बोर्ड को भेजा गया है। विवाद न्यायनिर्णयन बोर्ड से न्याय निर्णय प्रतीक्षित है।

ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत अनुबंध मूल्य में सभी कर (रायल्टी सहित) शामिल थे। बाद में देय रॉयल्टी राशि को संशोधित किया गया था तथा इसलिए कुछ ठेकेदारों ने कानून में बदलाव के कारण उनके द्वारा भुगतान की गई बढ़ी हुई राशि की प्रतिपूर्ति का दावा किया है। तथापि, ठेकेदारों में से एक ने नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा रॉयल्टी लगाने को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की जो अभी भी न्यायिक विचाराधीन है। 31 मार्च 2023 तक 4,639.70लाख रुपए की रॉयल्टी राशि विवादाधीन है और इसका भुगतान तदर्थ आधार पर विक्रेता को किया जाता है।

ठेकेदारों के साथ किए गए अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के अनुसार कुछ ठेकेदारों द्वारा विवाद न्यायनिर्णय बोर्ड (डीएबी) के सम्मुख कुछ विवाद प्रस्तुत किए गए हैं। वर्तमान में इनके परिणाम ज्ञात नहीं हैं।

कम्पनी को क्षतिपूर्ति दावे, आइडलिंग दावे तथा प्रतिपूर्ति के संबंध में एक सिस्टम ठेकेदार से 302.62 लाख रुपए का दावा प्राप्त हुआ है। ठेकेदार के दावे का मूल्यांकन निगम द्वारा किया जा रहा है।

नगर निगम द्वारा ज्ञानेश्वर नगर, बीकेसी में मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) द्वारा आवंटित भूखंड के संबंध में 3,587.42 लाख रुपए (31.03.2022 में 3,155.51 लाख रुपए; 01.04.2021 में 1,855.60 लाख लाख रुपए) का सम्पत्ति कर मांग नोटिस जारी किया गया है। कंपनी को सरकारी भूमि और निजी भूमि के लिए संपत्ति कर के संबंध में नगरपालिका प्राधिकरण (उपरोक्त मामले के अलावा) से कोई अन्य मांग प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। कंपनी ने सहायक मूल्यांकनकर्ता और कलेक्टर (एचई वार्ड) को इस मांग को रद्द करने/समाप्त करने के लिए एक पत्र लिखा है क्योंकि भूमि केवल सार्वजनिक लाभ परियोजना के लिए उपयोग के लिए तथा इसकी प्रतिक्रिया अभी भी प्रतीक्षित है। पुष्टिकृत छूट प्राप्त न होने के कारण, सजगता के विचार से इसकी प्रस्तुति आकस्मिक देयता के रूप में की गई है। तथापि, प्रबंधन को यह विश्वास है कि यह राशि देय नहीं होगी।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

जेआईसीए पर 31 मार्च, 2023 तक उपार्जित ब्याज एवं अग्रीकृत शुल्क की राशि 69,197.43 लाख रुपए है। आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 9 जून, 2023 के पत्र के माध्यम से पीओए सचिवालय को सीएएस नागपुर, भारतीय रिजर्व बैंक को आगे आवश्यक सूचना भेजकर 74,395 लाख रुपए की राशि की वसूली महाराष्ट्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के एमएमआरसी के बजट में से करने, एमएमआरसी द्वारा जेआईसीए को देय ब्याज एवं अग्रीकृत राशि के प्रति, के लिए निदेश जारी किए गए हैं। एमएमआरसीएल के अनुसार ब्याज एवं अग्रीकृत शुल्क की राशि अर्थात 69,197.43 लाख रुपए तथा आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार 73,057 लाख रुपए (यथा कुल 74395 लाख रुपए की राशि में से 31 मार्च, 2023 तक की राशि) में भिन्नता का कारण जेआईसीए द्वारा सीएएए को दिए गए ऋण तथा आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एमएमआरसीएल को वितरित की गई राशि का सीएएए (वित्त मंत्रालय का विदेश विभाग) द्वारा किए गए आकलन की भिन्नता के कारण से है। एमएमआरसी द्वारा आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय से निधियों की प्राप्ति की तिथि से ब्याज देयता का लेखांकन किया गया है तथा भिन्नता से संबंधित मामला आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय एवं सीएएए के साथ समाधान के समय प्रस्तुत किया जाएगा।

मुंबई पोर्ट एवं मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के न्यासी बोर्ड के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार, एमएमआरसीएल संपत्ति कर, ब्याज प्रभार तथा अन्य विविध शुल्क, यदि कोई हो, के वहन के लिए उत्तरदेयी है। तथापि, उपर्युक्त से संबंधित देयताएं ज्ञात नहीं है, तथा ज्ञात करने की प्रक्रिया की जा रही है।

निगम द्वारा जारी 83.50 लाख रुपए की बैंक गारंटी (31.03.2022 को 73.50 लाख रुपए; 01.04.2021 को 72.50 लाख रुपए) है।

एसआरए द्वारा पुनर्वास के लिए परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के लिए 1937 टेनेमेंट्स आवंटित किए थे, जिनमें से 65 टेनेमेंट्स एसआरए को वापस सौंप दिए गए हैं, इसलिए शेष टेनेमेंट्स 1872 हैं, कंपनी द्वारा इसके संबंध में देय राशि भी मांग प्राप्त न होने के कारण ज्ञात नहीं की जा सकी है। वित्तीय विवरणों में तदनुसार इसे प्रभारित नहीं किया गया है।

कंपनी ने पुनर्वास और पुनर्स्थापन लागत के लिए कुछ पीएपी के साथ समझौता ज्ञापन/अनंतिम अनुबंध किया है, तथापि वर्तमान में पुनर्वास और पुनर्स्थापन की ज्ञात नहीं की जा सकी है।

कंपनी के खिलाफ 54 कानूनी मामले हैं (भूमि और पुनर्वास और पुनर्स्थापन के संबंध में 28 मामले, विभिन्न नागरिक मामलों के संबंध में 12 मामले, पर्यावरण के मुद्दों के संबंध में 9 मामले, 4 विविध मामले तथा वस्तु की क्षति के संबंध में 1 मामला), जिनके दायित्व के परिमाण निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं।

नोट 23.2 : पूंजी प्रतिबद्धताएं

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में देयता की स्वीकृति न किए गए अनुबंधित पूंजी व्यय का विवरण निम्नलिखित है: (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के लिए	31 मार्च, 2022 के लिए	1 अप्रैल, 2021 के लिए
निष्पादन के लिए शेष एवं प्रभारित न की गई अनुबंधों की अनुमानित राशि:	8,26,000.31	9,42,621.45	11,62,526.06

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 24 : कर्मचारी हितलाभ दायित्व

नोट 23.1 : आकस्मिक देयताएं

उपदान : प्रत्येक कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम अथवा कम्पनी की योजना, जो भी लाभकारी हो, के अंतर्गत सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अपने अंतिम आहरित वेतन के समान पंद्रह दिन के वेतन की प्राप्ति का पात्र है। इसका भुगतान कम्पनी से अलग होते समय अथवा सेवानिवृत्ति के समय, जो भी पहले हो, किया जाता है।

(रुपए लाख में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
31 मार्च, 2020 की स्थिति	230.17	-	230.17
चालू सेवा लागत	72.82	-	72.82
ब्याज व्यय (आय)	15.34	7.63	7.71
लाभ एवं हानि में स्वीकृत कुल राशि	88.16	7.63	80.53
पुनर्मापन			
वित्तीय विवरणों के पूर्वानुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	14.66	-	14.66
अनुभव (लाभ)/हानि	(3.20)	-	(3.20)
ब्याज के अलावा योजनागत परिसम्पत्ति से लाभ	-	(5.63)	5.63
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत कुल राशि	11.46	(5.63)	17.09
नियोक्ता अंशदान	-	230.27	(230.27)
हितलाभ भुगतान	-	-	-
31 मार्च, 2021 को स्थिति	329.79	232.27	97.52
चालू सेवा लागत	86.71	-	86.71
ब्याज व्यय (आय)	20.84	14.30	6.54
लाभ एवं हानि में स्वीकृत कुल राशि	107.55	14.30	93.25
पुनर्मापन			
वित्तीय विवरणों के पूर्वानुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	2.06	-	2.06
जनसांख्यिकी पूर्वानुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.11)		(0.11)
अनुभव (लाभ)/हानि	24.78	-	24.78
ब्याज के अलावा योजना परिसम्पत्तियों से लाभ	-	3.30	(3.30)
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत कुल राशि	26.73	3.30	23.43
नियोक्ता अंशदान	-	91.80	91.80)
हितलाभ भुगतान	34.89	34.89	-
31 मार्च, 2022 की स्थिति	429.18	306.78	122.40
चालू सेवा लागत	80.34	-	80.34
ब्याज व्यय (आय)	30.69	21.70	8.99
लाभ एवं हानि में स्वीकृत कुल राशि	111.03	21.70	89.33
पुनर्मापन			
वित्तीय विवरणों के पूर्वानुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	42.47	-	42.47
जनसांख्यिकी पूर्वानुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(13.22)	-	(13.22)
अनुभव (लाभ)/हानि	3.28	-	3.28
ब्याज के अलावा योजना परिसम्पत्तियों से लाभ	-	0.82	(0.82)
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत कुल राशि	32.53	0.82	31.71
नियोक्ता अंशदान	-	70.20	(70.20)
हितलाभ भुगतान	14.78	14.78	-
31 मार्च, 2023 को स्थिति	557.96	384.72	173.24

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

ऊपर प्रकटीकरण की गई निवल देयताएं निधि प्रदात्ता एवं गैर निधि प्रदात्ता योजनाओं से निम्नानुसार संबंधित हैं :- (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के लिए	31 मार्च, 2022 के लिए	1 अप्रैल, 2021 के लिए
वर्तमान मूल्य का दायित्व	557.96	429.18	329.79
योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	384.72	306.78	232.27
उपदान योजना में न्यूनता	**173.24**	**122.40**	**97.52**

दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के लिए	31 मार्च, 2022 के लिए
जनसांख्यिकीय पूर्वानुमानों के कारण	(13.22)	(0.11)
वित्तीय पूर्वानुमानों के कारण	42.47	2.06
अनुभव के कारण	3.28	24.78
ब्याज के अलावा योजना परिसम्पत्तियों से लाभ	(0.82)	(3.30)
योग बीमांकिक (लाभ)/हानि	**31.71**	**23.43**

महत्वूर्ण अनुमान : बीमांकिक पूर्वानुमान तथा संवेदी
महत्वपूर्ण बीमांकिक पूर्वानुमान निम्नानुसार हैं: (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2022 की स्थिति	1 अप्रैल, 2021 की स्थिति
छूट दर	7.35%	7.15%	6.32%
संघर्षण दर			
30 वर्ष तक	13.00%	6.00%	6.00%
31 से 44 वर्ष तक	13.00%	6.00%	5.00%
44 वर्ष से अधिक	13.00%	6.00%	8.00%
योजना परिसम्पत्तियों से लाभ की दर	7.35%	7.15%	6.50%
वेतन संवर्धन दर	10.00%	8.00%	7.00%
मृत्यु दर	आईएएलएम 2012-14) नगरीय	आईएएलएम 2012-14) नगरीय	आईएएलएम (2012-14) अल्टीमेट

संवेदी विश्लेषण
भारित सिद्धांत पूर्वानुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित हितलाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नानुसार है: (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2022 की स्थिति	1 अप्रैल, 2021 की स्थिति
अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	557.96	429.18	329.79
छूट दर में 0.50 % परिवर्तन से हुई वृद्धि का प्रभाव	(14.46)	(18.81)	-15.25
छूट दर में 0.50 % परिवर्तन से हुई कमी का प्रभाव	15.34	20.44	16.62
छूट दर में 0.50 % परिवर्तन से हुई वृद्धि का वेतन वृद्धि पर प्रभाव	12.03	16.77	15.87
छूट दर में 0.50 % परिवर्तन से हुई कमी का वेतन वृद्धि पर प्रभाव	(12.02)	(16.37)	-14.74

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

उपर्युक्त संवदी विश्लेषण, अन्य पूर्वानुमानों को स्थिर रखकर पूर्वानुमानों में हुए परिवर्तन पर आधारित है। व्यवहार में ऐसा घटित होने की संभावना नहीं होती है तथा कुछ पूर्वानुमानों के परिवर्तनों में परस्पर संबंध हो सकता है। परिभाषित हितलाभ दायित्व की संवेदात्मकता के आकलन के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक पूर्वानुमानों की समान विधि (परिभाषित हितलाभ दायित्व का रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संभावित यूनिट कर क्रेडिट विधि के अनुसार आकलन) उपयोग में लाई गई है जो तुलन पत्र में स्वीकृत परिभाषित हितलाभ देयता के आकलन के लिए उपयोग में लाई गई थी।

संवेदी विश्लेषण के निर्माण के लिए प्रयुक्त विधियों एवं प्रकारों से पूर्व अवधि की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं।

परिभाषित हितलाभ दायित्व का परिपक्वता प्रोफाइल
उपदान का संभावित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है :

(रुपए लाख में)

रिपोर्टिंग तिथि से भावी वर्षों में देय प्रत्याशित हितलाभ	**31 मार्च, 2023 की स्थिति**	**31 मार्च, 2022 की स्थिति**	**1 अप्रैल, 2021 की स्थिति**
पहला अनुवर्ती वर्ष	110.67	41.52	28.95
दूसरा अनुवर्ती वर्ष	52.90	27.18	24.29
तीसरा अनुवर्ती वर्ष	62.63	43.31	24.36
चौथा अनुवर्ती वर्ष	56.57	32.92	16.22
पांचवां अनुवर्ती वर्ष	53.29	29.92	23.54
6 से 10 वर्ष के दौरान	217.79	137.85	103.52

नोट : कर्मचारियों को सरकार की राष्ट्रीय पेंशन योजना – एनपीएस (अर्थात सेवानिवृत्ति के लिए पेंशन कोष का निर्माण) के लाभ प्रदान करने के लिए, इस योजना के विकल्प का चयन करने वाले कर्मचारियों को, कर्मचारियों को देय केफेटेरिया बॉस्केट में से मूल वेतन जमा मंहगाई भत्ते का अधिकतम 10% अंशदान के साथ संरचित की गई है। इसका कोई वित्तीय प्रभाव निगम पर नहीं है।

नोट 25 : सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय का प्रकटीकरण:

एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसरण में लेखा बहियों पर आधारित प्रकटीकरण निम्नलिखित है:-

(रुपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च, 2023 की स्थिति**	**31 मार्च, 2022 की स्थिति**	**1 अप्रैल, 2021 की स्थिति**
(क) चुकता न की गई मूल राशि	23.88	94.57	93.57
(ख) चुकता न की गई राशि पर देय ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य
(ग) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के उपबंधों के अनुसार आपूर्तिकर्ता को नियत तिथि से आगे के लिए की जाने वाली भुगतान की राशि सहित चुकता ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य
(घ) वर्ष के दौरान नियत तिथि से आगे भुगतान में विलंब की अवधि के लिए देय तथा चुकता वह ब्याज जो एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना चुकता किया गया है।	शून्य	शून्य	शून्य
(ङ) ब्याज उपचय तथा चुकता नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य
(च) अतिरिक्त ब्याज़ शेष जो की आगामी वर्षों में भुगतान के लिए देय होंगे, उस तिथि तक, जब उपर दिए गए ब्याज़ का भुगतान वास्तविक रूप में लघु उद्यमियों को किया जायेगा	शून्य	शून्य	शून्य
योग	**23.88**	**94.57**	**93.57**

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 26 : घटक रिपोर्टिंग

कम्पनी के पास रिपोर्ट योग्य केवल एक परिचालनात्मक घटक है जो मुम्बई में मेट्रो रेल प्रणालियों का विकास, संचालन एवं अनुरक्षण है। तदनुसार, वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गई राशियां कम्पनी के एकल व्यवसाय घटक से संबंधित हैं।

नोट 27 : उचित मूल्य मापन

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति			31 मार्च, 2022 की स्थिति			1 अप्रैल, 2021 की स्थिति		
	एफवी पीएल	एफवी ओसीआई	परिशोधन लागत	एफवी पीएल	एफवी ओसीआई	परिशोधन लागत	एफवी पीएल	एफवी ओसीआई	परिशोधन लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ									
गैर – चालू									
ऋण	-	-	4.58	-	-	8.34	-	-	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	410.61	-	-	285.02	-	-	1,134.59
चालू									
नकदी एवं नकदी समतुल्य	-	-	4,301.49	-	-	33,205.33	-	-	28,065.50
ऊपर शामिल किए गए के अलावा बैंक शेष	-	-	324.32	-	-	2,801.09	-	-	3,131.99
ऋण			3.75			4.11	-	-	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	10,139.18	-	-	15,921.27	-	-	22,832.69
योग वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**-**	**-**	**15,183.93**	**-**	**-**	**52,225.16**	**-**	**-**	**55,164.77**
वित्तीय देयताएं									
गैर-चालू									
ऋण	-	-	15,13,213.49	-	-	13,42,813.85	-	-	11,30,564.01
पट्टा देयता	-	-	3,111.59	-	-	2,511.27	-	-	1,248.21
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	381.69	-	-	348.69	-	-	
चालू									
ऋण			24,888.06			-	-	-	
पट्टा देयता	-	-	1,325.42	-	-	1,463.79	-	-	2,549.87
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	1,36,718.80	-	-	1,19,028.59	-	-	1,18,091.51
योग वित्तीय देयताएं	**-**	**-**	**16,79,639.05**	**-**	**-**	**14,66,166.19**	**-**	**-**	**12,52,489.44**

क) उचित मूल्य की तारतम्यता

इस भाग में वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य के निर्धारण के लिए प्रयुक्त पूर्वानुमानों एवं अनुमानों का स्पष्टीकरण दिया है जो कि (क) उचित मूल्य पर स्वीकृत हैं तथा मापन किए गए हैं, तथा (ख) परिशोधन लागत पर मापन की गई तथा जिनके उचित मूल्यों का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों में किया गया है। उचित मूल्य के निर्धारण के लिए प्रयुक्त इनपुटों की विश्वसनीयता के संकेत प्रदान करने के लिए कम्पनी ने अपने वित्तीय लिखतों को, लेखांकन मानक के अंतर्गत निर्दिष्ट, तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

ख) ऐसी कोई वित्तीय परिसंपत्तियाँ तथा वित्तीय देयताएं नहीं हैं जिनका मापन उचित मूल्य पर किया गया है तथा जिनके संबंध में उचित मूल्य तारतम्यता का प्रकटीकरण अपेक्षित है।

किन्ही स्तरों के मध्य कोई अंतरण वर्ष के दौरान नहीं किए गए हैं।

स्तर 1: स्तर 1 की तारतम्यता में उद्धृत मूल्यों के उपयोग मापन किए गए वित्तीय लिखतें शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी लिखतें तथा म्युचुअल फंड शामिल हैं जो उद्धृत मूल्य हैं। स्टॉक एक्सचेंजों में व्यापार के लिए प्रयुक्त सभी इक्विटी लिखतों का उचित मूल्य रिपोर्टिंग अवधि का क्लोजिंग मूल्य है। म्युचुअल फंडों का मूल्यन क्लोजिंग निवल परिसम्पत्ति मूल्य (एनएवी) के उपयोग से किया गया है।

स्तर 2: सक्रिय बाजार में व्यापार न किए गए वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य (उदाहरण के तौर पर ओवर द काउंटर डेरियेटिव) का निर्धारण मूल्यांकन विधियों के उपयोग से किया जाता है जो मुख्यत: प्रत्यक्ष स्पष्ट बाजार डेटा के उपयोग से तथा काफी कम सीमा तततक इकाई विशिष्ट अनुमानों के उपयोग से आंका जाता है। किसी लिखत के लिए अपेक्षित यदि सभी महत्वपूर्ण इनपुट प्रत्यक्ष स्पष्ट हों लिखत को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3: यदि एक अथवा अधिक महत्वपूर्ण इनपुट प्रत्यक्ष बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं तो लिखत को स्तर 3 में शामिल किया जाता है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 28 : पूंजी प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन

कम्पनी का प्रारंभिक उद्देश्य शेयरधारक मूल्य में अधिकतम संवर्धन के लिए पूंजी प्रबंधन करना है। कम्पनी द्वारा निवल ऋण इक्विटी अनुपात के उपयोग से पूंजी संरचना की निगरानी की जाती है।

तुलन पत्र में दर्शाई गई कुल इक्विटी में धारित आय, शेयर पूंजी, आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन धन शामिल है। कुल ऋण में चालू ऋण जमा गैर चालू ऋण शामिल है।

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2022 की स्थिति (पुन:उल्लिखित)	1 अप्रैल , 2021 की स्थिति (पुन:उल्लिखित)
कुल ऋण	15,38,101.55	13,42,813.85	11,30,564.01
कुल इक्विटी	4,67,908.38	4,30,925.48	3,73,421.58
ऋण / इक्विटी अनुपात	**3.29**	**3.12**	**3.03**

नोट 29 : वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम कारक

कम्पनी के सम्मुख वित्तीय लिखतों से संबंधित विभिन्न जोखिम व्याप्त हैं। कम्पनी की वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का वर्गवार संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। जोखिमों के प्रमुख प्रकार बाजार जोखिम, ब्याज दर जोखिम, क्रेडिट जोखिम एवं रोकड़ जोखिम हैं। कम्पनी का जोखिम प्रबंधन कम्पनी के अल्प एवं मध्यम कालिक नकदी प्रवाह को अस्थिर वित्तीय बाजारों में अरक्षितता को न्यून करने के लिए सक्रिय रूप से ध्यान देता है। कम्पनी के सम्मुख व्याप्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिमों का वर्णन नीचे किया गया है।

(क) बाजार जोखिम

कम्पनी के सम्मुख बाजार जोखिम के रूप में विदेशी विनिमय जोखिम व्याप्त है। विनिमय दर उतार चढ़ाव जोखिम विदेशी मुद्रा में सामान्य परामर्शदाताओं तथा ठेकेदारों को किए जाने वाले विदेशी मुद्रा भुगतानों के संबंध में है। कम्पनी के पास विदेशी मुद्रा जोखिम को कवर करने के लिए कोई हेजिंग लिखत नहीं है।

नीचे प्रस्तुत तालिका में वित्तीय लिखतों से व्याप्त विदेशी मुद्रा जोखिम का विश्लेषण किया गया है:

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

विवरण	यूएस डालर	यूरो
31 मार्च, 2023 की स्थिति		
वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-
योग	-	-
वित्तीय देयताएं		
अन्य वित्तीय देयताएं	1,19,96,020.00	31,45,033.60
योग	1,19,96,020.00	31,45,033.60
विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति निवल अरक्षितता	**(1,19,96,020.00)**	**(31,45,033.60)**
31 मार्च, 2022 की स्थिति		
वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-
योग	-	-
वित्तीय देयताएं		
अन्य वित्तीय देयताएं	79,92,880.00	47,17,372.00
योग	79,92,880.00	47,17,372.00
विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति निवल अरक्षितता	**(79,92,880.00)**	**(47,17,372.00)**
1 अप्रैल, 2021 की स्थिति के		
वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-
योग	-	-
वित्तीय देयताएं		
अन्य वित्तीय देयताएं	1,22,29,831.92	16,76,351.00
योग	1,22,29,831.92	16,76,351.00
विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति निवल अरक्षितता	**(1,22,29,831.92)**	**(16,76,351.00)**

निम्नलिखित महत्वपूर्ण विनिमय दरों का उपयोग किया गया है

मुद्रा	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2022 की स्थिति	1 अप्रैल, 2021 की स्थिति
यू एस डालर	82.22	75.81	73.50
यूरो	89.61	84.66	86.10

संवेदी विश्लेषण

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त मुद्राओं के प्रति भारतीय रुपए की संभव सुदृढ़ता (शिथिलता) विदेशी मुद्रा वर्ग के वित्तीय लिखतों के मापन को प्रभावित कर सकती है तथा राशियों से प्रभावित लाभ अथवा हानि नीचे दर्शाई गई है। इस विश्लेषण में यह माना गया है कि सभी अन्य भिन्नताओं, विशेष रूप से ब्याज दर, को स्थिर माना गया है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

(रुपए लाख में)

विवरण	कर पूर्व लाभ एवं हानि	
	भारतीय रुपए की सुदृढ़ता	भारतीय रुपए की दुर्बलता
31 मार्च, 2023		
यूएस डालर (10% मूवमेंट)	986.28	(986.28)
यूरो (10% मूवमेंट)	281.82	(281.82)
31 मार्च, 2022		
यूएस डालर (10% मूवमेंट)	605.94	(605.94)
यूरो (10% मूवमेंट)	399.37	(399.37)
1 अप्रैल, 2021		
यूएस डालर (10% मूवमेंट)	898.89	(898.89)
यूरो (10% मूवमेंट)	144.33	(144.33)

(ख) ब्याज दर जोखिम

निगम के सम्मुख ब्याज दर जोखिम मुख्यत चल दर वाले ऋणों के प्रति है। रिपोर्टिंग तिथि को ब्याज में 100 आधार प्वांइट के संभावित परिवर्तन से नकदी प्रवाह पर निम्नानुसार प्रभाव आ सकते हैं। इसकी मूवमेंट दिशात्मक है तथा इससे ब्याज दर की मूवमेंट के संबंध में प्रबंधन द्वारा लगाए गए पूर्वानुमान प्रदर्शित नहीं होते हैं।

संवेदी विश्लेषण

(रुपए लाख में)

विवरण	नकदी प्रवाह का प्रवाह	
	100 बीपीएस वृद्धि	100 बीपीएस वृद्धि
31 मार्च, 2023	1,664.82	(1,664.82)
31 मार्च, 2022	-	-
1 अप्रैल, 2021	-	-

(ग) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम में प्रतिपक्षकार द्वारा अपने दायित्वों के प्रति किए जाने वाली चूक का जोखिम अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय घाटे हो सकते हैं। कम्पनी के यह जोखिम विभिन्न वित्तीय लिखतों, यथा कर्मचारियों को दिए जाने वाले अग्रिम, बैंकों से प्राप्य, प्रतिभूति जमा आदि के कारण व्याप्त है।

निगम के वाणिज्यिक परिचालन अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं। कम्पनी द्वारा अन्य प्रतिपक्ष पक्षकारों की चूकों, वैयक्तिक अथवा कम्पनी द्वारा अलग से संज्ञान में ली गई, की निरंतर निगरानी की जाती है तथा ऐसी सूचना को अपने क्रेडिट जोखिम नियंत्रणों में शामिल कर लिया जाता है। जहां औचित्यपरक लागत, अन्य प्रतिपक्ष पक्षकारों की बाह्य क्रेडिट रेटिंग प्राप्त होती है तो उसका उपयोग किया जाता है।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

<u>नकदी एवं नकदी समतुल्य</u>

नकदी एवं नकदी समतुल्य से संबंधित क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन निधियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में रखकर किया जाता है जो भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक की निगरानी में होते हैं तथा बैंकों के साथ ऐसे संबंधों की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों में कर्मचारियों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम जो की परिशोधन लागत पर मापन किए गए हैं , परिसंपत्तियाँ शामिल हैं।

(ग) नकदी जोखिम

हमारी नकदी आवश्यकताओं की निगरानी मासिक एवं वार्षिक पूर्वानुमानों के आधार पर की जाती है। कम्पनी के नकदी के लिए प्रमुख स्रोत नकदी एवं समतुल्य, गैर परिचालन राजस्व, दीर्घकालिक ऋण, ब्याज दर उपऋण, शेयर पूंजी तथा अनुदान हैं।

नकदी आवश्यकताओं का प्रबंधन नियमित रूप से नकदी प्रवाह की निगरानी रख कर तथा नकदी एवं नकदी समतुल्यों का पर्याप्त अनुरक्षण करके किया जाता है। किसी प्रकार की न्यूनता का निर्धारण करने के लिए निवल नकदी अपेक्षाओं की तुलना उपलब्ध नकदी के साथ की जाती है।

अल्पकालिक नकदी अपेक्षाओं में मुख्यत: विविध लेनदार, व्ययों का भुगतान, कर्मचारी देय, अल्पकालिक ऋण तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में अपेक्षित धारण एवं जमा शामिल हैं। नकदी एवं नकदी समतुल्य के पर्याप्त शेष का अनुरक्षण अल्पकालिक नकदी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है।
दीर्घकालिक नकदी अपेक्षाओं का मूल्यांकन आवधिक आधार पर करके इसका प्रबंधन आंतरिक उपार्जन एवं भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार से सहायता प्राप्त करके किया जाता है। हमारी गैर-चालू देयताओं में जेआईसीए ऋण, ब्याज मुक्त गौण ऋण, धारण एवं जमा तथा कर्मचारी हितलाभ देयताएं शामिल हैं।

नीचे दी गई तालिका में गैर-डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं की संविदागत परिपक्वताओं का विवरण दिया गया है। इस तालिका का निर्माण वित्तीय देयताओं के नकदी प्रवाह का आधार उस निकटतम तिथि के अनुसार है, जब कम्पनी से भुगतान की अपेक्षा हो सकती है । इस तालिका में मूलधन एवं ब्याज नकदी प्रवाह, दोनों, को शामिल किया गया है।

(रुपए लाख में)

विवरण	upto 1 year	1 -3 years	3- 5 years	More than 5 years	Total
31 मार्च, 2023 की स्थिति					
ऋण (संदर्भ नोट 11)	24,888.06	1,42,750.64	1,05,756.36	12,64,706.49	**15,38,101.55**
पट्टा देयताएं	1,325.42	2,274.75	778.98	57.86	**4,437.01**
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ नोट 12)	1,36,718.80	43.34	310.55	27.80	**1,37,100.49**
योग	**1,62,932.28**	**1,45,068.73**	**1,06,845.89**	**12,64,792.15**	**16,79,639.05**
31 मार्च, 2022 की स्थिति					
ऋण (संदर्भ नोट 11)	-	43,062.69	43,062.54	12,56,688.62	**13,42,813.85**
पट्टा देयताएं	1,463.79	1,320.62	1,131.55	59.10	**3,975.06**
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ नोट 12)	1,19,028.59	-	39.22	309.47	**1,19,377.28**
योग	**1,20,492.38**	**44,383.31**	**44,233.31**	**12,57,057.19**	**14,66,166.19**
1 अप्रैल, 2021 की स्थिति					
ऋण (संदर्भ नोट 11)	-	22,960.39	45,920.46	10,61,683.16	**11,30,564.01**
पट्टा देयताएं	2,549.87	941.09	246.88	60.24	**3,798.08**
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ नोट 12)	1,18,091.51	-	35.84	-	**1,18,127.35**
योग	**1,20,641.38**	**23,901.48**	**46,203.18**	**10,61,743.40**	**12,52,489.44**

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 30 : चूकों में सुधार :

विनिमय भिन्नताओं की उत्पति मौद्रिक मदों के निपटान अथवा मौद्रिक मदों का विनिमय उन दरों पर किए जाने से होती है जो उन दरों से भिन्न है जिनमें उनका विनिमय अवधि के दौरान प्रारंभिक स्वीकृति के लिए किया गया था अथवा पिछले वित्तीय विवरणों में जिनकी रिपोर्टिंग भारतीय लेखांकन मानक 21 के अनुसार की जानी अपेक्षित थी।

तथापि, प्रारंभ में विदेशी मुद्रा लाभ/हानि की स्वीकृति, लेखांकन नीति के अनुसरण में, पूंजी कार्य प्रगति पर में की जाती थी। वर्ष के दौरान कम्पनी ने उक्त लेखांकन नीति में सुधार करके इसे भारतीय लेखांकन मानक 21 के प्रावधानों के अनुसरण के अनुसार तैयार किया है। लेखांकन नीति में परिवर्तन से संबंधित पूर्वावधि चूकों के बारे में अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार प्रस्तुत हैं:

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति		31 मार्च, 2021 की स्थिति		टिप्पणी
	पुन:उल्लिखित	सूचित	पुन:उल्लिखित	सूचित	
गैर चालू परिसंपत्तियाँ					
पूंजी कार्य प्रगति पर	19,63,725.15	19,64,170.37	16,02,595.78	16,03,311.56	पूंजी कार्य प्रगति पर से लाभ एवं हानि लेखे में विदेशी मुद्रा के उपचार में परिवर्तन से उत्पन्न प्रभाव
इक्विटी एवं देयताएं					
इक्विटी					
अन्य इक्विटी	(9,794.52)	(9,349.30)	(8,098.42)	(7,382.64)	पूंजी कार्य प्रगति पर से लाभ एवं हानि लेखे में विदेशी मुद्रा के उपचार में परिवर्तन से उत्पन्न प्रभाव

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		भिन्नता	टिप्पणी
	पुन:उल्लिखित	सूचित		
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव – लाभ	270.56	-	270.56	पूंजी कार्य प्रगति पर से लाभ एवं हानि लेखे में विदेशी मुद्रा के उपचार में परिवर्तन से उत्पन्न प्रभाव
आय में निवल वृद्धि	**270.56**	**-**	**270.56**	
कर पूर्व (हानि)	(2,199.25)	(2,469.81)	270.56	विदेशी मुद्रा लाभ का निवल प्रभाव
कर पश्चात (हानि)	(1,678.76)	(1,949.32)	270.56	विदेशी मुद्रा लाभ का निवल प्रभाव
प्रति शेयर आय (रुपए)				
मूल	(0.42)	(0.49)	0.07	चूक में सुधार का ईपीएस पर प्रभाव
डाय्ल्यूटिड	(0.42)	(0.49)	0.07	चूक में सुधार का ईपीएस पर प्रभाव

नोट 31 : कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की अपेक्षा के अनुसार अतिरिक्त विनियमाक सूचना

अपेक्षा (i):- कम्पनी के नाम अचल सम्पत्ति के हक विलेख धारित नहीं हैं।

प्रतिक्रिया :- सूचना का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 2 में दिया गया है।

अपेक्षा (ii) :- कम्पनी द्वारा यह प्रकटीकरण किया जाएगा कि क्या निवेश सम्पत्ति (प्रकटीकरण उद्देश्यों से वित्तीय विवरणों में किए गए मापन के अनुसार) किसी पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा कम्पनी (पंजीकृत मूल्यांकक एवं मूल्यांकन) नियमावली, 2017 के नियम 2 के अंतर्गत किए गए मूल्यांकन पर आधारित है अथवा नहीं है।

प्रतिक्रिया :- कम्पनी के पास कोई निवेश सम्पत्ति नहीं है। अत: कम्पनी के संबंध में यह पैरा लागू नहीं है।

अपेक्षा (iii) :- क्या कम्पनी ने अपनी सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (उपयोग अधिकार परिसम्पत्तियों सहित) के पुनर्मूल्यांकन किए हैं, कम्पनी द्वारा यह प्रकटीकरण किया जाना है कि क्या पुनर्मूल्यांकन का आधार कम्पनी (पंजीकृत मूल्यांकक एवं मूल्यांकन) नियमावली, 2017 के नियम 2 के अंतर्गत परिभाषित किसी पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा किया गया मूल्यांकन है अथवा नहीं है।
प्रतिक्रिया :- कम्पनी द्वारा अनुवर्ती मापन के लिए लागत मॉडल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार, यह पैरा कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

अपेक्षा (iv) :- क्या कम्पनी ने अपनी अमूर्त परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है, कम्पनी द्वारा यह प्रकटीकरण किया जाना है कि क्या पुनर्मूल्यांकन का आधार कम्पनी (पंजीकृत मूल्यांकक एवं मूल्यांकन) नियमावली, 2017 के नियम 2 के अंतर्गत परिभाषित किसी पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा किया गया मूल्यांकन है अथवा नहीं है।
प्रतिक्रिया :- कम्पनी द्वारा अनुवर्ती मापन के लिए लागत मॉडल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार, यह पैरा कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

अपेक्षा (v) :- ऐसे निर्धारित # प्रकटीकरण किए जाने अपेक्षित है जिनमें प्रमोटरों , निदेशकों, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा संबंधित पक्षकारों (कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई परिभाषा के अनुसार) को अलग अलग अथवा अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से ऋण अथवा ऋण की प्रकृति के अग्रिम प्रदान किए गए हैं जो :
(क) मांग पर प्रतिदेय हैं अथवा
(ख) निबंधन अथवा पुनर्भुगतान की अवधि निर्दिष्टि के बिना हैं।
प्रतिक्रिया :- कम्पनी ने प्रमोटरों , निदेशकों, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा संबंधित पक्षकारों को ऋण अथवा ऋण की प्रकृति के ऐसे अग्रिम प्रदान नहीं किए हैं जो मांग पर प्रतिदेय हैं अथवा जो निबंधन अथवा पुनर्भुगतान की अवधि निर्दिष्टि के बिना हैं। इस प्रकार यह पैरा कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

अपेक्षा (vi) & (vii) :-
(क) पूंजी कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) / विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियों (आईटीएयूडी) की कालक्रम अनुसूची
प्रतिक्रिया :- इस सूचना का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 3(क) तथा 3(ख) में किया गया है।
(ख) ऐसी पूंजी कार्य प्रगति पर / विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियों के संबंध में, जिनकी पूर्णता की लागत मूल योजना से अधिक हो गई है, का निर्धारित# प्रकटीकरण किया जाना है।
प्रतिक्रिया :- इस सूचना का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 3(क) तथा 3(ख) में किया गया है।

अपेक्षा (viii) :- ऐसे निर्धारित# प्रकटीकरण किए जाने हैं जिनमें कम्पनी के प्रति बेनामी संव्यवहार (प्रतिबंध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत बेनामी सम्पत्ति के धारण के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ की गई है अथवा लंबित है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

प्रतिक्रिया :- कम्पनी के पास कोई बेनामी सम्पत्ति नहीं है। इसके अलावा, कम्पनी के प्रति बेनामी संव्यवहार (प्रतिबंध) अधिनियम, **1988 (1988** का 45) तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत बेनामी सम्पत्ति के धारण के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई है अथवा लंबित नहीं है। इस प्रकार, इस पैरा की अपेक्षाएं कम्पनी के संबंध में लागू नहीं हैं।

अपेक्षा (ix) :- क्या कम्पनी ने चालू परिसम्पत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं से कोई ऋण प्राप्त किए हैं।

प्रतिक्रिया :- कम्पनी द्वारा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं से कोई ऋण प्राप्त नहीं किए गए हैं।

अपेक्षा (x) :- जानबूझकर चूककर्ता

जब कम्पनी को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अथवा अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित किया गया हो तो निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया जाए :

(क) ''जानबूझकर चूककर्ता'' घोषित किए जाने की तिथि,

(ख) चूकों का विवरण (राशि तथा चूकों की प्रकृति)

प्रतिक्रिया :- कम्पनी को ''जानबूझकर चूककर्ता'' घोषित नहीं किया गया है, इस प्रकार, इस पैरा की अपेक्षाएं कम्पनी के संबंध में लागू नहीं हैं।

अपेक्षा (xi) :- बंद कम्पनियों के साथ सम्बंध

जब कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत बंद कम्पनियों के साथ किसी प्रकार के संव्यवहार किए हों तो निर्धारित # प्रकटीकरण किए जाने हैं।

प्रतिक्रिया :- कम्पनी के बंद कम्पनियों के साथ कोई सम्बंध अथवा संव्यवहार नहीं हैं।

अपेक्षा (xii) :- कम्पनी पंजीयक के सम्मुख प्रभारों अथवा संतुष्टि का पंजीकरण

जब कम्पनी किसी प्रभार अथवा संतुष्टि के संबंध में कम्पनी पंजीयक के सम्मुख सांविधिक अवधि में पंजीकरण न किया हो तो उससे संबंधित विवरण एवं कारणों का प्रकटीकरण किया जाना है।

प्रतिक्रिया :- कम्पनी ने सांविधिक समय अवधि में प्रभार पंजीकृत कर दिए हैं।

अपेक्षा(xiii) :- कम्पनियों के स्तर की संख्या से संबंधित अनुपालन

जब कम्पनी द्वारा कम्पनी (स्तरों की संख्या पर निर्बंधन) नियमावली, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा के खंड (87) के अंतर्गत निर्दिष्ट स्तरों की संख्या का अनुपालन न किया हो तो निर्दिष्ट स्तरों से अधिक की कम्पनियों के नाम तथा सीआईएन संख्या तथा ऐसी अनुप्रवाह कम्पनी के साथ धारक कम्पनी के संबंध एवं विस्तार का प्रकटीकरण किया जाए।

प्रतिक्रिया:- कम्पनी की कोई प्रत्यक्ष अथवा अध्याधीन कोई सहायक कम्पनी अथवा सहायक कम्पनियां नहीं हैं। इस प्रकार, यह पैरा कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

अपेक्षा(xiv) :- अनुपात विश्लेषण :

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

क) चालू अनुपात = चालू देयताओं से विभाजित चालू परिसंपत्तियाँ

(रुपए लाख में)

	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2022 की स्थिति	1 अप्रैल, 2021 की स्थिति
चालू परिसंपत्तियाँ	48,393.11	84,138.99	85,504.47
चालू देयताएं	1,68,943.22	1,26,986.80	1,27,662.06
अनुपात	0.29	0.66	0.67
पिछले वर्ष से % परिवर्तन	-56.77%	-1.07%	

25% से अधिक होने के कारण: यह परिवर्तन मुख्यत: चालू परिसम्पत्तियों का मूल्य 84138.99 लाख रुपए से घटकर 48393.11 लाख रुपए होना है। चालू परिसम्पत्तियों में आई कमी मुख्यत: पिछले वर्ष की तुलना नकदी एवं नकदी समतुल्यों में आई कमी के कारण है।

ख) ऋण इक्विटी अनुपात = कुल इक्विटी से विभाजित कुल ऋण जिसमें कुल ऋण चालू एवं गैर-चालू परिसम्पत्तियों से संबंधित हैं।

(रुपए लाख में)

	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2022 की स्थिति	1 अप्रैल, 2021 की स्थिति
कुल ऋण	15,38,101.55	13,42,813.85	11,30,564.01
कुल शेयरधारक इक्विटी	4,67,908.38	4,30,925.48	3,73,421.58
अनुपात	3.29	3.12	3.03
पिछले वर्ष से % परिवर्तन	5.49%	2.92%	
25% से अधिक परिवर्तन के कारण : लागू नहीं			

ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात =कुल ब्याज एवं मूलधन पुनर्भुगतान से विभाजित ऋण सेवाओं के लिए उपलब्ध आय

निगम द्वारा अपने परिचालन अभी प्रारंभ नहीं किए गए हैं तथा निगम की परिचालन आय अभी प्रारंभ नहीं हुई हे। इस प्रकार, अनुपात ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं।

घ) इक्विटी अनुपात पर लाभ = औसत शेयरधारक इक्विटी से विभाजित कर पश्चात लाभ/(हानि)

(रुपए लाख में)

	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2022 की स्थिति
कर पश्चात निवल लाभ/(हानि)	(2,813.63)	(1,678.76)
औसत शेयरधारक इक्विटी	4,49,416.93	4,02,173.53
अनुपात	-0.63%	-0.42%
पिछले वर्ष से % परिवर्तन	**49.98%**	-

25% से अधिक परिवर्तन के कारण : यह परिवर्तन मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में विदेशी मुद्रा में हुई निवल हानि में बढ़ोतरी के कारण से है जो कि पिछले वर्ष 270.56 लाख रुपए के विदेशी मुद्रा लाभ की तुलना 229.56 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा हानि से हुआ है।

ङ) नियोजित पूंजी पर रिटर्न =नियोजित पूंजी से विभाजित ब्याज एवं कर पूर्व आय (ईबीआईटी)

	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2022 की स्थिति
कर पश्चात निवल लाभ (क)	(2,813.63)	(1,678.76)
वित्त लागतें (ख)	26.38	32.75
कुल कर व्यय (ग)	(249.35)	(520.49)
ईबीआईटी (घ) = (क)+(ख)+(ग)	(3,036.60)	(2,166.50)
कुल इक्विटी (ङ)	4,67,908.38	4,30,925.48
कुल ऋण (च)	15,38,101.55	13,42,813.85
नियोजित पूंजी (छ)= (ङ)+(च)	20,06,009.93	17,73,739.33
अनुपात (घ)/(छ)	-0.15%	-0.12%
पिछले वर्ष से % परिवर्तन	23.93%	-
25% से अधिक परिवर्तन के कारण : लागू नहीं		

च) निगम द्वारा अपने वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ नहीं किए गए हैं। इस प्रकार, निम्नलिखित के संबंध में अनुपात ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं:-

- मालसूची टर्नओवर अनुपात = औसत मालसूची से विभाजित विक्रय किए गए माल की लागत
- व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात = औसत व्यापार प्राप्य से विभाजित निवल क्रेडिट बिक्री
- व्यापार देय टर्नओवर अनुपात = औसत व्यापार देय से विभाजित निवल क्रेडिट क्रय
- निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात = औसत कार्यशील पूंजी से विभाजित निवल बिक्री जिसमें निवल कार्यशील पूंजी = चालू परिसंपत्तियाँ – चालू देयताएं है
- निवल लाभ अनुपात = निवल बिक्री से विभाजित कर पश्चात निवल लाभ/(हानि)

निवेश पर लाभ = निवेश के अंत शेष से विभाजित निवेश आय

ऊपर प्रस्तुत गैर-जीएएपी उपायों की तुलना अन्य कम्पनियों द्वारा रिपोर्ट किए गए समान प्रकार के शीर्षक उपायों से नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, कृपया ध्यान दें कि ये सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों द्वारा परिभाषित परिचालन निष्पादन अथवा नकदी के उपाय नहीं हैं तथा इनकी तुलना अन्य कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत समान प्रकार के शीर्षक उपायों से नहीं की जा सकती है।

अपेक्षा(xv) : - अनुमोदित व्यवस्थापन योजना (योजनाओं) का अनुपालन

जब कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के उपबंधों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवस्थापन योजना अनुमोदित की गई हो तो कम्पनी को ऐसी व्यवस्थापन योजना का कम्पनी की लेखा बहियों में योजना के अनुसार लेखांकन किए जाने के संबंध में प्रकटीकरण करना चाहिए तथा इससे संबंधित किसी प्रकार के व्युतक्रम के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए।

प्रतिक्रिया:- कम्पनी द्वारा कोई व्यवस्थापन योजना तैयार नहीं की गई है। इस प्रकार, यह पैरा कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

अपेक्षा(xvi) :- ऋण निधियों तथा शेयर प्रीमियम का उपयोग :

(क) जब कम्पनी द्वारा विदेशी इकाईयों (मध्यस्थों) सहित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों) को इस व्यवस्था (जो लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप् में रिकॉर्ड की गई हो) के साथ कोई अग्रिम अथवा ऋण अथवा निधियों में निवेश (ऋण निधियों अथवा शेयर प्रीमियम अथवा अन्य स्रोतों अथवा निधियों के स्वरूप में) दिया गया हो कि मध्यस्थक द्वारा,

(i) अन्य व्यक्तियों अथवा, किसी विधि से निर्धारित, इकाईयों अथवा कम्पनी की ओर से (अंतिम लाभग्राही) प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में ऋण दिया गया हो अथवा निवेश किया गया हो, अथवा

(ii) अंतिम लाभग्राहियों को अथवा उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा समान प्रकार प्रदत्त की गई है; तो कम्पनी द्वारा निम्नलिखित प्रकटीकरण किया जाएगा :-

(I) मध्यस्थकों को दिए गए अग्रिम अथवा ऋण अथवा निवेश किए जाने की तिथि तथा राशि का प्रत्येक मध्यस्थक का पूर्ण विवरण

(II) ऐसे मध्यस्थकों द्वारा अन्य मध्यस्थकों अथवा अंतिम लाभग्राहियों को आगे अग्रिम अथवा ऋण के रूप में प्रदान की गई अथवा निवेश की गई निधि की तिथि एवं राशि का ऐसे अंतिम लाभग्राहियों के पूर्ण विवरण सहित विवरण

(III) अंतिम लाभग्राहियों को अथवा उनकी ओर से प्रदान की गई गारंटी, प्रतिभूति अथवा समान प्रकार की तिथि एवं राशि

(IV) यह घोषणा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) तथा कम्पनी अधिनियम के संगत प्रावधानों का अनुपालन ऐसे संव्यवहारों के लिए किया गया है तथा ऐसे संव्यवहार धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के उल्लंघन में नहीं हैं;

प्रतिक्रिया :- (क) कम्पनी द्वारा ऊपर उल्लिखित उद्देश्य से किसी व्यक्ति अथवा को कोई अग्रिम अथवा ऋण नहीं दिया गया है अथवा निधियों में निवेश (ऋण निधियों अथवा शेयर प्रीमियम अथवा अन्य किन्हीं स्रोतों अथवा निधियों के किसी स्वरूप में) नहीं किया गया है। इस प्रकार, इस पैरा की अपेक्षाएं लागू नहीं हैं।

(ख) जब कम्पनी को विदेशी इकाईयों (निधि प्रदात्ता पार्टी) सहित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों) से इस व्यवस्था के साथ (लिखित अथवा अन्य स्वरूप में रिकॉर्ड की गई) कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है कि कम्पनी द्वारा

(i) अन्य व्यक्तियों अथवा निधि प्रदात्ता पार्टी (अंतिम लाभग्राहियों) द्वारा अथवा निधि प्रदात्ता पार्टी की ओर से किसी भी स्वरूप में निर्धारित की गई इकाईयों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में कोई ऋण अथवा निवेश अथवा

(ii) किसी प्रकार की गारंटी, प्रतिभूति अथवा समान प्रकार अंतिम लाभग्राहियों की ओर से प्रदान नहीं किया गया है, कम्पनी द्वारा निम्नानुसार प्रकटीकरण किया जाएगा :-

(I) निधि प्रदात्ता पार्टियों से प्राप्त निधि की तिथि तथा राशि सहित प्रत्येक निधि प्रदात्ता पाटी का सम्पूर्ण विवरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

(II) अन्य मध्यस्थकों अथवा अंतिम लाभग्राहियों की ओर से आगे अग्रिम पर अथवा ऋण पर दी गई अथवा निवेश की गई निधि का तिथि एवं राशि सहित अन्य मध्यस्थकों अथवा अंतिम लाभग्राहियों का सम्पूर्ण विवरण

(III) अन्य मध्यस्थकों अथवा अंतिम लाभग्राहियों की ओर से प्रदान की गई गारंटी, प्रतिभूति अथवा समान की तिथि तथा राशि

IV) यह घोषणा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के सभी संबंधित प्रावधानों तथा कम्पनी अधिनियम का अनुसरण संबंधित संव्यवहारों के लिए किया गया है तथा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) का उल्लंघन नहीं नहीं किया गया है;

प्रतिक्रिया:- (ख) कम्पनी को विदेशी इकाईयों (निधि प्रदात्ता पाटी) सहित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों) से इस व्यवस्था (लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में रिकॉर्ड की गई) के अंतर्गत कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है, इस प्रकार इस पैरा के अंतर्गत प्रकटीकरण किए जाने की अपेक्षा कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की डिवीजन II में ''एल. अतिरिक्त विनियामक सूचना'' शीर्षक में किए गए निर्धारण के अनुसार

नोट 32 : अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियों, ऋणों, अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों, अन्य वित्तीय देयताओं आदि के कुछ शेष पुष्टि, समाधान एवं समायोजन, यदि कोई हो, की शर्त पर हैं।

नोट 33 : रूस – यूक्रेन युद्ध का प्रभाव :

रूस तथा यूक्रेन के मध्य युद्ध के कारण से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव प्रतीत हो रहा है। उपभोक्ता वस्तुओं (जैसे सीमेंट, स्टील, ईंधन आदि) के मूल्यों में उतार चढ़ाव हुआ है जो कि मुख्यत: इस युद्ध के कारण हुआ हो सकता है।

नोट 34 : कोविड 19 वैश्विक महामारी के परिणामस्वरूप प्रभाव :-

वैश्विक महामारी के परिणामस्वरूप लगभग 1 माह तक सभी काम बंद रहे थे तथा उसके पश्चात भी श्रमिकों की सीमित उपलब्धता और आपूर्ति श्रृंखला में अंतराल सहित विभिन्न कारकों के कारण काफी समय तक प्रगति धीमी रही। एमएमआरसीएल ने अब तक केवल 6 माह की अवधि को कोविड से प्रभावित माना है तथा इस अवधि में मूल्य भिन्नता के साथ भुगतान किया है। जब आगे ईओटी के बारे में विचार किया जाएगा तो कोविड के समग्र प्रभाव का विश्लेषण किया जाएगा। कोविड महामारी अब समाप्त हो गई है, अत: कार्य पर अब कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है।

नोट-35 : कम्पनी द्वारा विदेशी मुद्रा अस्थिरता के पूंजीयन का लेखांकन उपचार इसे पूंजी कार्य प्रगति पर में ऋण करके किया जा रहा रहा था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विदेशी मुद्रा में अस्थिरता के उक्त उपचार के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 21 का उल्लंघन किए जाने की टिप्पणी की गई थी। वर्ष के दौरान, लाभ एवं हानि की मौद्रिक मदों के संबंध में विदेशी मुद्रा की अस्थिरता की स्वीकृति के संबंध में लेखांकन उपचार की कम्पनी की लेखांकन नीति में इंड एए 21 की अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए बदलाव किया गया है। तदनुसार, चालू वर्ष में हानि में 229.56 लाख रुपए की वृद्धि हुई है तथा पूंजी कार्य प्रगति पर में समान राशि की कमी आई है। भारतीय लेखांकन मानक 8 की अपेक्षाओं के अनुसार, लेखांकन नीति में उक्त परिवर्तनों के संबंध में पूर्वावधि चूकों का प्रकटीकरण नोट संख्या 30 में दिया गया है।

MMRC

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

नोट-36 : कम्पनी को कलेक्टर स्टाम्प एनफोर्समेंट – के कार्यालय से जुर्माने का नोटिस प्राप्त हुआ था। यह जुर्माना चुकता कर दिया गया है तथा इसकी वसूली ठेकेदारों से की गई है तथा इसे निगम पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं हुआ है।

नोट 37 : मेट्रो निर्माण अनुबंधों के संबंध में लागू जीएसटी की दर को दिनांक 18 जुलाई, 2022 से 12 % से बढ़ाकर 18 % कर दिया गया है। इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है।

नोट 38 : जहां कही आवश्यक है वहां चालू वर्ष के वर्गीकरण के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनर्समूहन / पुन: उल्लेख किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त
मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन: U60100MH2008SGC181770

ऋतु देब
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. F6754

अबोध खंडेलवाल
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन:07807394

अश्विनी भिडे
अतिरिक्त प्रभारअतिरिक्त प्रभार
डीआईएन:02861008

स्थानः मुम्बई
दिनांकः 28 जुलाई, 2023